लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated 24-8-72
Parliament Library

[खंड 26 में अंक 31 से 40 तक है
Vol. XXVI contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 33, गुरुवार, 5 अप्रैल, 1973/15 चैत्र, 1895

No 33, Thursday, April 5, 1973/*Chaitra* 15, 1895 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
623	कोयला श्रमिकों और अभ्रक श्रमिकों की मजूरी में अन्तर ।	Difference in wages of Coal and Mica Labourers . . .	1–2
624	गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों द्वारा औद्योगिक तकनीकी जानकारी को परस्पर लाभ के लिये उपयोग किये जाने की योजना ।	Plan to use Industrial Know-How for Mutual Benefit by Non-Aligned Nations . .	3
625	राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन ।	Implementation of Recommendations of National Labour Commission . . .	3–5
626	पाकिस्तान में भारतीय युद्धबंदियों के साथ किये गये अमानवीय व्यवहार के बारे में सीधी बातचीत करने का प्रस्ताव ।	Proposal for direct negotiations regarding inhuman treatment with P.O.Ws. in Pakistan .	5–7
628	इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का पुनर्नवीकरण ।	Rejuvenation of Indian Iron and Steel Company . .	7–9
629	उच्च श्रेणी की काफ़ी मात्रा वाले बौक्साइट क्षेत्रों को एल्यूमिना बनाने के लिये आरक्षित करना ।	Areas rich in high quality bauxite reserved for making Alumina	9
630	पाकिस्तान आंतरीक के मामलों में भारत द्वारा कथित हस्तक्षेप ।	Alleged Indian interference in Pakistan's internal affairs :	9–11
631	बंगलादेश के विस्थापितों को दी जाने वाली राहत सहायता में वृद्धि ।	Increase in relief assistance to Bangladesh refugees . . .	11–12
633	देश में इस्पात कारखानों की स्थापना ।	Setting up of steel plants in the country . . .	13
634	राष्ट्रमंडल देशों के साथ भारत के सम्बन्धों का मूल्यांकन ।	Reassessment of India's Relations with Commonwealth .	13–14

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a member indicated that the question was actually asked on the floor of the house by him.

1—9 LSS/73

श्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
621	श्रीलंका की यात्रा करने के लिये प्रधान मंत्री को निमंत्रण।	Invitation to Prime Minister to visit Sri Lanka	14-15
622	राष्ट्रपति निक्सन का पाकिस्तान को भारत में पाकिस्तानी युद्धबन्दियों को रिहा कराने में सहायता देने का आश्वासन।	President Nixan's assurance to Pakistan to help release of P.O.Ws. in India . . .	15
627	भारत द्वारा यूगोस्लाविया से युद्ध-पोतों की खरीद।	Purchase of warships from Yugoslavia by India . .	15
632	कुल खनिज उत्पादन और उसके निर्यात में उड़ीसा की स्थिति।	Position of Orissa in total minerals output and export there of	16
635	श्रमजीवी पत्रकारों के लिये तीसरे मजूरी बोर्ड की नियुक्ति।	Setting up of a Third Wage Board for working journalists . .	16
636	सरकार द्वारा मैसर्स इंडियन कापर कारपोरेशन लिमिटेड को अपने अधिकार में लेना।	Take-over of M/s Indian Copper Corporation Limited .	16-17
637	कोसीपुर आर्डनेंस फैक्टरी और इच्छापुर गन फैक्टरी में उत्पादन।	Production of Cossipore Ordnance Factory and Ichapore Gun Factory . . .	17
638	जेनेवा निशस्त्रीकरण सम्मेलन।	Geneva Disarmament Conference	17-18
639	भारी उद्योग के किसी भी कारखाने से विहीन राज्य।	States not having any unit of Heavy Industry . . .	18
640	पाकिस्तानी युद्धबन्दियों की रिहाई के बारे में प्रधान मंत्री के विचारों को गलत ढंग से पेश करने का समाचार।	Alleged mis-representation of Prime Minister's view on release of Pak. POWs. . .	18
अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
6100	कलकत्ता गोदी श्रमिकों द्वारा भूख हड़ताल।	Hunger strike by Calcutta Dock Workers	18-19
6101	इण्डियन नेवल फंड में से ग़बन।	Embezzlement from Indian Naval Fund. . . .	19
6102	नये इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिये 'टास्क फोर्स' की बैठक।	Meeting of Task Force for setting up New Steel Plants . .	19
6103	युद्धबन्दियों के मामले को हल करने के लिये विदेशों से मध्यस्थता के प्रस्ताव।	Mediation offers by Foreign countries to settle P.O.Ws. issue	19-20
6104	इस्पात संयंत्रों के लिये अधिगृहीत भूमि के लिये क्षतिपूर्ति।	Compensation for land acquired for steel plants . .	20

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6105	साउंड रेंजिग सिस्टम इक्विपमेंट से विदेशी मुद्राकी बचत ।	Saving of foreign exchange from sound ranging system equipment	20
6106	उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम में अन्तर्गत मध्य प्रदेश के कम विकसित क्षेत्रों में लाइसेंस देना ।	Licences granted to underdeveloped areas of Madhya Pradesh under Industries (Development and Regulation) Act	21
6107	मध्य प्रदेश की रोलिंग मिलों को लोहे और इस्पात की सप्लाई ।	Iron and Steel supplied to Rolling Mills of Madhya Pradesh	21
6108	मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्रों के कर्मचारियों को कोयला खान कर्मचारी कल्याण निधि से लाभ ।	Coal Mines Welfare Fund benefit to coalfield workers in Madhya Pradesh	21
6109	मध्य प्रदेश के कोयला खानों के मालिकों द्वारा कोयला खानों विनियमन अधिनियम का उल्लंघन किया जाना ।	Violation of coal mines Regulation Act by mine owners in Madhya Pradesh	22
6110	मध्य प्रदेश में सूती कपड़ा तथा इंजीनियरिंग श्रमिकों की समस्याएं ।	Problems of Textile and Engineering Worker's in Madhya Pradesh	22
6111	दण्डकारण्य परियोजना का चिकित्सा विभाग ।	Medical Department of Dandakaranya Project	22–23
6112	शिमला-समझौते के पश्चात भारत-पाक सम्बन्ध ।	Indo-Pak relations after Simla Pact	23
6113	20 बड़े उद्योग गृहों को सरकारी उपक्रमों के लिये आरक्षित खनन पट्टे देना ।	Mining leases reserved for Govt. undertakings granted to 20 large industrial houses	23
6114	बड़े उद्योग-गृहों पर खनन पट्टों की बकाया राशि ।	Dues regarding mining lease from large industrial houses	23–24
6115	भारी औद्योगिक एककों के लिये समान भर्ती-नीति ।	Common recruitment policy for heavy industrial units	24
6116	केरल की श्रम संविदा समितियां (लेबर कन्ट्रैक्ट सोसाइटीज़) सम्बन्धी परियोजनाएं ।	Schemes for labour contract societies in Kerala	24
6117	आसाम में ढलवां लोहे की चादरों की कमी ।	Shortage of C.I. sheets in Assam	24
6118	पूर्ति और निपटान निदेशालय द्वारा नियुक्त नीलामकर्ताओं को कमीशन देना ।	Commission allowed to auctioneers appointed by D.G.S. &D.	25
6119	नीलामी करने के ठेके ।	Auctioneering contracts	25
6120	इस्पात की ट्यूबों का निर्माण ।	Manufacture of Steel Tubes	26

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6121	गणतंत्र दिवस पर भवनों पर रोशनी करना।	Illumination of buildings on Republic Day	26
6122	रिवालवरों और कारतूसों की सर्व साधारण को बिक्री।	Sale of revolvers and catridges to General public . .	26–27
6123	मजूरी का पुनरीक्षण।	Revision of wages .	27
6124	हैवी इन्जीयिरिंग कार्पोरेशन में हानि के बारे में समाचार।	News report regarding losses in Heavy Engineering Corporation	27–28
6125	औद्योगिक सम्बन्धों के विनियमन के लिए नए श्रम विधान।	New Labour Laws to regulate industrial relations . .	28–29
6126	दण्डकारण्य परियोजना के कार्यकारी इंजीनियर के विरुद्ध सतर्कता के मामले।	Vigilance cases against Executive Engineer, Dandakaranya Project . . .	29
6127	बिदेशी दूतावासों द्वारा शस्त्रों की तस्करी।	Smuggling of arms by Foreign Legations	29
6128	संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा ऊर्जा आयोजन की तकनीक का परामर्श देने हेतु विशेषज्ञों की तालिका की स्थापना।	Setting up of panel of exports to advise on Techniques of Energy Planning by U.N. Secretary-General	29–30
6129	आसनसोल स्थित इंडियन स्टैंडर्ड वैगन कम्पनी में वैगनों का उत्पादन।	Production of wagons in Indian Standard Wagon Company at Asansol	30
6130	आजाद हिन्द फ़ौज के व्यक्तियों को दी गई सुविधाएं।	Facilities provided to I.N.A. personnel	30–31
6131	भारतीय युद्धपोतों के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करने के लिये इण्डोनेशिया सरकार से अनुरोध।	Request from Indonesia Government for Joint Naval Exercises with Indian warships	32
6132	लौह-अयस्क का उत्पादन बढ़ाने के लिये केन्द्रीय सरकार की गोआ को सहायता।	Centre's help to Goa for raising iron-ore production	32
6133	मजगांव डाक लिमिटेड द्वारा बनाई गई पन-डुब्बी का अनुमोदन।	Approval of sub-marine built by Mazagaon Dock Limited	32
6134	चीन-जापान समझौते से उत्पन्न ख़तरा।	Threat posed by Sino-Japanese reappointment . . .	32–33
6135	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का घड़ी के पुर्जे बनाने के लिये जापान की सिटीज़न वाच कम्पनी के साथ सहयोग।	H.M.T. collaboration with Citizen Watch Company of Japan for making watch parts	33
6136	मशीन टूल्स के निर्माण के लिये मलयेशियाई पार्टी के साथ एच० एम० टी० का सहयोग।	H.M.T. collaboration with Malaysian Party for manufacture of machine tools	33

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6137	स्विस कम्पनी के साथ घड़ियों के पुर्जे बनाने के लिये एच० एम० टी० की बातचीत ।	H.M.T. negotiations with Swiss Company for making watch parts	33
6138	भारत में बनाये जानेवाले ट्रैक्टरों में आयातित पुर्जों की प्रतिशतता ।	Percentage of imported parts in Tractors manufactured in India	34
6139	नेपाल को आपाती ऋण दिया जाना ।	Grant of stand-by credit to Nepal	34
6140	भूमि अर्जन के लिये दिया गया मुआवज़ा.।	Compensation paid for acquisition of land . . .	34-35
6141	पटना से प्रकाशित होने वाले उर्दु के समाचार-पत्र ।	Urdu newspapers published from Patna . . .	35
6142	सीसे और जस्ते की मांग पूरी करने की योजना ।	Plan to cover demand of Lead and Zinc	35-36
6143	भारत बंगलादेश मित्रता बढ़ाने के लिये गैर-सरकारी संस्था ।	Non-Governmental machinery for fostering Indo-Bangladesh Friendship . . .	36
6144	उत्तर वियतनाम में अमरीकी बमबारी के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री के वक्तव्य के बारे में समाचार-पत्रों के टिप्पण ।	Press comments about Prime Minister's statement on American bombing of North Vietnam . . .	36-37
6145	गैर सरकारी क्षेत्र में कार बनाने वाली फर्मों को अधिकार में लेना ।	Take over of Private Sector car manufacturing firms .	37
6146	लेखकों और पत्रकारों की पाकिस्तानी युद्धबन्दियों के मामले में प्रधान मंत्री के साथ बैठक ।	Meeting of writers and journalists with Prime Minister over P.O.Ws. issue . .	37
6147	श्रम कल्याण केन्द्र अस्पताल, झुमरीतलैया, बिहार ।	Labour Welfare Centre, Hospital, Jhumritilaiya, Bihar	37-38
6148	पता न लगने वाली टैंक-भेदी सुरंगे बिछाने के लिये मेकेनिकल "माइन लेयर" का विकास ।	Development of mechanical mine layer to lay and bury anti-tank non-detectable mines	38
6149	स्नातकों की रोजगार प्रणाली का पता लगाने के लिये नमूना सर्वेक्षण ।	Sample survey to ascertain employment pattern of graduates	38-39
6150	दिल्ली में घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई ।	Supply of inferior quality of coal in Delhi	39
6152	नेपाल श्रीलंका और बर्मा में रह रहे भारतीय ।	Indians living in Nepal, Sri Lanka and Burma . . .	39
6153	भारतीय सेना के बटालियनों को प्रदान किये गये कलर और बैज ।	Colour and badges awarded to battalions of Indian Army .	40

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6154	"ब्लक दिसम्बर" संगठन द्वारा काठमाण्डू स्थित भारतीय मिशन को धमकी।	Threat to Indian Mission at Kathmandu by "Black December" Group . . .	40
6155	रक्षा विभाग द्वारा दी गई जीपें।	Jeeps released by Defence Department	40–41
6156	विदेशों से स्वदेश वापस आये व्यक्तियों का उड़ीसा में बसाया जाना।	Rehabilitation of repatriates from other countries in Orissa	41
6157	उड़ीसा में लघु इस्पात संयंत्र का निर्माण कार्य पूरा किया जाना।	Completion of Mini-Steel plant in Orissa	41
6158	कोयला खानों में दुर्घटनाओं में मारे गये व्यक्ति।	Persons killed due to accidents in Coal Mines . . .	42
6160	गत भारत-पाक युद्ध के दौरान तथा उसके बाद ईरान द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई।	Supply of arms to Pakistan by Iran during and after last Indo-Pak war . . .	42–43
6161	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में दायर किये गये मुकदमों के लिये मंजूरी प्राप्त करना।	Sanction obtained for prosecutions filed in Employees Provident Fund Organisation .	43
6162	राजस्थान में पाकिस्तानी शरणार्थी।	Pakistani refugees in Rajasthan	43–44
6163	खेतड़ी तांबा परियोजना में लगाई गई पूंजी और इसके लिये खरीदी गई मशीनों की लागत।	Amount invested on Khetri Copper Project and cost of machines therefor . . .	44
6164	तनजानिया के साथ तकनीकी आर्थिक सहयोग समझौता करना।	Conclusion of Technical Economic Cooperation agreement with Tanzania . . .	45
6165	रक्षा विभाग के व्यय में कटौती।	Cut in Defence Department expenditure . . .	45
6166	भू-मध्य सागर को शान्ति क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव।	Proposal to declare Mediterranean as an area of peace .	45
6167	पंजाब क्षेत्र में सुरंगे हटाने के समय घायल तथा मरे व्यक्ति।	Persons injured and died at the time of clearing mines in Punjab Sector	46
6168	रक्षा आधारित उद्योगों की स्थापना।	Setting up Defence based industries	46
6169	नई दिल्ली तथा जम्मू के बीच एक विशेष सैनिक रेल गाड़ी चलाना।	Running of a military special train between New Delhi and Jammu	46
6170	पाकिस्तान द्वारा चीनी तोप नौकाएं प्राप्त करना।	Acquisition of Chinese Gun boats by Pak. . . .	46
6171	भारत द्वारा ब्रिटेन से हैरियर लड़ाकू विमानों का क्रय।	Purchase of Harrier Fighters from U.K. by India . .	47

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6172	अरब सागर में पाकिस्तान और ईरान का नौसेना सम्बन्धी सहयोग ।	Pak-Iranian Naval Cooperation in Arabian Sea . . .	47
6173	शास्त्री-श्री मावो समझौते के बारे में श्रीलंका श्रमिक कांग्रेस के विचार ।	Comments by Ceylon Worker's Congress over Shastri-Sirimavo Agreement . .	47
6174	पाकिस्तान की जेलों में भारतीय नाविकों के साथ किया गया अत्याचार ।	Cruelty meted out to Indian seamen in Pakistan jails . .	47
6175	ब्रिटिश परमाणु पंडुब्बियों का एशिया की बन्दरगाहों में प्रवेश करने का अधिकार ।	British Nuclear Submarine's right to entry into Asian ports	47-48
6176	सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की अधिष्ठापित क्षमता के मुकाबले में उत्पादन की प्रतिशतता ।	Production as per cent of rated capacity of Public Sector Steel Plants . . .	48
6177	पारपत्र नियंत्रण प्राधिकरण सांता-क्रूज, बम्बई द्वारा पारपत्र विनियमों के उल्लंघनों की सूचना देना ।	Violation of passport Regulations reported by Passport Control Authorities at Santa Cruz, Bombay . . .	49
6178	दुर्गापुर इस्पात कारखाने का असंतोषजनक उत्पादन ।	Unsatisfactory output performance of Durgapur Steel Plant	49
6179	दंडकारण्य कर्मचारी संघ की मांगें ।	Demands of Dandakaranya Employees' Association . .	49-50
6180	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के प्रबन्ध तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ एक मजूरी वाली समिति का गठन ।	Wage negotiating Committee with representatives of management and labour in B.H.E.L.	50
6181	मजदूर संघों के अधिकार तथा स्वतंत्रता के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय समझौता ।	International convention of Trade Union rights and liberties	50
6182	रेलवे वैगनों का निर्माण ।	Manufacture of Railway wagons	51
6183	देश में रक्षा उत्पादन करने वाले कारखाने ।	Defence production units in the country	52
6184	पेरिस शान्ति सन्धि का कार्यन्वयन ।	Implementation of Paris Peace Treaty	52
6185	रूस की सहायता से भिलाई तथा रूरकेला और बोकारो इस्पात संयंत्रों के विकास की योजना ।	Scheme for expansion of Bhilai, Rourkela and Bokaro Steel Plants with U.S.S.R. help .	52
6186	ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये आशय पत्र ।	Letters of intent for manufacture of tractors . . .	53
6187	कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार	Extension of E.S.I. Scheme	53

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6188	विभिन्न राज्यों के लिय लोहे का कोटा।	Iron quota for various States	53
6189	काठमांडू जाते हुए 26 भारतीयों की मृत्यु।	26 Indians died on way to Kathmandu	54
6190	प्रतापगढ़ में ट्रैक्टर बनाने के लिए जारी किया गया आशय-पत्र।	Letter of Intent issued for manufacture of tractors at Pratapgarh	54
6191	सिंगरेनी कोयला खान समूह में कोयले का उत्पादन।	Coal production at Singareni group of collieries . .	55
6192	कोयला खानों के सरकारीकरण से प्रभावित छोटे व्यापारी।	Small traders affected by take over of coal mines . .	55
6193	मशीनी औजार उद्योग में अप्रयुक्त क्षमता।	Idle capacity in machine tool industry	55
6194	इस्पात उद्योग के लिए संयुक्त वार्ता समिति के कार्य-संचालन का पुनर्विलोकन।	Review of working of joint negotiating committee for Steel Industry . . .	56
6195	औद्योगिक संबंधों के बारे में कार्मिक संघों से वार्ता।	Talks with Trade Unions on industrial relations . .	56
6196	अनुसूचित रोज़गार में मजूरी का पुनरीक्षण।	Revision of wages in scheduled employment . . .	56
6197	अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण।	Compulsory military training	57
6198	देश में अवकाश प्राप्त और अवकाश प्राप्त करने वाले सैनिक कर्मचारियों को रोज़गार देना।	Jobs to retired and retiring military personnel in the country	57-58
6199	मैसूर में हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण वर्ष 1972 में जन-दिवसों की हानि।	Man-days lost in 1972 due to strikes and lockouts in Mysore	58-59
6200	रक्षा ढांचे का पुनर्गठन।	Reorganisation of Defence set-up	59
6201	एशिया-प्रशान्त संगठन की स्थापना।	Setting up of Asia-Pacific organisation . .	59
6202	सहायक कम्पनियों को धन देने के लिये भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के लिये रखी गई धनराशि।	Amount set apart for S.A.I.L. for providing capital to its subsidiaries . . .	59-60
6203	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अन्तर्गत छोटे इस्पात संयंत्र।	Mini-steel plants under S.A.I.L.	60
6204	इस्पात तथा सम्बद्ध उद्योगों हेतु संयुक्त नियंत्रक कम्पनी के लिये अभिदत्त और निर्गमित पूंजी।	Subscribed and issued capital for giant holding company for steel and Associated Industries	60-61

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6205	बिहार में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले कारखाने ।	Default of E.P.F. by units in Bihar	61
6206	मैसर्स चेपारन शुगर कम्पनी लिमिटेड, बढाचाकिया, बिहार के कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ ।	E.P.F. benefit to employees of M/s. Champaran Sugar Co. Ltd., Barachakia, Bihar .	62
6207	मैसर्स जी० एम० कारपोरेशन (प्रा०) लि०, पटना में कर्मचारी भविष्य निधि ।	E.P.F. in M/s. G. M. Corporation (Private) Ltd., Patna	62
6208	मैसर्स राक्सी सिनेमा, मोतीहारी, बिहार में कर्मचारी भविष्य निधि ।	E.P.F. in M/s. Roxey Cinema, Motihari, Bihar . . .	62–63
6209	भगवती समिति का अंतरिम प्रतिवेदन ।	Interim report of Bhagwati Committee . . .	63
6210	कोयला और इस्पात की चोर बाज़ारी ।	Blackmarketing in coal and steel	63–64
6211	कम्पनियों पर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि ।	E.P.F. dues from companies	64
6212	भारतीय नौसैनिक बेड़े में बढ़ौतरी ।	Strengthening of Indian Naval Fleet	64
6213	बिजली की कमी का सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उत्पादन पर प्रभाव ।	Effect of shortage of power on production in public sector .	64–65
6214	बिहार में इस्पात नियंत्रक का कार्यालय खोलने का प्रस्ताव ।	Proposal for opening office of Steel Controller in Bihar ..	65
6215	डी० 50–15 ए० कोमात्सु और इनोमाग के–7 कालर ट्रैक्टरों का निर्माण ।	Manufacture of D50-15A Komatsu and Hornomag K-7 Crawler Tractors . . .	65–66
6216	कोमात्सु कालर ट्रैक्टरों की बढ़ी हुई कीमत ।	Inflated price of Komatsu Crawler Tractors .	66–67
6217	जे० के० जूट मिल्स लिमिटेड, कानपुर में हड़ताल ।	Strike in J. K. Jute Mills Ltd., Kanpur	67
6218	ट्रैक्टरों और बिजली चालित हलों के निर्माण के बारे में विदेशी करार समिति ।	Foreign agreements committee re. manufacture of tractors and power tillers . .	67
6219	सैनिक स्कूलों के कार्य के बारे में संसद सदस्यों का अभ्यावेदन ।	Representation from M.Ps. regarding functioning of Sainik schools	68
6220	सैनिक स्कूल प्रशासन के ढांचे में परिवर्तन ।	Change in structure of Sainik School Administration . . .	68
6221	बिहार के गिरीडीह जिले में टिसरी सब डिवीजन की अभ्रक खानों में मज़दूरों की मृत्यु ।	Loss of life of labourers in Mica Mines, Tisri Sub-division, Girdih District, Bihar . .	68–69

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6222	लपंगा कोलियरी के सरकार के हाथ में आने के बाद उसके मज़दूरों को काम से हटाना ।	Termination of services of labourers of Lapanga colliery after take-over	69
6223	बिहार सरकार द्वारा बोकारो के निकट "स्लैग ग्रेनुलेशन प्लांट" की स्थापना ।	Setting up of slag granulation plant near Bokaro by Bihar Government . .	69-70
6224	मजगांव डाक लिमिटेड में निर्मित युद्धपोतों में आयातित कलपुर्जों का अंश ।	Import contents of warships built at Mazagaon Dock Limited	70
6225	भारतीय सेना के जवानों तथा अधिकारियों के लिये साहित्यिक तथा शैक्षिक पुस्तकें ।	Literary and academic publications tc Javans and Officers of Indian Navy .	70-71
6226	कर्मचारी तथा नियोजकों के मध्य अच्छे संबंधों के लिये श्रमिकों को शिक्षा ।	Education of labour for healthy labour-employer relations .	71
6227	दुर्गम क्षेत्रों में सी० आई० चादरें और लौह की छड़े सप्लाई करने के लिये उपाय ।	Measures to supply C.I sheets and Iron rods to difficult areas	71-72
6228	मनीपुर रेजिमेंट बनाना ।	Raising of Manipur Regiment	72
6229	सेना अधिनियम की व्यवहार्यता ।	Army Act applicability . .	72
6230	पठानकोट में सैनिक इंजीनियरिंग सेवा के कर्मचारियों द्वारा अनिश्चित काल के लिये भूख हड़ताल ।	Indefinite hunger strike by Military Engineering Service employees at Pathankot .	72-73
6233	एच० ए० एल० द्वारा निर्मित कृषि विमान ।	Agricultural aircraft manufactured by H.A.L. . .	73
6234	चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को अलाट करने के लिये उपलब्ध प्लाट ।	Plot available for allotment to East Pak. refugees in Chittaranjan Park, New Delhi .	73-74
6235	पूर्वी पाकिस्तान विस्थापित कालोनी कालकाजी, नई दिल्ली में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों को अलाट किये गये प्लाट ।	Displaced persons from Erstwhile East Pakistan allotted plots in E.P.D.P. Colony, Kalkaji, New Delhi . .	74
6236	सरकारी उपक्रमों के कार्मिक संघों को मान्यता देना ।	Recognition of trade unions of workers in public undertakings	74-75
6237	भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को सूखे के कारण अग्रिम राशि देना।	Advance for drought to employees of Bhilai Steel Plant	75

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SBEJECT	पृष्ठ PAGES
6238	भिलाई इस्पात संयंत्र में काम कर रहे स्थायी कर्मचारी।	Permanent employees working in Bhilai Steel Plant . .	75
6239	भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों द्वारा बनाई गई सहकारी कृषि समिति।	Cooperative farming society formed by officers of Bhilai Steel Plant	76
6240	एच० ई० एल० और बी० एच० ई० एल० द्वारा निर्मित हाइड्रो और स्टीम जनरेटिंग सेटों का रेटिंग।	Ratings of Hydro and Steam Generating sets manufactured by H.E.L. and B.H.E.L. .	76
6241	भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन विभिन्न परियोजनाओं के कार्य को प्रारम्भ करने/उन्हें पूरा करने और चालू करने की समय तालिका।	Schedule for commencement/ completion and commissioning of various projects under Ministry of Heavy Industry .	76–77
6242	सिगरैनी कोयला खानों के श्रमिकों को जबरन छुट्टी।	Workers laid off in Singareni collieries . . .	77
6243	एक अज्ञात विमान के हमले से नोम पेन्ह स्थित भारतीय मिशन को क्षति	Damage to Indian Mission at Phoom Penh in raid by an unidentified plane . .	77
6244	संकटमय परिस्थितियों वाली नौकरियों वाले श्रमिकों का अनिवार्य बीमा।	Compulsory insurance for workers in hazardous jobs . .	77–78
6245	कोटा गार्ड ट्रेनिंग सेन्टर में गोली लगने से एक स्त्री का जख्मी होना।	Woman injured by a bullet at Kotah guard training centre	78
6246	डिफेंस इन्स्टीट्यूट आफ़ फ़ायर रिसर्च द्वारा ऐयर क्रैश टेन्डरों का आयात।	Import of Air Crash Tenders by Defence Institute of Fire Research	78–79
6247	आग बुझाने के लिये "फोम कम्पाउन्ड" के आयात पर व्यय।	Expenditure incurred on import of Foam compound for extinguishing fire . . .	79
6248	एशियाई राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल बनाना।	Setting up of commonwealth of Asian Nations . . .	79
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Publie Importance—	
	धनबाद के निकट पूर्व बासुरिया कोयला खान क्वार्टरों में तीन कामगारों की निर्मम हत्या का समाचार।	Reported brutal killing of three workers at East Basuria Colliery quarters near Dhanbad . . .	80–84
	श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharya	80–81
	श्री एस० मोहन कुमारमंगलम	Shri S. Mohan Kumaramangalam . .	80–84
	भिलाई इस्पात सयंत्र में हुई घटना के बारे में वक्तव्य—	Statement re. Incident at Bhilai Steel Plant—	
	श्री एस० मोहन कुमारमंगलम	Shri S. Mohan Kumaramangalam—	84–85

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
आप्टा-मंगलौर रेलवे परियोजना का अनुमानित लागत के आंकड़ों में परिवर्तन के बारे में सदस्य का वक्तव्य—	Statement by Member re. variation in Estimates of cost of Apta-Mangalore railway project—	
श्री शंकरराव सावंत	Shri Shankerrao Savant	85–86
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L. N. Mishra	86–88
विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक—	Disturbed Areas (Special Courts) Bill—	
संयुक्त समिति में सदस्य की नियुक्ति	Appointment of Member to Joint Committee . .	88
उत्तर प्रदेश में घरेलू उपयोग में आने वाले कोयले की भारी कमी के बारे में	Re. Acute shortage of domestic coal in Uttar Pradesh .	88–89
पंजाब में डीजल तेल की भारी कमी के बारे में	Re. Acute shortage of diesel oil in Punjab	89
सभा का कार्य	Business of the House .	89
अनुदानों की मांगें 1973–74—	Demands for Grants, 1973-74—	
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग—	Ministry of Education and Social Welfare, and Department of Culture—	
श्री रुद्र प्रताप सिंह	Shri Rudra Pratap Singh .	89–90
श्री पी० ए० सामिनाथन	Shri P. A. Saminathan	90–93
प्रो० नारायण चन्द पाराशर	Prof. Narain Chand Parashar	93–94
श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा	Shri Hemendra Singh Banera	94–95
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra . . .	95–96
श्री बी० एस० मूर्ति	Shri B. S. Murthy	96–97
श्री डी० पी० यादव	Shri D. P. Yadav	97–98
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	98
श्री परिपूर्णानन्द पैन्युली	Shri Paripoornanand Painuli . . .	99
श्री शिवकुमार शास्त्री	Shri Shiv Kumar Shastri	100
श्री के० मालन्ना	Shri K. Mallanna	100
श्री हीरालाल डोडा	Shri Hiralal Doda	100–01
श्रीमति सुभद्रा जोशी	Shrimati Subhadra Joshi	101

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री समर गुह	Shri Samar Guha .	102
श्रीमती सहोदराबाई राय	Shrimati Sahodrabai Rai .	102–03
श्री शक्तिकुमार सरकार	Shri Sakti Kumar Sarkar .	103
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel .	104
श्री राजाराम शास्त्री	Shri Raja Ram Shastri .	104–05
श्रीमती सावित्री श्याम	Shrimati Savitri Shyam .	105
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	Shri Ebrahim Sulaiman Sait	105–07
श्री अनन्त प्रसाद धूसिया	Shri Anant Prasad Dhusia .	107
श्री चन्द शैलानी	Shri Chandra Shailani .	107–08
श्री जगदीश भट्टाचार्य	Shri Jagadish Bhattacharyya	108–09
श्री मुल्कीराज सैनी	Shri Mulki Raj Saini . .	109
उत्तर प्रदेश में कोयले की कमी के बारे में वक्तव्य	Statement re. shortage of coal in Uttar Pradesh—	
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L. N. Mishra .	110

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 5 अप्रैल, 1973/15 चैत्र, 1895 (शक)
Thursday, April 5, 1973/Chaitra 15, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Difference in Wages of Coal and Mica Labourers

*623. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister **of Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the number of coal labourers and mica labourers in the country separately;

(b) whether there is any difference between the daily wages of coal and mica labourers; and

(c) the action being taken by Government to remove this difference ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) कोयला खानों (1971) और अभ्रक खानों और कारखानों (1970) में औसत दैनिक नियोजन क्रमश: 3,82,250 और 31,908 था ।

(ख) जी हां । कोयला खनन उद्योग में श्रमिकों की मजदूरियां उच्चतर हैं । ये एक केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई थीं ।

(ग) अभ्रक श्रमिकों की मजदूरी राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन निर्धारित की गई है । यह अधिनियम न्यूनतम मजदूरी के पुनरीक्षण एवं संशोधन की व्यवस्था करता है और इसमें कोई शक नहीं कि राज्य सरकारें आवश्यक और व्यवहार्य सीमा तक वर्तमान मजदूरी को बढ़ाएंगी ।

Shri Shankar Dayal Singh : Sir, I feel pity to say that coal labourers and Mica labourers have to work in same type of mines and have to face similar types of dangers. But the Government has given much attention towards coal labourers but has paid no attention towards mica labourers. The statement of the Minister that there are only 31,000 Mica labourers is wrong...

Mr. Speaker : Please do not deliver a speech. Like this we would not be able to cover the questions.

Shri Shankar Dayal Singh : So I want to know from the Hon. Minister whether he would himself visit the mica regions and tell the officers to go there and examine their state of affairs so that anomaly between facilities provided to coal labourers and mica labourers is removed.

श्री रघुनाथ रेड्डी : इस समस्या के अध्ययन के लिए तथा राज्य सरकारों पर वेतन-मानों में सुधार करने की आवश्यकता पर आग्रह करने के लिये म स्वयं अधिकांश खनिज क्षेत्रों की यात्रा कर रहा हूं।

Shri Shankar Dayal Singh : In reply to my second question the hon. Minister said that the State Government adopted a policy of minimum wage in 1948 and from then onward to 1973 a lot of time has passed and while giving consideration to that, would the Government see that mica labourers get same wages as are given to coal labourers?

श्री रघुनाथ रेड्डी : आन्ध्र प्रदेश में वेतनमानों में 1972 में सुधार किया गया था। जो कि 3.15 हैं; बिहार में वेतनमान 1968 में संशोधित किये गये और वह 2.25 है; राजस्थान में 1971 में—3.25; तमिलनाडु में 1962 में—1.38। मुझे पता चला है कि तमिलनाडु और राजस्थान में वेतनमानों में संशोधन किये जा रहे हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जब कोयला उद्योग का सरकारी-करण किया गया है तब मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कोयला खानों में क्रियान्वित नहीं किया गया था? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा अधिकार में लिए जाने के पश्चात् क्या मजूरी बोर्ड द्वारा सिफारिश किये गये वेतनमान सभी कर्मचारियों को दिये गये हैं?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मजूरी बोर्ड द्वारा सिफारिश किये गये वेतनमान कानूनी महत्व नहीं रखते। खान मंत्री, जिन्होंने कि खानों को अधिकार में लिया है, इस समस्या पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं।

श्री हरि किशोर सिंह : इस बात पर ध्यान देते हुए कि अभ्रक खाने देश में एकाधिक राज्यों में विद्यमान है, क्या सरकार पूरी परिस्थिति पर ध्यान देने के लिए एक मजूरी बोर्ड की नियुक्ति करेगी?

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह सुझाव अध्ययन योग्य है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या अभ्रक खान मालिकों की क्षमता उतनी ही है जितनी कि कोयला खान मालिकों ी है?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न क्षमता के बारे नहीं है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मेरा अभिप्राय देने की क्षमता से हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि यह प्रश्न संगत नहीं है... (व्यवधान)

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या इसका कोई उत्तर नहीं है?

अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर देने की स्थिति में हो सकते हैं। किन्तु मैं इसे ठीक नहीं समझता।

गुट निरपेक्ष राष्ट्रों द्वारा औद्योगिक तकनीकी जानकारी को परस्पर लाभ के लिये उपयोग किये जाने की योजना

*624. **श्री राज देव सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष सितम्बर में अलजियर्ज़ में होने वाले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में उस लुसाका घोषणा को प्रवर्तन में लाने का कार्यक्रम है जिसमें कहा गया था कि गुट निरपेक्ष देशों में औद्योगिक तकनीकी जानकारी और संसाधनों का बहुत बड़ा भण्डार है जिसका उचित योजना बना कर परस्पर लाभ के लिए उपयोग किया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कोई योजनाएं बना रही है जिनसे गुट निरपेक्ष राष्ट्र बाहर से कोई सहायता प्राप्त किये बिना एक दूसरे के औद्योगीकरण में सहायता कर सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बाते क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) लुसाका सम्मेलन के बाद अगस्त 1972 में जार्जटाऊन में विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में गुट निरपेक्ष देशों के बीच आर्थिक सहयोग के प्रश्न पर विचार-विमर्श हुआ है। न्यूयार्क में गुट निरपेक्ष देशों की स्थायी समिति भी बाद की कार्रवाई पर इस दृष्टि से विचार करती रही है कि आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में गुट-निरपेक्ष देशों के बीच हुए निर्णयों पर अमल किया जा सके। आशा है कि सितंबर 1973 में अल्जीयर्स में होने वाली शिखर मीटिंग में इस विषय पर गहराई के साथ विचार किया जाएगा।

(ख) और (ग) : आर्थिक विकास के लिए पारस्परिक सहायता ही गुट-निरपेक्ष देशों के बीच आर्थिक सहयोग का महत्वपूर्ण पहलू है। भारत स्थायी समिति का सदस्य है और इस संबंध में वह उस समिति के प्रयासों में सहायता प्रदान कर रहा है। वर्तमान स्थिति यह है कि समिति गुट-निरपेक्ष देशों के बीच आर्थिक सहयोग के महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन कर रही है। अल्जीयर्स के शिखर सम्मेलन से पूर्व आर्थिक विशेषज्ञों की बैठकें आयोजित की जाएगी।

श्री राज देव सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या अल्जीयर्स में होने वाले शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों पर किसी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय दबाव होगा ?

श्री सुरेंद्र पाल सिंह : पिछले सम्मेलन में बहुत से सुझाव रखे गये थे और उन पर स्थायी समिति द्वारा विचार किया जा रहा है और बाद में जब शिखर सम्मेलन होगा तो उस में उन पर विस्तार से विचार किया जाएगा।

श्री राज देव सिंह : क्या सरकार उस बारे में अपने विचारों का ब्यौरा देने को उद्यत हैं?

श्री सुरेंद्र पाल सिंह : इस मामले पर विभिन्न स्तरों पर विचार हो रहा है। कई देशों से कहा गया है कि वे विचार किए जाने वाले विषयों का ब्यौरा तैयार करें। उनके तैयार हो जाने पर उन पर शिखर सम्मेलन से पूर्व काबुल में होने वाली स्थायी समिति की बैठक में विचार किया जाएगा। कार्यक्रम का अधिक ब्यौरा हमारे पास नहीं है।

राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन

*625. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री गजेन्द्र गडकर की अध्यक्षता में नियुक्त राष्ट्रीय श्रम आयोग की विभिन्न सिफारिशों पर क्या निर्णय लिये गये हैं और उनके क्रियान्वयन के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) किन-किन सिफारिशों को मंजूर नहीं किया गया और उन्हें मंजूर न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) किन-किन सिफारिशों की अभी भी जांच की जा रही है और उन पर निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) एक विवरण (संख्या 1), जो की गई कार्य-वाही के अनुसार विभिन्न सिफारिशों का वर्गीकरण दर्शाता है, सदन की मेज पर रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—4724/73।**]

(ख) एक विवरण (संख्या 11), जो स्वीकृत न की गई सिफारिशें हैं तथा उन के कारणों को दर्शाता है, भी सदन की मेज पर रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। दखिए संख्या एल० टी०—4724/73।**]

(ग) यह विवरण संख्या 1 में दर्शाये गये हैं। कुछ सिफारिशों पर निर्णय लेना संभव नहीं हो सका है क्योंकि कुछ की वेतन आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जांच की जानी है; कुछ अन्य के सम्बन्ध में, कार्मिक विभाग मामले पर विचार कर रहा है और कई अन्य सिफारिशों पर अभी राष्ट्रीय त्रिपक्षीय बैठकों द्वारा विचार किया जाना है।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : राष्ट्रीय श्रम आयोग के विचाराधीन एक विषय था जीवन निर्वाह या आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी निश्चित करने की कसौटी और सूत्र निर्धारित करना। क्या सरकार तीसरे वेतन आयोग द्वारा 185 रुपये न्यूनतम वेतन निर्धारित करने में जिन पहलूओं को ध्यान में रखा गया है उनकी व्याख्या करेगी और उसने राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों पर कहां तक ध्यान दिया है?

श्री रघुनाथ रेड्डी : राष्ट्रीय श्रम आयोग ने 300 सिफारिशें की हैं और मैं स्वीकृत, लागू की गई/की जाने वाली और विचाराधीन सिफारिशों का ब्यौरा दे चुका हूं। खेद है कि पृथक सूचना के बिना मैं सदस्य महोदय के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकूंगा।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : श्रम आयोग की स्वीकार न की गई सिफारिशों में से एक कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी अधिनियम के बारे में हैं और इसे स्वीकार न करने का कारण यह बताया गया है कि राज्य सरकारें इसे नहीं मानना चाहती। तो क्या सरकार उनके इस उत्तर से संतुष्ट है? क्या इतने से उनका काम पूरा हो गया है और क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि कृषि श्रमिक ही सबसे कमजोर और असंगठित हैं और उनमें अधिकांश अनुसूचित जातियों के लोग हैं और उनके प्रति सरकार का कुछ कर्तव्य है? क्या सरकार उनके हितों के रक्षार्थ इस मामले पर पुनर्विचार करेगी?

श्री रघुनाथ रेड्डी : इस संबंध में मैं पहले ही सभा को बता चुका हूं कि कृषि श्रमिकों का प्रश्न विचाराधीन है। मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है और माननीय सदस्य की तरह मैं भी यह चाहता हूं कि उनके लिए कुछ किया जाए।

डा० रानेन सेन : राष्ट्रीय श्रम आयोग की औद्योगिक संबंधों के बारे में सिफारिश को देखते हुए और सरकार द्वारा अच्छे औद्योगिक संबंध सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने की इच्छा को देखते हुए क्या सरकार ने औद्योगिक संबंधों के बारे में सभी पहलुओं पर विचार किया है और अन्य श्रम संगठनों की राय ली है?

श्री रघुनाथ रेड्डी : औद्योगिक संबंधों के व्यापक क्षेत्र और जीवन की वास्तविकताओं को दृष्टिगत रखा कर सरकार शीघ्रातिशीघ्र एक विधेयक प्रस्तुत करेगी, जो लगभग सभी वर्गों को मान्य होगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : आशा है, यह वैसा नहीं होगा, जो श्री खाडिलकर ने परिचालित किया था।

श्री समर गुह : क्या सरकार ने 'एक उद्योग में एक श्रमिक संघ' का सिद्धांत मान लिया

दूसरे गत कई वर्षों से सरकार कृषि श्रमिकों के बारे में यही कहती आ रही है कि इस प्रश्न पर पुन: विचार किया जा रहा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है कि कृषि श्रमिकों संबंधी विधान कब तक बनाया जाएगा क्योंकि ये श्रमिक कुल श्रमिकों का 57 प्रतिशत हैं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : पहले प्रश्न के उत्तर में, यद्यपि एक कारखाने के लिए एक श्रमिक संघ का सिद्धांत आदर्श है परन्तु सरकार को वास्तविकता तो देखनी ही होगी। न्यूनतम मजूरी संबंधी विधान के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं।

श्री डी० एन० तिवारी : क्योंकि कृषि श्रमिक देश भर में फैले हुए हैं, तो क्या सरकार ऐसा संगठन बनाएगी जो निश्चित किए जाने वाले न्यूनतम वेतन की अदायगी सुनिश्चित कर सके ?

अध्यक्ष महोदय : यही प्रश्न पहले भी एक सदस्य ने पूछा था।

श्री डी० एन० तिवारी : मेरा प्रश्न तो इतना ही है कि क्या उन्होंने कोई व्यवस्था की है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : इस दिशा में पहले कदम के रूप में श्रम मंत्रालय में एक विशेषज्ञ दल बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, जो इस प्रश्न के सभी पहलूओं का अध्ययन करेगा। इसके निष्कर्ष प्राप्त हो जाने पर वैधानिक रूप में या अन्यथा एक संगठन बनाने के हम इच्छुक हैं जो इस असंगठित क्षेत्र को किसी न किसी प्रकार से संगठित करेगा।

Proposal for Direct Negotiations Regarding inhuman treatment with P. O. Ws. in Pakistan

***627 Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the reasons for which Government are not making any complaint direct to Pakistan in regard to inhuman treatment meted out to Indian P.O.Ws; and

(b) whether talks could be held with Pakistan in this regard under the spirit of the Simla Agreement?

विदेश मंत्री श्री स्वर्ण सिंह : (क) पाकिस्तान से वापस आए भारतीय युद्धबंदियों के प्रति दुर्व्यवहार की शिकायतों की जांच की गई है और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रास समिति को एक विरोध पत्र दे दिया गया है जिसमें कहा गया है कि वह इस मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाए। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रास समिति से सरकार द्वारा लिखा-पढ़ी करने का कारण यह है कि यह संगठन जेनेवा अभिसमय के अंतर्गत दोनों देशों में युद्धबंदियों के कल्याण संबंधों की देखभाल कर रहा है।

(ख) सरकार पाकिस्तान के साथ इस मामले को उठाने की संभावना पर तब विचार करेगी जबकि युद्धबंदियों के प्रस्ताव पर बातचीत आरंभ होगी। इस बीच, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रास समिति के माध्यम से ही इस मामले को चलाने का विचार है।

Shri Phool Chand Verma : According to the list of missing Indian Troops submitted in the House on 18th December, 1971. Their number was 2238, but their number was much less according to tne lists submitted in March and April, 1973. I want to know which list is correct ? Whether the decreased number shows that Pakistan has killed the remaining Indian POWs? If so, whether Government propose to have the matter enquired into through Red Cross ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह प्रश्न उनकी संख्या का नहीं है बल्कि अमानवीय व्यवहार का है। इस व्यापक प्रश्न के संबंध में हमें सूचना मिली थी कि भारतीय सेना के कुछ अधिकारियों सहित सनिकों को बन्दी बनाने के बाद गोली मार दी गई थी । जितनी सूचना हमें मिली है, उसके आधार पर हमने पहले ही अन्तर्राष्ट्रीय रेड-क्रास के माध्यम से यह मामला पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है ।

Shri Phool Chand Verma: It has been stated that a protest note has been sent through Red Cross. I want to know the date on which it was sent and whether they have received a reply from Pakistan Government ? If so, the action taken in the matter and full details in this regard ?

श्री स्वर्ण सिंह : भारत लौटाए गए युद्धबंदियों से इसकी पुष्टि के बाद ही यह विरोध-पत्र भेजा गया था। युद्धबंदी दिसम्बर में लौटाए गए थे और यह पत्र मार्च में भेजा गया था। इसका कोई उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है। पहले भी दो पत्र भेजे गए थे। पहला 10-3-72 को और दूसरा पत्र 27-4-72 को भेजा गया था। इनका भी अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। हम पाकिस्तानी सेना द्वारा इस संबंध में बताए गए हिसाब से भी संतुष्ट नहीं हैं। परन्तु यह एक पृथक विषय है।

श्री प्रबोध चन्द्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान सरकार बात-बिना बात भारत सरकार के विरूद्ध भारत में पाक युद्धबन्दियों के कथित दुर्व्यवहार की सभी प्रकार की शिकायतें करती रही है जबकि हमारी बात अनकहे ही रह जाती है क्योंकि भारत सरकार रेड-क्रास या अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के सम्मुख भारतीय युद्धबन्दियों के दुर्व्यवहार की शिकायत करने में संकोच करती है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह ठीक है कि हम ने अधिक संकोच बरता है और इसके लिए हमें खेद नहीं होना चाहिए ।

श्री एस० एम० बनर्जी : पाकिस्तान विश्वमत, विशेषकर मुस्लिम देशों और अरब देशों का पक्ष जीतने का प्रयास कर रहा है और मैं उनके आज के स्टेट्समैन में छपे वक्तव्य की दृष्टि से एक बात जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जिस वक्तव्य का आपने उल्लेख किया है वह भिन्न है । अत: मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह उन भारतीयों का मामला है जिन्हे पाकिस्तान ने रोक रखा है और जिनकी रिहाई पाक युद्धबन्दियों के साथ संबद्ध है ।

अध्यक्ष महोदय : इतने दूर मत जाईये । कृपया संगत प्रश्न पूछे ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या सरकार ने बांगला देश सरकार के साथ उन पाकिस्तानी युद्धबन्दियों को छोड़ने का निर्णय किया है जिनके विरुद्ध कोई मामला लम्बित नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह संगत नहीं है । आप पृथक रूप से प्रश्न भेज सकते हैं ।

श्री शंकरराव सावंत : पाकिस्तान में हमारे बन्दियों के साथ किस प्रकार का अमानवीय व्यवहार किया जाता है ?

श्री स्वर्ण सिंह : बन्दी बनाकर उन्हे गोली मार देने, यातना देने और अनेक कई प्रकार के अमानवीय व्यवहार की हमें शिकायतें मिली हैं ।

श्री शंकरराव सावंत : कितने व्यक्तियों को गोली मार दी गई है ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमें लगभग 12 मामलों की सूचना मिली है ।

श्री नरेंद्र कुमार सांधी : क्योंकि जानकारी प्राप्त करने के लिये अमानवीय ढंग अपनाये गये हैं । तो क्या यह मामला संयुक्त राष्ट्र में उठाया गया है ताकि आगे ऐसा न हो ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है ।

श्री माधुर्य्य हालदर : क्या हम भारतीय युद्धबन्दियों को उतने ही पाकिस्तानी युध्द बंदी छोड़ कर मुक्त करा सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो अमानवीय व्यवहार के बारे में हैं । क्या आदान-प्रदान से यह व्यवहार रूक सकता है ?

श्री स्वर्ण सिंह : शायद सदस्य महोदय भूल गये हैं कि जहां तक पाकिस्तान में भारतीय युद्ध-बन्दियों का प्रश्न है, सभा में बताया जा चूका है कि वे केवल पश्चिमी क्षत्र में ही बन्दी बनाए गए थे और वे सभी यहां आ गए है । हो सकता है कुछ के बारे में पाकिस्तान के साथ हमारा विवाद हो परन्तु पाकिस्तान के अनुसार इस समय उनके पास हमारा कोई युद्ध बन्दो नहीं है । अत: इस प्रश्न का अब कोई आधार नहीं है ।

इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी का पुनर्नवीकरण

+
*628. **श्री गिरिधर गोमांगो** :
श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी का पुनर्नवीकरण करने के बारे में 46 करोड़ रुपए की राशि का व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है जिससे यह वर्ष 1976 तक अपने दस लाख टन उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी को आर्थिक दृष्टि से समर्थ बनाने की काफी गुंजाइश है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) कार्यक्रम की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) कच्चे माल विशेषतया कोयला तथा लोह खनिज की हैंडलिंग सुविधाओं में सुधार करना ;

(2) कोक भट्टी बैटरी संख्या 7, 8, 9 की गर्म हालत में आपात आधार पर मरम्मत करना और संख्या 7 बैटरी का पुर्ननिर्माण करना;

(3) धमन भट्टियों के लिये एक नये 'लेडल हाउस' का निर्माण करना;

(4) खुले मुंह की भट्टियों तथा कन्वर्टरों की मरम्मत करना;

(5) भाप उत्पन्न करने की क्षमता में वृद्धि और इस प्रकार विद्युत उत्पादन की क्षमता वृद्धि करना ;

(6) क्रेन तथा ग्रोउन्ड चार्जर जैसे हैन्डलिंग उपस्करों की पुनःस्थापना करना ;

(7) रेल के डिब्बे का पूरी तरह से आधुनिकीकरण तथा पुनर्स्थापन करना;

(8) आयल फायरिंग की सुविधाओं की व्यवस्था करना ।

(ग) जी, हां ।

श्री गिरिधर गोमांगो : इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में किन महीनों के संबंध में यह कार्यक्रम लागू किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमार मंगलम) : विभिन्न मदें, जिनपर यह कार्यक्रम लागू होता है, विवरण के पैरा (ख) में दी गई हैं । संक्षेप में कच्चे माल संबंधी सुविधा कोयला संयंत्र से संबंधित है जहां गत 20 वर्ष से काम कर रहे हो 'टाइटन' क्रेन बदले जाने हैं । यही स्थिति 'हेमर मिल' के संबंध में भी है । कोक भट्टी बैटरी संख्या 7, 8, 9 की गर्म हालत में मरम्मत और 7 नम्बर बैटरी का पुर्ननिमाण हो चुका है । मद संख्या 3 का कारण कम उपलब्धता है जो 'बोडी' इस्पात कार्यों की दशा खराब होने के कारण हुई है । अन्य मदों में विस्तृत कार्यक्रम उपकरणों के पुराना हो जाने के कारण अपनाया गया है ।

श्री गिरिधर गोमांगो : भाग (ग) के उत्तर में बताया गया है कि कोयला और लोह अयस्क के मामले में हैंडलिंग सुविधाएँ काफी सुधर जाएंगी । मैं जानना चाहता हूँ कि इस समय देश में राज्यवार कच्चे माल का कुल कितना उत्पादन होता है और क्या सरकार पांचवीं योजना में देश में कच्चे माल का पूरा उपयोग कर पायेगी ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम ऐसा कर सकेंगे । जहां तक संयंत्र की मरम्मत और इसे पुनः ठीक ठाक करने का संबंध है, यह इसलिए किया जा रहा है ताकि हम इनका अधिकतम उपयोग कर सकें ।

डा० रानेन सेन: जब इस कम्पनी का सरकारीकरण किया गया था तो इस सभा में तथा बाहर कहा गया था कि संयंत्र में कुप्रबंध है और श्रम संबंध खराब है । तो क्या इस कम्पनी को नया जीवन देने में इन दोनों बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने कुप्रबंध के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों को हटाने और औद्योगिक संबंध बेहतर बनाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : सदस्य महोदय को विदित है कि अरविन्द राय को इसका नया कस्टोडियन नियुक्त किया गया था जिसका इस कम्पनी से पहले कोई संबंध नहीं है । उन्होंने नया वाणिज्यिक विषय नियुक्त किया, जिसे बहुत दक्ष अधिकारी माना जाता है । महाअधीक्षक भी लाया गया है जो पहले राउरकेला इस्पात कारखाने में था । कुछ अधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगाए गए थे । वे या तो त्यागपत्र देकर चले गए या सेवामुक्त हो चुके हैं । इस संबंध में हमने काफी कड़ी कार्यवाही की है ।

डा० रानेन सेन : औद्योगिक संबंध सुधारने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : मेरे विचार में मैंने इसका भी उत्तर दे दिया है क्योंकि बन्ध के पुनर्गठन की बात मैं बता ही चुका हूँ ।

Shri Achal Singh: I want to know when the four Public Sector Steel Plants would start giving full production ?

Mr. Speaker : This question relates to I.I.S.C.O.

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : मरम्मत और नवीकरण के कार्यक्रम से हमें आशा है कि 10 लाख टन की नियत क्षमता का लक्ष 1975-76 तक प्राप्त हो जाएगा ।

Areas rich in high quality Bauxite reserved for making Alumina

*629 **Shri B. S. Chawhan :** Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state whether the areas rich in high quality bauxite have been reserved for making alumina there ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : देश के उच्च श्रेणी बाक्साइट निक्षेप साधारणतया एलूमिनियम उद्योग के लिये आरक्षित किए गए हैं ।

Shri Bharat Singh Chawhan : High quality Bauxite has been found in Bilaspur district of Madhya Pradesh and this was being used in Private sector . I want to know the action proposed to be taken by Government to save this industry?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमार मंगलम्) : बिलासपुर जिले के बाक्साइट निक्षेप पूर्णतया सरकारी क्षेत्र द्वारा निकाले जाएंगे, अर्थात भारत एलुमिनियम कंपनी द्वारा ।

Shri Bharat Singh Chawhan: Whether the Centre propose to set up an aluminium factory to exploit the 21 lakh tonnes of bauxite reported by the Survey being conducted in Sarguja district ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : इस समय सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश में कोरबा परियोजना पूरी करने में लगा हुआ है और उसके शहडोल जिले के अमर कंठा और बिलासपुर जिले में भारकोपहाड़ स्थित निक्षेपों का उपयोग किया जाएगा । जहां तक अन्य निक्षेपों का संबंध हैं हम उनका विकास करेंगे क्योंकि संशोधन उपलब्ध हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

Alleged Indian interference in Pakistan's internal affairs

*630. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Pakistan has threatened that if India interfered in her internal affairs, the Simla Agreement might be broken; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in response thereto?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार का ध्यान इस आशय के प्रेसिडेंट भुट्टो के वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है ।

(ख) इस वक्तव्य में किसी विशुद्ध काल्पनिक स्थिति का उल्लेख किया गया है जिसका कोई आधार नहीं है क्योंकि सरकार पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल न देने की नीति पर बराबर चल रही है ।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know as to how many times Pakistan have violated Simla Agreement and the provisions of the agreement ?

श्री स्वर्ण सिंह : समझौते के मूल भाग के अन्तर्गत जम्मू और कश्मीर में रेखांकन किया जाना था और यह कार्य पूरा हो चुका है, सेनाओं की वापसी हो गई है। शिमला समझौते के अन्दर यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रावधान था जिसे कार्यरूप देना था। समझौते में शेष समस्याओं का सहमत हल निकालने के विचार से आपस में बात-चीत करने की व्यवस्था है। यह सच है कि पाकिस्तानी नेता अपने विचारों तथा वक्तव्यों में बहुत उग्र विचारधारा अपनाते हैं और उन्होंने कई ऐसे वक्तव्य दिये हैं जो शिमला समझौते की भावना के अनुरुप नहीं है।

Shri Onkar Lal Berwa : Sir, may I know upto what time the Government will continue to be giving oxygen to this dead Simla Agreement and for what time they will wait for it ?

Mr. Speaker : It is not dead.

श्री स्वर्ण सिंह : यह मरा हुआ नहीं है, न ही हम इसे कोई आक्सीजन दे र हैं। यह पारस्परिक विवादों को तय करने का एक दस्तावेज है जिसमें ठोस सिद्धान्त दिये गये हैं और मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि वह परिस्थिति के तथ्यों पर न जायें अपितु मामले पर निष्पक्ष रूप से विचार करें।

Shrimati Sabodrabai Rai : Sir, I would like to know whether Pakistani people take away the Cattles of our farmers...

Mr. Speaker : Kindly sit down. You need not bother, you are in Madhya Pradesh.

श्री पी० वेंकटासुब्बया : हर बार राष्ट्रपति भुट्टो तथा अन्य पाकिस्तानी नेता अपनी गलतियों को भारत के मत्थे मढ़ते हैं। क्या जैसा कि आजके समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है पाकिस्तान, भारत तथा बंगलादेश को निकट लाने का वर्तमान कार्य चीन के प्रधानमंत्री द्वारा आरम्भ किया गया है। यदि ऐसा है, तो क्या भारत में इस सम्बन्ध में अपने प्रयासों को जारी नहीं रखा है कि पाकिस्तान और बंगला देश बिना किसी के हस्तक्षेप के, कम से कम बिना चीन के हस्तक्षेप के, अपनी समस्याओं को द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से निपटायें ?

श्री स्वर्ण सिंह : चीन ने अभी तक हमें त्रिपक्षीय बैठक का कोई सुझाव नहीं दिया है। मैंने प्रेस समाचार नहीं देखा है यदि कोई ऐसा समाचार है, तो यह अनुमान पर आधारित है। चीन ने इस सम्बन्ध में भारत से अभी तक कोई सम्पर्क स्थापित नहीं किया है।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि भारत और पाकिस्तान के विवाद अथवा मतभेद शिमला समझौते के अनुसार पारस्परिक वार्ता तथा समझौतों के द्वारा निपटाये जायें। हम इसी नीति का अनुसरण कर रहे हैं।

श्री पी० जी० मावलंकर : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शिमला समझौते बहुत कुछ गतिरोध की स्थिति में रहा है और समझौते की भावना तीव्र गति से लुप्त होती जा रही है तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति निरन्तर धमकियां दे र हैं और विश्व के विभिन्न समाचारपत्रों को अन्तर्विरोधी वक्तव्य दे रहे हैं, भारत सरकार पाकिस्तानी प्रचार के विरुद्ध तथा भारत के सही रवैये पर बल देने के लिये सुदृढ़ और सख्त कार्यवाही क्यों नहीं करती है ? शिमला समझौते के संबंध में यह एकपक्षीय कार्यवाही कब तक चलती रहेंगी ? क्या सरकार का विचार पाकिस्तान की चालबाजियों का उत्तर देने का नहीं है ? हमारी सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच है कि राष्ट्रपति भुट्टों के वक्तव्य सदैव ही शिमला समझौते के अनुकूल नहीं होते; उनमें बहुत से अन्तर्विरोध होते हैं । परन्तु मैं माननीय मित्र को स्मरण करता हूँ कि जब भारत के प्रेस संवाददाताओं ने उनसे उनके अन्तर्विरोध वक्तव्यों के विषय में पूछा तो उन्होंने एकवक्तव्य दिया जिसमें कहा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत से अन्तर्विरोध हैं और उनका जन्म भी इन्हीं परिस्थितियों में हुआ है । इस स्पष्ट वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति भट्टो के विभिन्न अन्तर्विरोधी वक्तव्यों का विरोध करना कठिन है । समय समय पर दिये जाने वाले विभिन्न वक्तव्यों पर विचार करने के बजाय पाकिस्तान ने हमें जो अपने विचार बताये हैं हम उन्हीं के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं । मरे विचार से पाकिस्तान के प्रचार तथा वहाँ के और अन्य देशों के समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों पर बहुत अधिक चिन्तित नहीं होना चाहिये । ये बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं, इन्हें प्रचार मात्रा से नहीं निपटाया जा सकता । शिमला समझौते में समझौते के लिये एक आधार दिया गया है । मुझे विश्वास है कि प्रचार मात्र से समस्या नहीं सुलझा सकते । इसी लिये हमने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किये और हमें ऐसे प्रयत्न करने चाहियें कि पाकिस्तान इसका अनुसरण करे और पारस्परिक स्वीकार्य समझौते तथा पारस्परिक स्वीकार्य समाधान खोजे जायें । इन महत्वपूर्ण मामलों को कोई विदेशी सत्ता नहीं सुलझा सकती है, जिन्होंने भारत तथा पाकिस्तान के सम्बन्ध बिगाड़ दिये हैं ।

बंगला देश के विस्थापितों को दी जाने वाली राहत सहायता में वृद्धि

*631. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान अब बंगला देश से आये विस्थापितों को नकद और राहत सहायता की मात्रा में वृद्धि करने का निर्णय ले लिया है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय को नवगांव और माना शिविरों के निवासियों से इस प्रकार की राहत सहायता में वृद्धि करने के सम्बन्ध में एक याचिका प्राप्त हुई; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ग) राहत सहायता भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बांगला देश) से आए केवल उन्हीं विस्थापित व्यक्तियों को दी जाती है जो शिबिरों में रहा रहे हैं । इस तरह की सहायता की मात्रा को बढ़ाने के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

(ख) पुनर्वास विभाग को कोई लिखित याचिका प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री बी० के० दासचौधरी : मंत्री महोदय का उत्तर आश्चर्यजनक है । मैं केवल यह बात जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि गत जनवरी माह में पुनर्वास मंत्रालय के उप-मंत्री ने माना शिबिर का दौरा किया था और यदि हां तो क्या नवगांव शिबिर में उन्हें कोई ज्ञापन दिया था और क्या उनके मामलों पर मंत्रीमहोदय के साथ हुयी मेरी बैठकों तथा अन्य अवसरों पर मंत्रीमहोदय द्वारा मुझे दिये गये आश्वासनों के अनुसार विचार किया जा रहा है । इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए गरीब विस्थापितों को राहत सहामतों देने पर विचार करने में कितने महीने अथवा कितने वर्ष और लगेंगे ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : माननीय सदस्य ने जिस ज्ञापन की बात की है, जो माना शिबिर के अध्यक्ष द्वारा तत्कालीन उप-मंत्री को दिया गया था, उस सम्बन्ध में इस समय मेरे पास जानकारी नहीं है । मैं इस विषय में जानकारी प्राप्त करूंगा । हमारे पास यह जानकारी है कि माननीय सदस्य ने स्वयं विभिन्न मामलों विशेषतया इस विषय पर, ध्यान दिलाने के लिये इस विभग को एक पत्र लिखा था । मैं माननीय सदस्य के पत्र का संदर्भ देना नहीं चाहता । मैं सभी याचिकाओं का आदर करता हूँ और इसका सन्दर्भ न देने के लिये माननीय सदस्य मुझे क्षमा करेंगे ।

जहाँ तक 6 सदस्यों के परिवार की बात है, उन्हें 70 रुपए नहीं 72 रुपए सहायता के रूप में दिये गये हैं, 6 से अधिक सदस्यों के परिवार को 75 रुपए, 80 रुपए देने का विचार है। शरणार्थियों को रियायती दर पर राशन दिया जा रहा है। जिन व्यक्तियों को रोजगार प्रदान नहीं किया गया है उनके मामलों पर भी विचार किया जा रहा है। किस को 200 ग्राम राशन दिया जाता है। इसकी मात्रा बढ़ाने तथा अन्य मामलों पर वित्त मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है।

श्री बी० के० दासचौधरी : मेरे विचार से मंत्रीमहोदय ने मंत्रालय से सारी सूचनायें प्राप्त नहीं की हैं। माना शिबिर के मामले में यह सच नहीं है कि उन्हें रियायती दरों पर राशन दिया जाता है। मैं मंत्रीमहोदय से इस बात पर विचार करने के लिय अनुरोध करता हूँ कि क्या मंत्रालय के नियमानुसार उन्हें वित्तीय सहायता देने हेतु तुरन्त निर्देश जारी करना संभव है? रियायती दर पर दिये जाने वाले राशन के सम्बन्ध में माना शिबिर के लिये कोई नीति निर्णय क्यों नहीं किया गया है। अन्यथा वहा सभी व्यक्तियों की कुछ ही दिनों में मृत्यु हो जायेगी।

श्री रघुनाथ रेड्डी : इस पर तुरन्त विचार किया जायगा।

श्री समर गुह : पुनर्वास के लिये कुल कितने शरणार्थी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे पुनर्वास के लिये कितने समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं और क्या सरकार ने पुनर्वास क लिये कोई समयबाधित कार्यक्रम बनाने का प्रयास किया हैं, यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

श्री रघुनाथ रेड्डी : हमारी जानकारी के अनुसार 23-3-1973 तक बंगला देश से 7547 परिवार आये हैं। इनमें से 4259 परिवार 17-3-1973 तक बशीरहाट से माना भेज दिये गये। इसके अतिरिक्त वे 313 परिवार जो एकबार शिबिरों को छोड़कर चल गये थे और फिर शिबिरों पुनर्वास स्थलों पर आय माना में भेजे गये हैं। बशीरहाट में 2,585 परिवार जांच के पश्चात् आगे भेजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराष्ट्र की दंडकारण्या परियोजना और चन्द्रपुर परियोजना में सीधे पहुँचाने वाले 248 परिवार भी आगे भेजे जाने की प्रतीक्षा कर रहेहैं। इनके अतिरिक्त 142 परिवार त्रिपुरा में पहुँचे हैं।

श्री समर गुह : 1971 से पहले भी हजारों शरणार्थी आये थे। मैं कुल संख्या जानना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये आपको अलग से नोटिस देना चाहिये। यह प्रश्न राहत सहायता की मात्रा बढ़ाने के विषय में है।

Shri Lalji Bhai : May I know the total amount of assistance proposed to be provided for the displaced persons from Bangla Desh and whether the Hon. Minister has received some complaints regarding corruptions and malpractices in these relief works?

श्री रघुनाथ रेड्डी : शिकायतें मिली हैं और हम उन पर गौर कर रहे हैं।

श्री ए० के० एम० इसहाक : राहत सहायता के रूप में केन्द्रीय सरकार ने अब तक ऐसी कुल कितनी धनराशि व्यय की है। जो अलाभकारी कार्यों पर लगायी गई है? क्या यह राशि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले सभी परिवारों के लिये पर्याप्त होती। सरकार पश्चिम बंगाल में राजनैतिक अस्थिरता पैदा करने क लिय इस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि की अनुमति कब तक देती रहे ी?

श्री रघुनाथ रेड्डी : प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर में शरणार्थियों को आगे भेजने के प्रश्न के उत्तर में दे चुका हूँ। पहले भाग के संबंध में इस समय मरे पास जानकारी नहीं है। मैं माननीय सदस्यके पास इसे भिजवा दूंगा।

Setting up of Steel Plants in the Country

*633. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether any decision has been taken by the Government to set up some new steel plants in the country;

(b) if so, the names of the States where these plants will be set up; and

(c) whether efforts have also been made for seeking foreign collaboration therefore, and if so, the names of those countries as also the arrangements for investment of capital in these Steel Plants?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) और (ख) जी, नहीं। तमिलनाडु में सेलम, आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम और मैसूर राज्य में हास्पेट के निकट विजयनगर में लगाए जा रहे तीन नए इस्पात कारखानों को छोड़कर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। परन्तु दीर्घावधि इस्पात विकास कार्यक्रम के संबंध में स्टील आथरिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा कुछ विविध क्षेत्रों के बारे में प्रारंभिक तकनीकी-आर्थिक अध्ययन करने का प्रस्ताव है।

(ग) इस समय उपर्युक्त तीन इस्पात प्रायोजनाओं के लिये कोई विदशी सहयोग प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कुछ संयंत्र तथा उपकरणों का आयात करने तथा कुछ जटिल उत्पादों के निर्माण क लिये तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के प्रश्न पर उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा।

Shri Dhan Shah Pradhan : Sir, may I know whether these new plants are being set up in backward area ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) विशाखापटनम तथा हास्फेट दोनों ही औद्योगिक दृष्टि से विकसित क्षेत्र नहीं है। मेरे विचार से विशाखापटनम को पिछड़ी हुआ क्षेत्र भी नहीं कहा जा सकता परन्तु फिर भी निश्चित रूप से यह उद्योग समृद्ध क्षेत्र नहीं है। जहां तक विजयनगर का प्रश्न है, यह निश्चित रूप से एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां बहुत थोड़ें से उद्योग हैं। दक्षिण में सलेम भी प्रमुख औद्योगिक केन्द्र नहीं समझा जाता है।

Shri Dhan Shah Pradhan : May I know whether the Government have given any assurance regarding opening of coal mines in Bijapur region of Shahadol district with the capital of Rs. 6 lakns whicn is said to be blocked there ? Is there any change in Government's policy and now they have no idea to start Bijapuri Coal Mines May I also know whether they Governments propose to set up steel plant in backward areas of Vindhy Pradesh like Riva, Satna, Shahdol or other backward areas ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : जहां तक मेरी जानकारी है, कोयला खान के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। जहां तक उद्योग आरम्भ करने का प्रश्न है, इतने बड़े प्रश्न में मैं हां या न कहने का स्थिति में नहीं है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि मैंने कोई आश्वासन नहीं दिया है।

राष्ट्रमंडल देशों के साथ भारत के सम्बन्धों का मूल्यांकन

*634. **श्री समर गुह :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रमंडल देशों के साथ भारत के सम्बन्धों का मूल्यांकन किया है;

(ख) क्या ब्रिटेन द्वारा यूरोपीय साझा बाजार में प्रवेश करने से भारत की राष्ट्रमंडल के प्रति वचनबद्धता का उद्देश्य समाप्त हो गया है; और

(ग) भारत के राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहने के राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्रपाल सिंह) : (क) भारत सरकार, समय समय पर, राष्ट्रमंडल सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निकायों में भारत की सदस्यता की समीक्षा करती रहती है।

(ख) यह सही है कि यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय साझा बाजार में प्रवेश के कारण, भारत-यू० के० व्यापार के परम्परागत ढांचे पर, जिसमें राष्ट्रमंडलीय रियायतें शामिल हैं प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है फिर भी यू०के० के सक्रिय सहयोग से इस प्रभाव को कम से कम करने के लिये प्रयत्न जारी हैं।

(ग) आर्थिक, सांस्कृतिक और वित्तीय क्षेत्रों में सहयोग के कारण राष्ट्रमंडल के सदस्यों को अनेक लाभ होते हैं। इसके कुछ उदहारण है:—राष्ट्रमंडलीय दूर संचार समझौता, राष्ट्रमंडलीय तकनीकी सहायता कार्यक्रम राष्ट्रमंडलीय वायु यातायात (तकनीकी सूचना) परिषद, राष्ट्रमंडलीय (शिक्षा) प्रतिष्ठान/राष्ट्रमंडल सभी महाद्वीपों के राष्ट्रों और सभी धर्मों और जातियों का संघ है अतः अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विचारों के आदान प्रदान का यह एक उपयोगी मंच भी है।

श्री समर गुह : राष्ट्र मंडल, ब्रिटिश साम्राज्य के स्मारक संस्थान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। पता नहीं यह कलंक कब तक...

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिये। अन्यथा उत्तर देने से पहले ही प्रश्न काल समाप्त हो जायगा।

श्री समर गुह : विभिन्न देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों की बदलती हुयी पद्धति के संदर्भ में राष्ट्रमंडल की सदस्यता कौनसी राजनैतिक उद्देश्य सुनिश्चित कराती है।

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति कभी स्थिर नहीं रहती है। यह बदलती रहती है और बदलती हुई अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में विचारविमर्श करने के लिये स्वतंत्रदेशों को एक साथ मिलकर बैठना चाहिये। अतः अफ्रिका, अफ्रिका के बहुत से देश राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, एशिया तथा कनाड़ा—यह भी राष्ट्रमंडल का एक सदस्य हैं जो स्वतंत्र नीति लेकर चलता है, के विचार जानने के उद्देश्य से राजनैतिक उद्देश्य भी पूरा होता है। अतः विचारों के आदन-प्रदान के उद्देश्य के लिये एक फोरम का होना सदैव लाभप्रद है।

श्री समर गुह : मंत्री महोदय ने बहुत से देशों के नाम लिये हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि ये देश केवल ब्रिटिश साम्राज्य की दासता के इतिहास के ही प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं यह बात जानना चाहता हूँ कि विशेषतया ब्रिटेन तथा योरोपिय देशों की परिवर्तित आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में हमें राष्ट्रमंडल की सदस्यता बनाये रखने से क्या आर्थिक तथा सांस्कृतिक लाभ हो रहे हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : मूल प्रश्न के उत्तर में इसका उत्तर दिया जा चुका है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

श्रीलंका की यात्रा करने के लिए प्रधान मंत्री को निमन्त्रण

*621. **श्री एम० एस० पुरती :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को श्रीलंका आने का निमंत्रण दिया गया है;

(ख) क्या श्रीलंका ने वहां रह रहे भारतीय मूलक नागरिकता विहिन व्यक्तियों की समस्या के हल के लिये प्रधान मंत्री के विचार भी जानने चाहे हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी , हां ।

(ख) श्री लंका और भारत के प्रधान मंत्री इस मामले में एक-दूसरे के साथ संपर्क बनाए हुए हैं ।

(ग) दोनों सरकारें 1964 के भारत-श्रीलंका करार पर अमल सुनिश्चित कराने की दृष्टि से पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है । जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, इस करार में श्रीलंका के भारत मूलक राज्यविहीन लोगों के मसले पर चर्चा हुई है ।

राष्ट्रपति निक्सन का पाकिस्तान को भारत में पाकिस्तानी युद्धबन्दियों को रिहा कराने में सहायता देने का आश्वासन

***622 श्री एच० एन० मुकर्जी :**
श्री एम० एस० संजीवी राव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रपति भुट्टो के विशेष दूत श्री गुलाम मुस्तफ़ा खान द्वारा वाशिंगटन से वापसी के बाद हाल ही में दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि राष्ट्रपति निक्सन ने पाकिस्तान को आश्वासन दिया हैं कि वह भारत में पाकिस्तानी युद्धबन्दियों को शीघ्र रिहा कराने के लिये अपनी सद्भावना का उपयोग करेंगे; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :(क) जी हां, सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं।

(ख) सरकार तो यह मानती है कि इस उपमहाद्वीप की समस्याओं को बिना किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के सम्बद्ध पक्षों के बीच सीधी बातचीत से ही सबसे अच्छी तरह तय किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमरिका के सरकारी प्रवक्ताओं के कई वक्तव्यों में भी ऐसा विचार प्रकट किया गया है ।

भारत द्वारा युगोस्लाविया से युद्ध-पोतों की खरीद

***627. श्री नवल किशोर शर्मा** :क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत यूगोस्लाविया से तीन युद्ध-पोत खरीद रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन युद्ध-पोतों का कितना मूल्य होगा और इसमें कितनी विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है; और

(ग) ये युद्ध-पोत कब तक भारत में आ जायेंगे ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कुल खनिज उत्पादन और उसके निर्यात में उड़ीसा की स्थिति

*632. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के कुल खनिज उत्पादन और निर्यात में उड़िसा की क्या स्थिति है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : 1971 और 1972 के दौरान खनिज उत्पादन के मूल्य के राज्य-वार क्रम में उड़ीसा का छटा स्थान है ।

(i) 1972 के दौरान भारत में कुल खनिज उत्पादन के संदर्भ में उड़ीसा की स्थिति; और

(ii) 1972 के दौरान खनिजों क निर्यात हेतु समस्त भारत तथा उड़ीसा के प्रेषणों;

को दर्शित करने वाले दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं । [**ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 4725/73 ।**]

श्रमजीवी पत्रकारों के लिये तीसरे मजूरी बोर्ड की नियुक्ति

*635. **डा० गोविन्द दास रिछारिया :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने श्रमजीवी पत्रकारों के लिये एक और मजूरी बोर्ड नियुक्त करने के प्रश्न पर कोई अंतिम निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां , तो इसके निदेश-पद क्या होंगे ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Take over of M/s Indian Copper Corporation Limited

***636. Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Steel & Mines** be pleased to state :

(a) whether Government have taken over M/s. Indian Copper Corporation Limited on the 20th March 1972 ;

(b) if so, the amount of investment made by Government therein; and

(c) the amount of compensation paid or proposed to be paid by Government to the said Corporation and the manner in which it has been paid or proposed to be paid ?

The Minister of Steel & Mines (Shri S. Mohan Kumar managalam) : (a) The Management of the Undertaking of Indian Copper Corporation Ltd., was taken over w.e.f. 10th March 1972. The undertaking of Indian Copper Corporation Ltd., was acquired w.e.f. 21-9-1972 through Indian Copper Corporation (Acquisition of Undertaking) Act, 1972. The assets and liabilities of the undertaking of Indian Copper Corporation have been transferred to Hindustan Copper Limited w.e.f. 21-9-1972.

(b) During 1972-73, the estimated amount of capital expenditure is Rs. 169 lakhs. Besides this, an expenditure of Rs. 100 lakhs has been incurred on normal maintenance and replacement operations. The Government has received expansion schemes for Surda and Pathagora Mines, etc. These proposals are under the consideration of the Government.

(c) An amount of Rs. 4,78,225 was paid to M/s Indian Copper Corporation Limited for the period 10-3-72 to 20-9-1972 at the rate of Rs. 75,000 per month. As per sub-section (1) of section 11 of Indian Copper Corporation (Acquisition of Undertaking) Act, 1972, an amount of Rs. 7.5 crores was paid in cash to M/s Indian Copper Corporation Ltd., for the acquisition of its undertaking.

कोसीपुर आर्डनेंस फैक्टरी और इच्छापुर गन फैक्टरी में उत्पादन

*637. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार कोसीपुर आर्डनेंस फैक्टरी/इच्छापुर गन फैक्टरी में रक्षा संबंधी सामग्री के अलावा इंजिनियरिंग सामग्री का उत्पादन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) तथा (ख) : जी हां, श्रीमन । सरकार की यह नीति है कि रक्षा सेवाओं की मांगों को पूरा करने के उपरान्त उपलब्ध फालतू क्षमता का उपयोग सिविलियन प्रयोग में आने वाली मदों के उत्पादन के लिए किया जाय । इस नीति के अनुसार गन एण्ड शैल फैक्टरी, कोसीपुर तथा राइफल फैक्टरी इच्छापुर सिविल सरकारी विभागों/उपक्रमों तथा निजी सिविल मांग कर्ताओं के लिए पहले से माल का उत्पादन करती रही है तथा जहां तक संभव होगा उत्पादन करती रहेगी। रायफल फक्टरी इच्छापुर पहले से ही सिविल प्रयोग के लिए आखेट के लिए शस्त्रास्त्रों का उत्पादन तथा विपणन कर रही है ।

जेनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन

*638. **श्री सी० जनार्दन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 25 देशों के जेनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन ने अब तक कितनी प्रगति की है ;

(ख) इस सम्मेलन में निरस्त्रीकरण के बारे में इस समय किन विशिष्ट प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है ;

(ग) क्या चीन और फ्रांस ने सम्मेलन में भाग लेने से इन्कार कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण संधि पर समझौता कराने के अपने प्रमुख कार्य को पूरा करने में निरस्त्रीकरण समिति सम्मेलन अभी तक कोई प्रगति नहीं कर सका है । परन्तु आंशिक या आनुषांगिक उपायों पर समिति में हुए विचार-विमर्श के फलस्वरूप निम्नलिखित संधियां की गई हैं ;

(1) समुद्र-तल और महासागर-तल में तथा उसके नीचे अणु अस्त्रों तथा सामूहिक विनाश के अन्य अस्त्रों को जमा करने पर रोक संबंधी संधि ;

(2) जीवाणु (जैविकी) और जीव विष संबंधी अस्त्रों के विकास, उत्पादन और उनके जमा करने पर रोक के लिए तथा उन्हें नष्ट करने के लिए संधि ;

(ख) निरस्त्रीकरण समिति सम्मेलन के वर्तमान सत्र में भूगर्भीय अणुपरीक्षणों और रासायनिक अस्त्रों पर रोक लगाने से संबंद्ध विचार-विमर्श को प्रमुखता दी जा रही है।

(ग) और (घ) : चीन निरस्त्रीकरण समिति का सदस्य नहीं है । फ्रान्स यद्यपि समिति का सदस्य है किन्तु उसने समिति के गठन के प्रारम्भ से ही इसके कार्य में भाग लेने से इनकार कर दिया है । विश्वास किया जाता है कि फ्रान्स अपनी इस मान्यता के कारण भाग नहीं ले रहा है कि निरस्त्रीकरण मुख्यतः अणु-अस्त्रों के निरस्त्रीकरण का प्रश्न है और इसमें अर्थपूर्ण विचार-विमर्ष केवल उन्ही राष्ट्रों के बीच हो सकता है जिनके पास अणु-अस्त्र हैं ।

भारी उद्योग के किसी भी कारखाने से विहिन राज्य

*639. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जहां भारी उद्योग का एक भी करखाना नहीं है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इनमें से प्रत्येक राज्य में भारी उद्योग का कम से कम एक कारखाना स्थापित करने का है ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी०ए० पाई) :(क) और (ख) इस मंत्रालय की अधिकार सीमा के अधीन उद्योगों के एकक जिन राज्यों में नहीं है वे ये हैं, आसाम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मनिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब तथा त्रिपुरा । इनमें से किसी राज्य में भी सरकारी क्षेत्र में कोई विशेष भारी उद्योग हाल में ही स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पाकिस्तानी युद्धबन्दियोंकी रिहाईके बारे में प्रधान मंत्री के विचारों को गलत ढंग से पेश करने का समाचार

*640. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों की रिहाई के बारे में प्रधान मंत्री के विचारों को "गार्डियन" के संवाददाता द्वारा गलत ढंग से पेश किये जाने के समाचार के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : जैसें ही अखबार में छपी गलत रिपोर्ट सरकार के ध्यान में लाई तभी "गार्डियन" के संवाददाता वाल्टर खांर्ज के साथ प्रधानमंत्री के इन्टरव्यू का प्रामाणिक विवरण प्रेस को दिया गया । इसमें आगे कोई कार्यवाही करनी आवश्यक नहीं समझी गयी ।

कलकत्ता गोदी श्रमिको द्वारा भख हडताल

6100. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता गोदी श्रमिकों ने अपनी 13 सूत्री मांगों के समर्थन में नई दिल्ली में 26 फरवरी 1973 को भूख हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने श्रमिकों की मांगों पर विचार कर लिया है, यदि हां, तो उनकी उचित मांगे स्वीकार करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) :(क) रिले भुख हड़ताल की सूचना दी गई थी परन्तु यह की नहीं गई ।

(ख) मांगे, सामान्यतः कलकत्ता में कुछ वर्गों के गोदी श्रमिकों की सेवा की शर्तों में सुधार से सम्बन्धित थीं। मुख्य मांग 1970-71 वर्ष के लिए $8\frac{1}{3}\%$की दर से बोनस के भुगतान से सम्बंधित थी ।

(ग) गोदी श्रमिकों की सेवा की शर्तों की सुधारने के प्रश्न की सरकार द्वारा निरंतर पुनरीक्षा की जा रही है। 1970-71 के लिए $8\frac{1}{3}\%$ की दर से बोनस के भुगतान की मुख्य मांग पर सरकार सचेष्ट विचार कर रही है।

इण्डियन नेवल फंड में से गबन

6101. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में 1961 में "इंडियन नेवल फंड" में से 500,000 डालरों के गबन के मामले में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) भूतपूर्व जज एडवोकेट जनरल (नेवी) श्री ई० ई० झीराड को 1959 और 1961 के बीच नौसेना पराइज फंड से 8,42,457.50 रु० के गबन के आरोप में 4-8-72 को न्यूयार्क में गिरफ्तार किया गया था। श्री झीराड की वापसी के लिए सरकार द्वारा कारवाई आरम्भ की गई हैं और इसमें प्रगति हो रही है।

नये इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिये 'टास्क फोर्स' की बैठक

6102. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात सचिव द्वारा 5 मार्च, 1973 के बुलाई गई एक उच्च स्तरीय 'टास्क फोर्स' की बैठक में पांच नये इस्पात संयंत्रों के स्थापना स्थलों के सम्बन्ध में सिफारिश की गई थी ;

(ख) क्या एक भूतपूर्व इस्पात सचिव ने, जो कि बैठक में उपस्थित थे, मैसूर में कुद्रेमुख के निकट एक संयंत्र लगाने के लिए जबर्दस्त अनुरोध किया था ; और

(ग) 'टास्क फोर्स' ने कौन-कौन से स्थापना-स्थल सुझाए हैं और प्रत्येक स्थल पर नए संयंत्र की स्थापना की समय-तालिका क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) संभवत: अभिप्राय इस्पात सचिव की अध्यक्षता में 6 मार्च, 1973 में लोहे और इस्पात (पांचवी योजना) की टास्क फोर्स की बैठक की ओर है। इस्पात क्षमता के दीर्घावधि कार्यक्रम के संदर्भ में प्रारंभिक अध्ययन कराने के लिए कुछ संभावित स्थलों पर विचार किया गया था इनमें एक वह स्थल भी सम्मिलित था जो संभवत: कुद्रेमुख लोह खनिज भंडारों पर आधारित होगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) टास्क फोर्स की सिफारिशों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

युद्ध बन्दियों के मामले को हल करने के लिए विदेशों से मध्यस्थता के प्रस्ताव

6103. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सरकार ने भारत और बंगला देश के साथ पाक युद्ध-बंदियों के मामले को हल करने में पाकिस्तान को अपने प्रभाव का प्रयोग करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका ने सरकार को इस बारे में संकेत दिया है ; और

(ग) क्या किसी अन्य देश ने भी इस मामले में मध्यस्थता का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और इस बारे में सम्बन्धित पक्षों अर्थात बंगलादेश, भारत और पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) राष्ट्रपति भुट्टो के विशेष दूत, श्री गुलाम मस्तफा खार ने हाल की वाशिंगटन यात्रा के बाद इस आशय का जो वक्तव्य दिया था उस की रपोर्ट सरकार ने देखी है ।

(ख) और (ग) युद्ध-बंदियों के प्रश्न पर मध्यस्तथा का कोई औपचारिक प्रस्ताव सरकार को किसी भी देश से नहीं मिला है ।

इस्पात संयंत्रों के लिए अधिकृत भूमि के लिये क्षतिपूर्ति

6104. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला:** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन व्यक्तियों के नामों की कोई तालिका तैयार की है जिनकी भूमि देश में इस्पात संयंत्रों के निर्माण के लिए सरकार ने अधिगृहीत की थी

(ख) उन में से कितने व्यक्तियों को, भूमि की क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त, इस्पात संयंत्रों में नौकरी दी गई है ; और

(ग) क्या उन व्यक्तियों की संख्या का पता लगाने के लिए संयंत्र-अनुसार सूची देखी गई है जिनको क्षति पूर्ति भी नहीं दी गई है और उसकी कुल राशि क्या है और कितने व्यक्तियों को अभी नौकरियों में लिया जाना है और यह कब तक कर लिया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) किसी प्रायोजना के लिए भूमि-अर्जन का कार्य सम्बधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और इसके लिए मुआवजा वास्तव में राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा दिया जाता है । राज्य सरकार को मुआवजा के रूप में देय राशि का भुखतान प्रायोजना प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है । तदनुसार ऐसे व्यक्तियों के नामों की सूचि जिनकी भूमि अर्जित की गई है और यह जानकारी कि क्या वास्तव में इन सब को मुआवजा दे दिया गया है राज्य सरकार के पास उपलब्ध होगी ।

जहां तक नौकरी देने का सम्बन्ध है सरकारी उपक्रमों के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीति में यह व्यवस्था की गई है कि अकुशल कामगारों और कुशल कामगारों, लिपिकों तथा अन्य गैर तकनीकी कर्मचारियों जिनके वेतनमान अपेक्षाकृत पत्रों पर भर्ती के मामले में प्रायोजन के लिए प्राप्त की गई भूमि के विस्थापितों को प्राथमिकता दी जाती है बशर्ते कि वे मूल योग्यताएँ और अनुभव रखते हो । पदों की सूचना रोजगार कार्यालयों को दे दी जाती है । विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार कार्यालयों में नाम दर्ज कराने पडते हैं । अतः स्थानीय अधिकारियों द्वारा उनको उनके विस्थापित व्यक्ति होने के बारे में दिए गए प्रमाण-पत्रों के आधार पर नौकरी देने के प्रश्न पर विचार किया जाता है । तदनुसार यह जानकारी कि प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को नौकरी दी गई है अथवा नहीं इस्पात कारखानों के प्राधिकारियों के पास उपलब्ध नहीं होगी ।

फिर भी, इस्पात कारखानों द्वारा सम्बन्धित राज्य सरकारों को दी गई मुआवजा की राशि और उन विस्थापित व्यक्तियों की संख्या, जिनको नौकरी दी जा चुकी है, की जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

साउंड रेंजिंग सिस्टम इक्विपमेंट से विदेशी मुद्रा की बचत

6105. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि साऊंड रेंजिंग सिस्टम इक्विपमेंट का देश में ही निर्माण करने से कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): यह उपस्कर अभी तक उत्पादन के लिये नहीं लगाया गया है । अतः विदेशी मुद्रा की बचत नहीं बताई जा सकती है ।

Licences Granted to under Developed areas of Madhya Pradesh under Industries (Development and Regulation) Act

6106. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the names of the under-developed areas in Madhya Pradesh State as also the names of mines in these areas and the licenced capacity thereof and the dates on which licences were granted to each of them under the Industries (Development and Regulation) Act;

(b) the production during the last three years;

(c) the date on which permission was granted last time to each of those mines for full expansion; and

(d) whether production has declined and if so, the extent to which production has declined in each mine indicating the reasons if any, therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) to (d) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Iron and Steel supplied to Rolling Mills of Madhya Pradesh

6107. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the mill-wise quantity of iron and steel (iron ingots and iron scrap/dust) supplied to the various rolling mills of Madhya Pradesh during the last three years, year-wise; and

(b) the production of the said mills from the raw material supplied to them during the said period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel & Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) to (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Coal Mines Welfare Fund Benefit to coal field workers in Madhya Pradesh

6108. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Labour and rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the employees working in the coal fields of Madhya Pradesh have not been getting any benefit from the Coal Workers Welfare Fund for many years; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : (a) No sir, Coal Mines Workers of Madhya Pradesh region are getting various facilities like medical, housing, water supply, educational and recreational etc. extended by the Coal Mines Labour Welfare Organisation.

(b) Does not arise.

Violation of Coal Mines Regulation Act by Mine owners in Madhya Pradesh

6109. Shri G. C. Dixit. : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether most of the mine owners in Madhya Pradesh have continuously been violating the Mines Regulation Act;

(b) if so, the number and names of mine owners who violated the Mines Regulation Act during the Last three years; and

(c) the action taken against them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Problems of Textile and Engineering workers in Madhya Pradesh

6110. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) The action taken by Government to ensure that the problems of taxtile and engineering workers in Madhya Pradesh are solved; and

(b) the number of workers affected as a result of closure of 31 factories during (1970-71 and 1971-72 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : (a) & (b) The matter falls essentially in the State sphere.

दण्डकारण्यपरियोजना का चिकित्सा विभाग

6111. श्री आर० वी० बड़े : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना के चिकित्सा विभाग के विभिन्न अनुभागों के लिए विशिष्ट उपकरणों और विशेषज्ञों के पदों की बहुत पहले ही मंजूरी दे दी गई थी किन्तु अब तक किसी विशेषज्ञ की नियुक्ति नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या उपकरण कब-कब खरीदे गये हैं और कितने विशेषज्ञों के पद कब से रिक्त पड़े हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विशेषज्ञों की शीघ्र नियुक्ति करने का विचार है, यदि हां, तो कब ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) दण्डकारण्य परियोजना प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार दण्डकारण्य परियोजना के चिकित्सा विभाग के विभिन्न अनुभागों के लिए आवश्यक विशिष्ट उपकरणों की समय समय पर मंजूरी तथा खरीद की जाती है। 1963, 1964 और 1967 में विभिन्न स्तरों पर कार्डियोलोजिकल उपकरण की मंजूरी दी गई थी तथा खरीद की गई थी। 1963 में रेडियोलोजीकल उपकरण तथा एम० एम० आर० खरीदे गए थे। 1965 में डटल यूनिट और औथल्मिक खरीदे गए थे। 1961, 1964 और 1966 में विभिन्न स्तरों पर शल्यचिकित्सा तथा योन रोग के उपकरण खरीदे गए थे। तथापि, यह सत्य नहीं है कि अब तक किसी विशेषज्ञ को नियुक्त नहीं किया गया है केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ ग्रेड के तीन अधिकारी अर्थात मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सर्जन और तपेदिक

विशेषज्ञ इस समय कार्य कर रहे हैं। विशेषज्ञों के ये पद तथा साथ ही पथोलौजिस्ट तथा जयानोकोलौजिस्ट के पदों को दण्डकारण्य परियोजना द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ सेवा योजना में सम्मिलित होने से पूर्व सितम्बर 1966 में ही भर लिये गए थ। पथोलोजिस्ट विशेषज्ञ का पद 24-4-1969 से और जयानोकोलौजिस्ट का पद 19-8-1969 से खाली पडे हैं क्योंकि इन पदों को केन्द्रीय स्वास्थ सेवा के केडेर में शामिल कर लिया गया है और स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय द्वारा इन पदों को भरने के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं खोजा जा सका है। रेडियोलौजिस्ट विशेषज्ञ का पद 26-11-1962 से खाली पड़ा है। इस पद के लिए किसी व्यक्ति को चुनने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध किया गया है। फीजीशियन-एवं-सुपरिन्टेडेण्ट तथा औप्थौल्मिक सर्जन के पद क्रमश: नवम्बर 1970 और नवम्बर 1971 से खाली पड़े हैं। इन पदों के लिए भी संघ लोक सेवा आयोग से मांग की गई है और उनके नामांकन की प्रतीक्षा की जा रही है।

शिमला-समझौते के पश्चात् भारत-पाक सम्बन्ध

6112. कुमारी कमला कुमारी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान, चीन और अमरीका के अधिक निकट जा रहा है और शिमला-समझौते के पश्चात भारत के साथ इसके सम्बन्ध खराब होते जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) चीन के साथ पाकिस्तान के सम्बन्ध पिछले कुछ वर्षों से घनिष्ट रहे हैं और अब भी वैसे ही चल रहे हैं।

अमरीका के साथ पाकिस्तान के सम्बन्ध के विषय में, अमरीका सरकार द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र दिए जाने पर लगाए गए प्रतिबन्ध हटाने के दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय को लेकर हमारी सरकार ने चिंता प्रकट की है।

भारत-पाकिस्तान के सम्बन्धों के बारे में स्थिति यह है कि जम्मू तथा कश्मीर में नियंत्रण रेखा के सीमांकन एवं शिमला समझौते के अधीन सेना की वापसी के पश्चात् भारत सरकार के प्रयत्नों के बावजूद बहुत कम प्रगति हुई है। इसका मुख्य कारण इस उपमहाद्वीप की स्थिति की वास्तविकताओं को पाकिस्तान द्वारा मान्यता नहीं देना है। फिर भी, सरकार शिमला-समझौते की व्यवस्थाओं को क्रियान्वित करने के लिए सभी सम्भावनाएं खोजने का निरन्तर प्रयास कर रही है।

20 बड़े उद्योग गृहों को सरकारी उपक्रमों के लिये आरक्षित खनन पट्टे देना

6113. कुमारी कमला कुमारी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों और सरकारी खनिज विभागों क लिए आरक्षित कुछ खनन पट्टे बड़े उद्योग-गृहों को दे दिए गए हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों में 20 बड़े उद्योग-गृहों को वर्ष 1972 में दिए गए पट्टों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

बड़े उद्योग-गृहों पर खनन पट्टों की बकाया राशि

6114. कुमारी कमला कुमारी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े उद्योग-गृहों से खनन-पट्टों के सम्बन्ध में सभी प्रकार की कुल कितनी राशि लेनी बकाया है,

(ख) क्या 1972 में 20 बड़े उद्योग-गृहों ने देय कुल राशि का भुगतान नहीं किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस वर्ष उनसे कुल कितनी बकाया राशि वसूल की जानी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

भारी औद्योगिक एककों के लिये समान भर्ती-नीति

6115. **श्री वयालार रवि** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारी औद्योगिक एककों के लिए एक समान भर्ती-नीति बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) देश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विभिन्न पदों पर भर्ती सरकार द्वारा इस हेतु बनाई गई सामान्य नीति के अनुसार की जाती है। केवल भारी उद्योगों के लिये भर्ती नीति तैयार करने का कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल को श्रम संविदा सामतियां (लेबर कन्ट्रक्ट सोसायटीज) सम्बधी योजनाए

6116. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली**: क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार से ठेके पर विभागीय काम करने हेतु प्रत्येक ताल्लूक में श्रम संविदा समितियां (लेबर कन्ट्रैक्ट सोसाइटीज) बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव/योजना प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आसाम में ढलवां लोहे की चादरों की कमी

6117. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में गत अनेक वर्षों से ढलवा लोहे की चादरों की भारी कमी है ;

(ख) गत तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों को कितनी लोहे की चादरों का आवंटन किया गया है ; और

(ग) राज्यों की ढलवों लोहे की चादरों का किस आधार पर आवंटन किया जाता है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) सम्भवतः अभिप्राय जस्ती नालीदार चादरों से है। इस समय इन चादरों की उपलब्धि अपेक्षाकृत अच्छी है।

(ख) और (ग) वर्तमान वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्यवार आवंटन नहीं किये जाते हैं। मुख्य इस्पात उत्पादकों से इस्पात के प्रेषण का (जस्ती नालीदार चादरें भी शामिल हैं) विनियमन इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा इस्पात के अन्ततः उपयोग (जिसके लिये इसकी मांग की गई हो) उपलब्धि तथा स्पर्धी मांगों को ध्यान में रख कर किया जाता है। फिर भी गत तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों को जस्ती नालीदार चादरों के प्रेषणों के ब्यौरे प्राप्त किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

पूर्ति और निपटान के महानिदेशालय द्वारा नियुक्त नीलामकर्ताओं को कमिशन देना

6118. **श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :** क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच नीलामी के ठेकों में पूर्ति और निपटान के महानिदेशालय द्वारा नियुक्त किए गए नीलामकर्ताओं को किस दर से कमीशन दिया गया है ; और

(ख) क्या गत ठेके में दिया गया कमीशन इन नीलामकर्ताओं की अनिवार्य पूर्वापेक्षित आवश्यकताओं के अनुसार तथा मूल्य सूचकांक में वर्तमान अत्यन्त अधिक वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए उचित समझा जाता है ; और

(ग) यदि हाँ, तो ऐसे दरों को स्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

पूर्ति मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दे दी गई है। **(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4726/73।)**

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नीलामी करने के ठेके

6119. **श्रीमती ज्योत्स्ना चंदा :** क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भावी नीलामकर्ताओं द्वारा दिये गये निर्धारित आढ़त के न्यूनतम दर ही महानिदेशक पूर्ति तथा निपटान द्वारा ठेकों को नीलामी हेतु स्वीकृति दिये जाने का मुख्य मापदंड है ;

(ख) यदि नहीं, तो ठेकों को नीलामी की स्वीकृति देते समय अन्य किन-किन शर्तों को ध्यान में रखा जाता है ; और

(ग) नीलामी का अन्तिम ठेका देते समय क्या सरकार द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पूरी तरह पालन किया गया था, यदि नहीं, तो ठेके की अब तक अपनाई गई प्रक्रिया का उल्लंघन किये जाने के क्या कारण हैं ?

पूर्ति मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) नीलामी-ठेकों को स्वीकृति देते समय जिन अनिवार्य शर्तों को ध्यान में रखा जाता है वे निम्नलिखित हैं :—

(1) नीलामकर्ता के रूप में पहले अनुभव का समुचित प्रमाण ;

(2) सरकारी धन के व्यवहार हेतु ठोस वित्तीय स्थिति ;

(3) वैध आयकर शोधन पत्र ;

(4) उचित आचरण की पुलिस रिपोर्ट; तथा

(5) कमीशन की प्रतियोगी तथा व्यवहार दरें ।

(ग) जी, हां ।

इस्पात की ट्यूबों का निर्माण

6120. डा० गोविन्द दास रिछारिया : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात की ट्यूबों का निर्माण करने वाले कारखानों की संख्या क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों में देश में वर्षवार कुल कितनी इस्पात की ट्यूबों का निर्माण किया गया है;

(ग) क्या कुछ आवेदकों, जिन्हें इस्पात की ट्यूबों का निर्माण करने के लिए पंजीकृत किया गया था, के मामले बहुत समय से सरकार के पास अनिर्णित पड़े हैं, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) कितने मामले 1969 से अनिर्णित पड़े हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उद्योग के संगठित क्षेत्र में इस समय 16 एकक इस्पाती ट्यूबों का निर्माण कर रहे हैं ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में संगठित क्षेत्र में इस्पाती ट्यूबों का उत्पादन निम्नलिखित था :—

1970 .	2,15,578 मी० टन
1971	2,34,133 मी० टन
1972	3,27,219 मी० टन

(ग) तथा (घ) इस्पाती ट्यूबों के निर्माण हेतु पंजीकरण के लिए कोई भी आवेदन अब सरकार के पास अनिर्णित नहीं पड़ा हुआ है ।

Illumination of Building on Republic Day

6121. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether various Government and private buildings were not illuminated on 1973-Republic Day; and

(b) if so, the reasons therefore ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b) On the occasion of this year's Republic Day Celebrations, the Government buildings, etc., were not illuminated due to over-all power shortage and drought conditions in certain parts of the country.

रिवाल्वरों और कारतूसों की सर्वसाधारण को बिक्री

6122. श्री एस० एन० मिश्र : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सर्वसाधारण को बेचने के लिए पिस्तौल, रिवाल्वर और उनके कारतूस बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से छोटे शस्त्र खरीदने के लिए मिल रहे हैं और कहां से तथा कैसे ; और

(ग) ऐसे छोटे शस्त्रों के विक्रय मूल्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) आर्डनेन्स कारखानों में इस समय पिस्तौल और रिवाल्वर नहीं बनाए जाते हैं । तथापि सिविलियनों के प्रयोग के लिए तथा सेनाओं के लिए आवश्यक . 32 की पिस्तौलों का निर्माण करने के लिए एक मिश्रित परियोजना के लिए संस्वीकृति दी जा चुकी है और लगभग 4 वर्ष के समय में उसका उत्पादन शुरू हो जाने की आशा है ।

रजिस्टर्ड आर्म्स तथा अम्युनिशन डीलरों द्वारा सर्व साधारण को बेचे जाने के लिए आर्डनेंस कारखानों में .32 "रिवाल्वर लाग" तथा .32 "एथलीटिक स्टार्टर" कारतूसों का निर्माण किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मजूरी का पुनरीक्षण

6123. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 फरवरी, 1973 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "बहुगुणा वान्ट्स वेजेस रिवाइज्ड (बहुगुणा जी मजूरी में पुनरीक्षण चाहते हैं)" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) निर्दिष्ट की गई समाचार-पत्र की रिपोर्ट में संचार मंत्री के व्यक्तिगत विचार हैं और उन्हें नोट कर लिया गया है।

हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन में हानि के बारे में समाचार

6124. **श्री राम कंवर :**
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, लिमिटेड के कार्यकरण के बारे में 29 नवम्बर, 1972 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या समाचार में प्रबन्धकों की गम्भीर भूल पर ध्यान दिलाया गया है जिसमें सरकारी धन की भारी हानि हुई है ;

(ग) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यकरण के बारे में कोई जांच कराई गई है ; और

(घ) उसका सारांश क्या है और यदि जांच विकास द्वारा दिये गये प्रस्तावों पर कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां। हिन्दुस्तान टाइम्स में "एच० ई० सी० : ए लम्बरिंग जायन्ट" के शीर्षक से तीन किस्तों में एक लेख प्रकाशित हुआ था। पहली किस्त नवम्बर, 1972 को प्रकाशित हुई थी।

(ख) लेख में भारी इंजीनियरी निगम के प्रबन्धकों पर कुछ चूकों का दोषारोपण किया गया है जिनके परिणामस्वरूप भारी हानियां हुई।

भारी इंजीनियरी निगम को हुई हानियों के लिए उसके प्रबन्धकों को पूर्णतया उत्तरादायी नहीं ठहराया जा सकता। इतने बड़े और जटिल संयंत्रों में परिचालन के प्रारम्भिक वर्षों में हानि होना अवश्यम्भावी है। मुख्यत: हानियां बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश और लम्बी जैस्टेशन अवधि के कारण हुई जिससे व्याज, मूल्य ह्रास और ऊपरी खर्चों का बोझ बढ़ गया। कुछ सीमा तक उत्पादन की धीमी गति से वृद्धि के कारण भी हानियां हुई जिसके अनेक कारण थे। इनमें मालिक-मजदूर सम्बन्ध अच्छे न होना और भारी इन्जीनियरी निगम के संयंत्रों के परिचालन के प्रारम्भिक चरणों में प्रबन्ध की त्रुटियां भी शामिल हैं।

(ग) भारी इंजिनियरी निगम के कार्य-करण की सरकार निरन्तर समिक्षा करती है। भारी इन्जीनियरी निगम के कार्यकरण की सावधिक सांमीक्षा करने के लिए अप्रैल 1971 में मंत्रालय में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। सरकारी उपक्रम समिति ने भी भारी इन्जीनियरी निगम के कार्यकरण की दो बार (1967 और 1971) विस्तृत जांच की थी। सरकारी उद्यमों के लिए सरकार द्वारा बनाई गई एक कार्यसमिति ने भी मई/जून, 1972 में भारी इन्जीनियरी निगम के कार्यकरण की जांच की थी।

(घ) विभिन्न अध्ययनों से पता चला कि मुख्य कमियां मालिक-मजदूर सम्बन्ध अच्छे न होना, उपयुक्त उत्पादन योजना और नियन्त्रण न होना, सामान प्राप्ति की दोषयुक्त प्रणाली, मैटीरियल हैन्डलिंग और रख-रखाव की त्रुटियां, बड़ी मात्रा में माल का रिजेक्शन, श्रमिकों और मशीनों का काफी समय तक बेकार रहना, प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी और प्रबन्ध को मजबूत बनाने की आवश्यकता थी। इन कमियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं / उठाए जा रहे हैं :—

(1) मालिक-मजदूर सम्बन्धों को बेहतर बनाने के लिए कामगारों की शिकायतों को यथाशीघ्र दूर किया जाता है, न्यायोचित कार्मिक नीति लागू की जा रही है और पदोन्नति के तरीकों को नियमबद्ध किया जा रहा है।

(2) भारी इन्जीनियरी निगम द्वारा प्रत्येक कर्मशाला के लिए मदानुसार उत्पादन की विस्तृत योजना बनाई गई है और इसका पूरी तरह पालन किया जा रहा है।

(3) सामान की प्राप्ति और उसके इस्तेमाल सम्बन्धी प्रक्रिया को दोषरहित बनाया गया है। सामान की कमी के कारण नष्ट होने वाले समय की बचत हेतु माल की प्राप्ति, प्रेषण और इसके हिसाब रखने का काम संगणकों की सहायता से किया जा रहा है। प्रशासकीय स्टाफ महाविद्यालय, हैदराबाद, की सिफारिशों को जिसने भारी इन्जीनियरी निगम की प्रार्थना पर इसके फाउण्ड्री फोर्ज प्लांट में सामान के इस्तेमाल और रख-रखाव के बारे में अध्ययन किया था कार्यान्वित किया जा रहा है।

(4) क्वालिटी पर कठोर नियन्त्रण रखने और रिजेक्शन की बड़ी प्रतिशतता को कम करने के लिए उत्पादन को टेक्नालिजी शीट्स में दी गई विशिष्टियों के बिल्कुल अनुरूप करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त मजदूरों तथा फर्स्ट लाइन सुपरवाइजरों को गहन प्रशिक्षण दिया जाता है और विशिष्टियों के अनुरूप उत्पादन करने के आधार पर प्रोत्साहन दिया जाता है।

(5) श्रमिकों तथा मशीनों के बेकार समय को कम करने के विचार से टाइम पंचिंग क्लार्क की मदद से समय का हिसाब रखने की प्रणाली लागू की गई है तथा निश्चित क्षेत्रों में दो/तीन पालियों में उत्तरोत्तर काम करना आरम्भ किया जा रहा है। उचित प्रेरणा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना को चरणों में लागू किया जा रहा है।

(6) भारी इंजीनियरी निगम द्वारा रेलवे की कर्मशालाओं सहित अन्य स्रोतों से प्रशिक्षित कार्मिक लेने की संभावना पर विचार किया जा रहा है।

(7) सरकार ने मई, 1972 में फाउण्ड्री फोर्ज कारखाने तथा भारी मशीन बनाने वाले कारखाने के लिए नए महा-प्रबन्धक नियुक्त किये थे। आशा है कि एक नये निदेशक (वित्त) की नियुक्ति भी शीघ्र ही की जाएगी। भारी इंजीनियरी निगम ने महा-प्रबन्धक (उत्पादन, आयोजन तथा नियंत्रण) मुख्य अभियन्ता (उत्पादन तथा आयोजन) तथा सिस्टम मैनेजर जैसे अन्य महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए भी कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

औद्योगिक सम्बन्धों के विनियमन के लिये नये श्रम विधान

6125. श्री पी० गंगादेव :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र को राज्य सरकारों की ओर से अनेक ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें राज्य सरकारों ने अपने क्षेत्रों में औद्योगिक सम्बन्धों के विनियमन के लिए नए श्रमिक विधानों के बनाने के लिए अनुमति मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों ने प्रस्ताव भेजे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) पाँच राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हो गए थे ।

दण्डकारण्य परियोजना के कार्यकारी इंजीनियर के विरुद्ध सतर्कता के मामले

6126. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना के उमरकोट स्थित सैण्ट्ल डिवीजन के वर्तमान कार्यकारी इंजीनियर के विरुद्ध कुछ सतर्कता मामले दायर किये गये थे ; यदि हां, तो कब ;

(ख) क्या उसके विरुद्ध सतर्कता के मामलों के बावजूद उसकी पदोन्नति कर दी गई थी ;

(ग) क्या सतर्कता के मामलों को अन्तिम रूप दे दिया गया है और कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी दूतावासों द्वारा शस्त्रों की तस्करी

6127. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में शस्त्रों की तस्करी के लिए किसी विदेशी दूतावास द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों की जानकारी है ; और

(ख) यहां आन्तरिक विद्रोहों को बढ़ावा देने के लिए विदेशी दूतावासों द्वारा शस्त्रों की तस्करी को रोकने के लिए कौन से कदम उठाये गये हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) सरकार किसी व्यक्ति को किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए चोरी-छिपे हथियार लाने-ले जाने पर रोक लगाने की दृष्टि से सभी संभव कदम उठा रही है । सुरक्षात्मक कारणों से उन कदमों को बताना वांछनीय न होगा ।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा ऊर्जा आयोजन की तकनीक का परामर्श देने हेतु विशेषज्ञों की तालिका की स्थापना

6128. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने प्राकृतिक साधनों संबंधी संयुक्त राष्ट्र समिति से अनुरोध किया है कि वह विकासशील देशों के लाभार्थ ऊर्जा आयोजन की आधुनिक तकनीकों पर परामर्श देने के लिए विशेषज्ञों की एक तालिका स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव से सिफारिश करे ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर समिति की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) समिति ने भारत के प्रस्ताव तथा अन्य शिष्टमंडलों द्वारा प्रस्तुत कुछ दूसरे प्रस्ताव पर ध्यान दिया था, उनमें से किसी पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

आसनसोल स्थित इंडियन स्टैण्डर्ड वेगन कम्पनी में वैगनों का उत्पादन

6129. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल स्थित मैसर्स इंडियन स्टैण्डर्ड वैगन कम्पनी में उत्पादन गत तीन वर्षों से कम होता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या वैगनों के उत्पादन में कमी की जांच करने के लिये सरकार द्वारा जांच समिति गठित की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला है और घाटे को पूरा करने के लिए उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार ने मेसर्स इण्डियन स्टेन्डर्ड वैगन कंपनी लिमिटेड के कार्यों की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने हाल में ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट विचाराधीन है।

आजाद हिन्द फौज के व्यक्तियों को दी गई सुविधायें

6130. **श्री विक्रम महाजन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजाद हिन्द फौज के व्यक्तियों को अब तक क्या सुविधाएं दी गई हैं ; और

(ख) क्या उनके आश्रितों को भी कोई सुविधाएं दी गई हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

1. भूतपूर्व भारतीय सेना के कार्मिक

1.1. सेना के अफसरों तथा सैनिकों को जो आज़ाद हिन्द फौज में शामिल हो गए थे भारत में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 3 वर्गों में नामतः गोरे, भूरे, तथा काले में विभाजित कर दिया था। गोरों को सेना में बहाल कर दिया गया था तथा भूरों को सेवा मुक्त कर दिया गया था तथा कालों को सेवा से बर्खास्त तथा/या सिद्ध दोष करार दे दिया गया था। शक्ति के हस्तांतरण के उपरान्त भारत सरकार ने भूरों तथा कालों के मामलों में पुनर्विचार किया है। सब अफसरों तथा सैनिकों को जिन्हें सिद्ध दोष किया गया था तथा बन्दी बनाया गया था मुक्त कर दिया गया था। बरखास्तगी के आदेशों को रद्द कर दिया गया था तथा उन्हें सेवा मुक्त के आदेशों में बदल दिया गया था जिससे कि आज़ाद हिन्द फौज के सदस्यों पर कोई दाग न रह जाय। पहले का वर्गीकरण अब प्रभावी नहीं है तथा किसी भी प्रकार की सरकारी सेवा के लिए कोई अवरोध नहीं है। इनको सेना में बहाल करने को नियम विरुद्ध माना गया क्योंकि यह लोग अनेक वर्षों तक सेना के सम्पर्क में नहीं रहे तथा उनकी बहाली से अनेक व्यावहारिक तथा मनोवैज्ञानिक उलझनें उत्पन्न हो जातीं।

1.2. उन मामलों में जहां सेवा से बर्खास्तगी को सेवा मुक्त/सेवा निवृत्ति में परिवर्तित किया गया था निम्नलिखित लाभ दिए गए थे : —

1. सेवा पेंशन/उपदान जो सामान्य नियमों के अनुसार सेवा मुक्त/सेवा निवृत्ति की तारीख तक कुल सेवा पर ग्राह्य थे ।

2. वर्तमान नियमों के अनुसार पूरा युद्ध उपदान जिसे सेवामुक्त होने की तारीख तक के लिए निर्धारित किया गया है ।

3. आजाद हिन्द फौज के साथ सेवा करते हुए विकलांग हुए कार्मिकों को तथा आजाद हिंद फौज के साथ सेवा करते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वालों के आश्रितों को 400 रुपए से 800 रुपये के मध्य एक मुश्त अनुदान मंजूर किया गया ।

4. निम्नलिखित तदर्थ वित्तीय सहायता दी गई :—

अफसर	1,500 रुपए
जे० सी० ओ०	500 रुपए
एन० सी० ओ० .	220 रुपए
अन्य रैंक . .	160 रुपए
एन० सी० एस० ई० . .	120 रुपए

5. जप्त किए गए वेतन तथा भत्ते ।

6. पुनर्नियुक्त पेंशनरों के मामलों में पेंशन को पुनः स्थापित कर दिया गया ।

2. भूतपूर्व सेना कार्मिकों को जो आज़ाद हिन्द फौज में शामिल हो गए थे और उनके आश्रित वे सभी लाभ पाने के पात्र हैं जो सामान्यतः अन्य भारतीय सेना के कार्मिकों तथा उनके आश्रितों को असनिक जीवन में पुनर्वास के लिए दिए जाते हैं जैसे असैनिक जीवन में पुनर्व्यवस्थापन तथा पुनर्वास के लिए इस उद्देश्य के लिए विभिन्न निधियों से निर्धारित दरों पर, आर्थिक सहायता, भूतपूर्व सैनिकों के लिए विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्यों की वस्तीकरण योजनाओं के अधीन मंजूर किए गए भूमि अनुदान, असैनिक नौकरी प्राप्त करने आदि में सहायता ।

2. **अन्य** (अर्थात् जो आजाद हिन्द फौज में शामिल होने के समय भारतीय सेना में नहीं थे ।)

1. 1961 में यह निश्चय किया गया था कि आजाद हिन्द फौज आन्दोलन में भाग लेना भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन के बराबर समझा जाना चाहिए । तदनुसार आजाद हिन्द फ़ौज के भूतपूर्व कार्मिक स्वतन्त्रता सैनानियों की तरह ही समझे जाते हैं और सरकारी सेवा में नौकरी के मामले में सहायता, वित्तीय सहायता, बच्चों को शिक्षा संबंधी रियायतें आदि पाने के पात्र हैं जैसे कि राजनैतिक पीडितों को प्राप्त हैं । राज्य सरकारों से यह नीति अपनाने का अनुरोध किया गया है और आजाद हिन्द फौज के कार्मिकों को राज्यों में वही रियायतें देने का अनुरोध किया गया है जो उनके क्षेत्रों में स्वतन्त्रता सेनानियों को मंजूर की जाती है ।

2. भारत सरकार ने स्वतन्त्रता सैनानियों के लिए एक नई पेंशन योजना मंजूर की है जो 15-8-72 से लागू हो गई है । आजाद हिन्द फौज में आन्दोलन में भाग लेने के कारण आजाद हिन्द फौज के जिन भूतपूर्व सैनिकों को देश के अन्दर अथवा बन्दी शिविरों आदि में, देश से बाहर 6 मास से अधिक अवधि के लिए कैद किया गया अथवा कैद में रखा गया, अथवा अपनी असैनिक/सैनिक नौकरी, जीवकोपार्जन का साधन खो दिया हो, वे आवेदन करने पर, इस योजना के अधीन पेंशन मंजूर किए जाने के पात्र हैं, बशर्ते उनकी वार्षिक आय 5,000 रुपय से कम है । ब्रिटिशरों के साथ लड़ते हुए जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे आजाद हिन्द फौज के उन भूतपूर्व सैनिकों के परिवार भी इस योजना के अधीन पेंशन मंजूर किए जाने के पात्र हैं । जो व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं हैं अथवा भारत में नहीं रह रहे हैं, वे इस योजना के अधीन पेंशन मंजूर किए जाने के पात्र नहीं हैं ।

भारतीय युद्धपोतों के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करने के लिये इंडोनेशिया सरकार से अनुरोध

6131. **श्री नवल किशोर शर्मा :**
श्री बरके जार्ज :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडोनेशिया सरकार ने भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और ये अभ्यास किस तारीख को और किस स्थान पर किये जाएंगे ;

(ग) दोनों ओर के कौन-कौन से युद्धपोत भाग ले रहे हैं ; और

(घ) क्या कुछ अन्य मित्र देश भी इसमें भाग लेंगे ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) से (घ) इन्डोनेशियाई नौसैना के नौसेनाध्यक्ष के सुझाव पर यह सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया गया है कि इंडोनेशियाई नौसेना और भारतीय नौसेना का एक संयुक्त अभ्यास किया जाए। तिथि एवं स्थान के ब्यौरे के बारे में तथा इस बारे में कि कौन-कौन से युद्ध-पोत उसमें भाग लेंग अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया। इस समय ऐसा कोई सुझाव नहीं है कि इस अभ्यास में कोई और देश भी सम्मिलित हो।

लौह अयस्क का उत्पादन बढ़ाने के लिये केन्द्रीय सरकार की गोआ को सहायता

6132. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार गोआ में लौह-अयस्क का उत्पादन बढ़ाने के लिय उसे सहायता देने पर विचार कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :गोआ में लौह अयस्क का उत्पादन बढ़ाने के लिए उस राज्य को सहायता देने का कोई विशिष्ठ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

मजगांव डाक लिमिटेड द्वारा बनाई गई पन-डुबी का अनुमोदन

6133. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में मजगांव डाक लिमिटेड द्वारा बनाई गई पन-डुब्बी अनुमोदन के संबंध में सरकार ने कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :(क) और (ख) मजगांव डाक लिमिटड, बम्बई ने अभीतक कोई पनडुबी नही बनाई है। अतः ऐसी पनडुब्बी के अनुमोदन के बारे में सरकार के निर्णय लेने का प्रश्न नहीं उठता।

चीन-जापान समझौते से उत्पन्न खतरा

6134. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नोवेस्ती प्रेस एजेंसी के विवरणकार (कमेंटेटर) के अनुसार चीन-जापान समझौते से उत्पन्न खतरे को ध्यान में रखते हुए एशिया में सामहिक सुरक्षा व्यवस्था के बारे में विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) हमारा मत यह है कि इस क्षेत्र के देशों को विषय में विभिन्न विचारों पर बातचीत करनी चाहिए और एक-दूसरे के साथ सलाह-मशविरा करके ऐसे तरीके और साधन ढूंढ निकालने चाहिए जिससे कि उनकी स्वाधीनता और प्रभुसत्ता सुरक्षित रखी जा सके और उनमें आपसे में सुदृढ़ सहयोग हो सके । जहां चीन और जापान के बीच मेल-मिलाप का संबंध है, सरकार सभी देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सुधार का और विश्व के इस भाग मे तनाव दूर करने में सहायक किसी भी कदम को उठाने का स्वागत करती है ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का घड़ी के पुर्जे बनाने के लिये जापान की सिटीजन वाच कम्पनी के साथ सहयोग

6135. **श्री के० मालन्ना :** क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्थान मशीन टूल्स ने घड़ियों के विभिन्न पुर्जें बनाने के लिये जापान की सिटीजन वाच कम्पनी के साथ सहयोग करार किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) हिन्दुस्थान मशीन टूल्स लिमिटेड का कलाई घड़ियां और उनके कुछ पुर्जे बनाने का जापान के सिटिजन वाचेज कंपनी के साथ एक सहयोग करार है। इस करार में मेन्टस्प्रिग, हेयर स्प्रिग और शाक एबजारवर जैसे नाजुक पुर्जे शामिल नहीं हैं।

मशीन टूल्स के निर्माण के लिये मलेशियाई पार्टी के साथ एच० एम० टी० का सहयोग

6136. **श्री के० मालन्ना :** क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स मशीनी औजारों के निर्माण के लिये मलेशिया की एक पार्टी के साथ सहयोग करने वाला है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्विस कम्पनी के साथ घड़ियों के पुर्जे बनाने के लिये एच० एम० टी० की बातचीत

6137. **श्री के० मालन्ना:** क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने घड़ियों के पुर्जे बनाने के लिये स्विस कम्पनी के साथ कोई बातचीत की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत में बनाये जाने वाले ट्रैक्टरों मे आयातित पुर्जों की प्रतिशतता

6138. **श्री ओंकार लाल बेरवा** :क्या **भारी उद्योग** मंत्री ट्रैक्टरों के निर्माण के बारे में 8 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2438 के भाग (खंड) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में बनाये जाने वाले ट्रैक्टरों में कितने कितने प्रतिशत आयातित पुर्जों का उपयोग किया जाता है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : इस समय देश में बनाये जाने वाले ट्रैक्टरों के आयातित पुर्जों (फालतू पुर्जों का नहीं) का प्रतिशत निम्नप्रकार है :—

	निर्माता एककों के नाम	आयातित पुर्जों की प्रतिशत
(1)	मै० इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स कं० आफ इंडिया लि० बम्बई (इंटरनेशनल बी-275) (35 एच० पी०)	10.0%
(2)	मै० ट्रैक्टर्स एण्ड फार्म इक्विपमेंट लि० मद्रास (एम०एफ०-1035 एच०पी०)	8.5%
(3)	मै० एस्कॉर्टस् लि० फरीदाबाद (एस्कॉर्ट-25-35एच० पी०) .	12.0%
(4)	मै० ईश्वर ट्रैक्टर्स इंडिया लि० फरीदाबाद (ईचर 26.5एच०पी०)	8.7%
(5)	मै० एसकार्ट ट्रैक्टर्स लि० फरीदाबाद (फोर्ड-46एच०पी०) .	50.0%
(6)	मै० हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लि० बड़ौदा एच०डब्ल्यु०डी०-50 (50 एच०पी०	26.0%
	एच०डब्ल्यु०डी०-35 (35 एच०पी०) . . .	45.0%
(7)	दी हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० पिंजौर (जेटर-2011/2511) (25 एच० पी०)	67.5%

नेपाल को आपाती ऋण दिया जाना

6139. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 10 करोड़ रुपये का आपाती ऋण उपलब्ध करने का नेपाल सरकार का अनुरोध स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह ऋण केवल भारत में खर्च करने में उपयोग में लाया जायेगा । वास्तविक रूप से ली गई रकम पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से ब्याज लगेगा, इसके अलावा ऋण की जो रकम नहीं ली जाएगी उस भाग पर प्रतिवर्ष आधा प्रतिशत के हिसाब से वचन प्रभार लगेगा।

भूमि अर्जन के लिए दिया गया मुआवजा

6140. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रक्षा** मंत्री 1 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1418 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2215, 193 एकड़ निजी भूमि के लिये न्यायालय द्वारा दिलाये गये अतिरिक्त मुआवजे सहित कुल कितना मुआवजा दिया गया था; और

(ख) भूमि के प्रत्येक मालिक को कुल कितनी धनराशि मिली है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

Urdu Newspapers Published From Patna

6141. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of and names of the daily Urdu newspapers published from Patna;

(b) whether these newspapers have not implemented so far the Working Journalists Act and the recommendations of the Working Journalists Wage Board; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard and the result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : (a) to (c) Information is being collected.

सीसे और जस्ते की मांग पूरी करने की योजना

6142. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवाध में सीसे और जस्ते की मांग और उपलब्धता के बीच अन्तर को दूर करने के लिए एक बृहत योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या है, और वर्ष 1980 के अन्त तक में जस्ते की मांग कितनी होगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) पंचम पंचवर्षीय योजनावधि के अन्त तक जस्ता और सीसा की सम्भावित मांग क्रमशः 200,000 टन और 118,000 टन है। इसकी तुलना में विद्यमान उत्पादन क्षमता निम्नलिखित है :—

	प्रतिवर्ष अनुज्ञप्त क्षमता	वर्तमान वार्षिक उत्पादन
	(टनों में)	(टनों में)
हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (पब्लिक सेक्टर)		
देबारी जस्ता प्रद्रावक .	18,000	13,000
टुन्डू सीसा प्रद्रावक . . .	5,400	3,000
कोमिन को-बिनानी जिंक लिमिटेड		
(प्राइवेट सेक्टर) जस्ता . . .	20,000	14-15,000

4—9 L S S/73

इसके अतिरिक्त, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को, जैसे नीचे दर्शित किया गया है, दो प्रद्रावक, एक विजाग में तथा दूसरा देबारी में विद्यमान प्रद्रावक के विस्तारण के रूप में, स्थापित करने के लिए अनुज्ञप्त किया गया है ।

	अनुज्ञप्त वार्षिक क्षमता (टनों में)
विजाग जस्ता प्रद्रावक	
जस्ता	30,000
सीसा	10,000
देबारी विस्तारण	18,000

इन दो प्रायोजनाओं को 1975 के अन्त तक सम्पूरित किए जाने की संभावना है ।

अतः, 1976 में जस्ता उत्पादन क्षमता अर्थात् 86,000 टन और पंचम योजना के अन्त में जस्ता की अनुमानित मांग अर्थात् 200,000 टन के मध्य की दूरी को देश में अन्य जस्ता-प्रद्रावकों की स्थापना द्वारा दूर किया जा सकेगा । मामला सरकार के विचाराधीन है । इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि पंचम योजना के दौरान हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा, राजपुरा-दरीबा निक्षेपों पर आधारित लगभग 50,000 टन जस्ता और 10,000 टन सीसा की क्षमता वाले एक प्रद्रावक की स्थापना की साध्यता का परीक्षण किया जा रहा है । पंचम योजना के दौरान कोमिनको-बिनानी जिंक लिमिटेड द्वारा भी अपनी क्षमता के 20,000 टन वर्धित किए जाने की संभावना है ।

भारत बंगला देश मित्रता बढ़ाने के लिए गैर-सरकारी संस्था

6143. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बंगला देश और भारत के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को उत्तरोत्तर बढ़ाने के विचार से गैर-सरकारी स्तर पर कोई संस्था बनी हुई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : ऐसे बहुत से मैत्री संघ हैं जिनका उद्देश्य भारत और बंगला देश के लोगों के बीच मित्रता बढ़ाना है ।

उत्तर वियतनाम में अमरीकी बमबारी के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री के वक्तव्य के बारे में समाचार-पत्रों के टिप्पण

6144. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 फरवरी, 1973 के 'दी वाशिंगटन ईवनिंग स्टार' में प्रकाशित एक सम्पादकीय की ओर दिलाया गया हैं जिसमें यह कहा गया है कि प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी की उत्तर वियतनाम पर अमरीकी बमबारी की आलोचना का कारण हिन्द-चीन के बारे में पेरिस सम्मेलन में भारत को सम्मिलित न किया जाना हो सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में अमरीकी अखबार में छपी टिप्पणी देखी है ।

(ख) वियतनाम में अमरीकी बमबारी के बारे में हमारा विरोध कुछ सिद्धांतों एवं बहुत वर्ष पहले की कुछ तिथियों पर आधारित है। पेरिस सम्मेलन में हमारे शामिल होने या नहीं शामिल होने से इस का कोई संबंध नहीं है। सभी सम्बद्ध पक्षों की सामान्य स्वीकृति से आमन्त्रित किए जाने पर ही हम ऐसे सम्मेलनों में शामिल होना पसन्द करेंगे।

गैर-सरकारी क्षेत्र में कार बनाने वाली फर्मों को अधिकार में लेना

6145. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री भारत में बनी कारों के बारे में 15 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3436 के भाग (ख) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सस्ती और बेहतर किस्म की कारों का निर्माण करने की दृष्टि से गैर-सरकारी क्षेत्र में कार बनाने वाली फर्मों को अपने अधिकार में लेने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कोई विशिष्ट प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) सरकार इस विषय में तकनीकी-आर्थिक गुणावगुण, सामाजिक-आर्थिक लाभ और योजना में उद्योग को दी गई प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लेगी।

Meeting of Writers and Journalists with Prime Minister over P.O.Ws issue

6146. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether some writers and journalists met her recently and requested her that the Pak P. O. Ws. might be released; and

(b) if so, their names and the gist of the dicussion held ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) S/Shri Kushawant Singh, G. L. Mehta, Krishan Chander and Khwaja Ahmad Abbas called on the Prime Minister on March 5, 1973, to discuss possibility of releasing Pakistani P. O. Ws. early. Prime Minister informed them of the Government's well-known and principled stand in this matter.

Labour Welfare Centre Hospital, Jhumritilaiya, Bihar

6147. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of beds provided in hospitals for the labourers in Labour Welfare Centre, Jhumritilaiya, Bihar and whether there is provision for treatment of out-door patients there also;

(b) whether the number of doctors working therein is more that the requirement and the medicines are in short supply; and

(c) the difficulty being faced by Government in giving out-door patient treatment to others ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri.G. Venkatswamy) : (a) The Hospitals under the Mica Mines Labour Welfare Organisation at Karma (Jhumritilaiya) for the benefit of mica miners have provision for 150 beds. Facilities for treatment of out-door patients are also available.

(b) No, Sir.

(c) Persons other than mica miners are not entitled to the medical and other facilities provided under the Mica Mines Labour Welfare Fund Act. For their treatment at the Fund's hospitals and dispensaries, therefore, the State Government used to make a contribution. This did not adequately cover the expenditure incurred. They have, however, indicated now that a proposal for an increase in their contribution is under their consideration. Consequently the Fund is extending to the non-mica miners the facilities of treatment which they were getting previously.

पता न लगने वाली टैंक-भेदी सुरंगें बिछाने के लिए मेकेनिकल माइन-लेयर का विकास

6148. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय के पूना स्थित अनुसंधान तथा विकास संस्थान द्वारा टैंक भेदी पता न लगाने वाली सुरंगों को बिछाने के लिए एक मेकेनिकल माइन लेयर विकसित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मेकेनिकल माइन लेयर से बडे क्षेत्रों में तेजी से सुरंगें बिछाई जा सकेंगी ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान् ।

स्नातकों की रोजगार प्रणाली का पता लगाने के लिए नमूना सर्वेक्षण

6149. **डा० हरिहर प्रसाद शर्मा :**
श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में स्नातकों की रोजगार प्रणाली का पता लगाने के लिए कोई नमूना सर्वेक्षण शुरु किया है;

(ख) सर्वेक्षण की मुख्य बातें क्या हैं और इसके ठीक उद्देश्य क्या हैं;

(ग) यह कार्य किस एजेन्सी को सौंपा गया है तथा सर्वेक्षण के लिए व्यक्तियों अथवा क्षेत्रों का चयन किन आधारों पर किया जायेगा; और

(घ) सर्वेक्षण-कार्य अब तक पूरा हो जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) सर्वेक्षण की रिपोर्ट मार्च, 1974 के अन्त तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ।

विवरण

इस सर्वेक्षण का सम्बन्ध उन स्नातकों (स्नातकोत्तरों सहित) और इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी (स्नातकों के समकक्ष) में डिप्लोमा धारियों की रोजगार प्रणाली से है जिन्होंने वर्ष 1968 के दौरान देश के किसी भी विश्वविद्यालय, पोलिटैकनिक आदि से डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त किया था। सर्वेक्षण का उद्देश्य इन स्नातकों के रोजगार और शिक्षा के बीच सम्बन्ध स्थापित करना है।

योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आदि के प्रतिनिधियों से बनी निर्देशन समिति के तकनीकी मार्गदर्शन के अधीन यह सर्वेक्षण श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा किया जा रहा है। सर्वेक्षण के लिए स्नातकों का चयन निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है :—

(एक) सभी स्नातकोत्तर (डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त सहित), आनर्स सहित स्नातक, व्यावसायिक/तकनीकी विषयों में स्नातक तथा अन्य स्नातक जिन्होंने प्रथम श्रेणी प्राप्त की है।

(दो) द्वितीय श्रेणी पाने वाले स्नातकों का 50 प्रतिशत; और

(तीन) तृतीय श्रेणी पाने वाले स्नातकों और इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारियों का 25 प्रतिशत।

उपर्युक्त ताधार पर सर्वेक्षण के लिए नमूने के तौर पर चुने गयें स्नातकों के पतों की सूची सीधे ही विश्वविद्यालयों/कालेजों/पोलिटेक्निकों से प्राप्त की जाती है। इन स्नातकों को विहित प्रश्नावली डाक द्वारा भेजी जाती है।

Supply of inferior quality of Coal in Delhi

6150. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the consumers are getting coal dust and sand mixed in great quantity in the coal being sold at the shops in Delhi; and

(b) if so, the reasons for the supply of this inferior quality of coal ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Indians living in Nepal, Sri Lanka and Burma

6152. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state the number of people of Indian origin living in Nepal, Sri Lanka and Burma, separately ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : The information is as follows :

Burma	:	About 0.2 million
Sri Lanka		About 975,000
Nepal		Between 3 to 4 million.

भारतीय सेना की बटालियनों को प्रदान किए गए कलर और बैज

6153. **श्री नव किशोर शर्मा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना की अधिकांश बटालियनों और रेजीमेंटों के पास अभी वे "कलर" हैं, जो उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसी बटालियनों और रेजीमेंटों की संख्या कितनी है; और

(ग) इन बटालियनों और रेजीमेंटों में पुराने कलर समाप्त न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) सारी भारतीय सेना को कब तक नये "कलर" और बैज प्रदान कर दिए जायेंगे?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) तथा (ख) ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान किए गए सब "कलरों" को केवल चार रेजिमेंटों को छोड़कर प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

(ग) तथा (घ) "कलर" प्रदान करने के संबंध में स्वतंत्रता उपरान्त नीति को सरकार ने अगस्त 1962 में निर्धारित किया था। तब से सेना लगातार हमारे सीमाओं पर संक्रियाओं में व्यस्त रही है। चारों रेजिमेंटों के लिए नए "कलर" के डिजाइन का अनुमोदन राष्ट्रपति द्वारा किया जायगा तथा निर्धारित विशिष्टियों तथा डिजाइनों के अनुसार उनका निर्माण कराया जायेगा तथा तब उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा रेजिमेंटों को प्रदान किया जायगा। इस प्रक्रिया को यथा संभव शीघ्र पूरा करने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जायगा।

"ब्लैक दिसम्बर" संगठन द्वारा काठमाण्डू स्थित भारतीय मिशन को धमकी

6154. **श्री प्रभुदास पटेल :**
श्री गिरिधर गोमान्गो :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ब्लैक दिसम्बर" संगठन द्वारा दी गई धमकी को ध्यान में रखते हुए काठमाण्डू स्थित भारतीय मिशन को सुरक्षा सम्बन्धी अतिरिक्त सावधानियां बरतने के लिये कहा गया था; और

(ख) क्या भारतीय मिशनों की सहायता करने के लिए किसी सैनिक अधिकारी को काठमाण्डू भेजा गया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 20 फरवरी, 1973 को लंदन स्थित हमारे हाई कमीशन में हुई घटना के बाद काठमाण्डू समेत विदेश-स्थित हमारें सभी मिशनों से कह दिया गया है कि वे इस प्रकार की धमकियों का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा संबंधी विशेष निदेशों पर अमल करें।

(ख) जी, नहीं।

Jeeps released by Defence Department

6155. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of jeeps from Government quota released by Defence Department during 1971-72;

(b) whether the persons who have not gone in for such jeeps can still purchase them; and

(c) if so, up to which date ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) to (c) There is no Government quota of jeeps to be released by the Defence Ministry. Under the extant rules, apart from certain categories of institutions, Members of Parliament, State Legislatures and Metropolitan Council, Delhi, can obtain once during their tenure as Legislators a jeep or a motor-cycle from Defence discarded stocks at a predetermined price. Facilities also exist for the release of a discarded vehicle to an ex-serviceman or his widow once in his/her life time.

The number of jeeps released to the aforesaid categories of personnel during 1971 and 1972 is as under :—

1971 .. 600 nos.

1972 .. 353 nos.

विदेशों से स्वदेश वापस आये व्यक्तियों का उड़ीसा में बसाया जाना

6156. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970–71, 1971–72 और 1972–73 में उड़ीसा में विदेशों से स्वदेश आये व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि मंजूर की गई और उड़ीसा सरकार को कितनी राशि दी गई ;

(ख) ये व्यक्ति किन-किन देशों से स्वदेश वापस आये हैं; और

(ग) किन-किन पुनर्वास कार्यक्रमों पर यह राशि खर्च की गई?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) उड़ीसा में केवल बर्मा से आए प्रत्यावासियों को ही पुनर्वास दिया गया है। बर्मा से लौटे प्रत्यावासियों को व्यवसाय तथा आवास ऋण देने के लिए 19.60 लाख रुपए मंजूर किए गए तथा उड़ीसा सरकार को दे दिए गए हैं। वर्ष-वार आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

	व्यवसाय ऋण	आवास ऋण
1970–71 . . .	7.00 लाख रुपए	6.60 लाख रुपए
1971–72 . .	3.00 लाख रुपए	3.00 लाख रुपए
1972–73 . . .	..	..
	10.00 लाख रुपए	9.60 लाख रुपए

उड़ीसा में लघु इस्पात संयंत्र का निर्माण-कार्य पूरा किया जाना

6157. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में प्रस्तावित लघु इस्पात संयंत्र का निर्माण अब पूरा हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) सम्भवत: अभिप्राय इस्पात बिलेट के उत्पादन हेतु उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम द्वारा बारबिलजोड़ा में स्पंज लोहे की विद्युत भट्टी कम्पलेक्स की स्थापना के प्रस्ताव से है। इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु निगम सभी तकनीकी और आर्थिक पहलुओं की जांच कर रही है।

Persons killed due to accidents in Coal Mines

6158. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the break-up of the number of persons killed in the various coal mines as a result of accidents during the year 1971-72.

(b) the names of the coal areas in which these accidents registered an increase in comparison to that of previous year; and

(c) the steps taken by Government to reduce the number of these accidents ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (**Shri G. Venkatswamy**) **:** (a) A statement is attached.

(b) Fatal accidents and fatalities registered marginal increases in Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Orissa, Tamil Nadu and West Bengal in 1972 as compared to 1971.

(c) The overall picture of fatalities in 1972 in coal mines is better than that for 1971. However, continuous efforts are being made by the Directorate General of Mines Safety to ensure effective implementation of Safety Regulations in coal mines.

STATEMENT

(a) *Break up of the number of persons killed in various coal mines as a result of accidents during* 1971-72.

Coalfield	1971	1972
Assam	9	2
Andhra Pradesh . . .	15	21
Bihar	125	90
Jammu & Kashmir . . .	3	1
Madhya Pradesh . . .	29	37
Maharashtra	6	4
Orissa	5	8
Tamil Nadu	..	1
West Bengal	39	54
	231	218

N.B. : Figures for 1972 — provisional.

गत भारत-पाक युद्ध के दौरान तथा उसके बाद ईरान द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई

6160. **श्री समर गुह :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पाक युद्ध के दौरान और उसके बाद ईरान ने पाकिस्तान को हथियार और लडाकू विमान एवं अन्य उपकरण सप्लाई किये थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार को जानकारी है कि उक्त अवधि में सैनिक साज-सामान का कुछ अंश ईरान से पाकिस्तान भेजा गया था ।

(ख) ब्यौरा देना लोकहित में नहीं होगा ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में दायर किये गये मुकद्दमों के लिए मंजूरी प्राप्त करना

6161. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में मुकदमा दायर करने से पहले राज्य सरकार से मंजूरी ली जाती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान बिहार के क्षेत्रीय आयुक्त द्वारा बिहार सरकार से कितनी बार मंजूरी प्राप्त की गई और किन किन प्रतिष्ठानों के बारे में मंजूरी मांगी गई, कितना समय लगा, किस तारीख की मंजूरी प्राप्त हुई और किस किस तारीख को मुकदमा दायर किया गया;

(ग) क्या राज्य सरकार से मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी प्राप्त करने के बाद भी महीनों तक शिकायत और याचिकाएं दायर नहीं की जातीं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रकार की स्पष्ट अनियमितताओं के क्या कारण हैं?

श्रम और पुनर्वास उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (घ) भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा की मेज़ पर रख दी जाएगी ।

Pakistani Refugees in Rajasthan

6162. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of refugees who have come to Rajasthan from Pakistan since the last war, uptil now and the names of places where they have been kept, the expenditure incurred on them so far as also the expenditure incurred daily at present; and

(b) whether 80 refugees have died during the period of one year in the absence of satisfactory arrangements for looking after them ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Raghunatha Reddy) : (a) According to the report received from the Government of Rajasthan the information is as under :—

(i) Number of refugees at present : 61,269

(ii) Names of the camps :

(1) Bisala

(2) Sajitda

(3) Nimbla

(4) Bardiyada

(5) Rajdal

(6) Pushad

(7) Harsani

(8) Turbi

(9) Girab

(10) Baleva

(11) Gadra Road

(12) Chohtan

(13) Kaprau

(14) Alamsar

(15) Dhanau

(16) Ati Dhanau

(17) Mithrau

(18) Methe Ka Talao

(19) Bijasar

(20) Bijrad

(21) Kelnore

(22) Bhakasar (I)

(23) Bhakasar (II)

(24) Sitorai

(25) Jarena

(iii) Total camp population : 58,027

(iv) Expenditure incurred so far : Rs. 128.47 lakhs

(v) Average daily expenditure : Rs. 56,000.

(b) No, Sir.

Amount invested on Khetri Copper project and cost of machines therefor.

6163. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the total amount invested so far in Khetri Copper Project;

(b) the cost of machines purchased out of this amount and the amount spent so far on the services; and

(c) the quantum of copper to be extracted from Khetri (Rajasthan) by the next Five Year Plan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel & Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) The total investment made in the Khetri Copper Complex upto February, 1973 was of the order of Rs. 76 crores.

(b) Equipment and machinery worth about Rs. 34 crores have been ordered. The amount spent on the engineering services is Rs. 6 crores.

(c) About 25,000 tonnes of copper metal per annum is expected to be produced by end of the Fifth Five Year plan at Khetri Copper Project.

तनजानिया के साथ तकनीकी आर्थिक सहयोग समझौता करना

6164. चौधरी राम प्रकाश :
श्री वयालार रवि :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तनजानिया के साथ हाल ही में तकनीकी आर्थिक सहयोग समझौता किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बात क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 28 जनवरी, 1966 को तंजानिया के साथ मित्रता तथा तकनीकी, आर्थिक एवम् वैज्ञानिक सहयोग संबंधी एक समझौता सम्पन्न हुआ था।

(ख) इस समझौते में सामान्य तौर पर तकनीकी, आर्थिक एवं वैज्ञानिक सहयोग को बढाने तथा सुलभ बनानें के अतिरिक्त नीचे लिखी बातों की भी व्यवस्था है :—

(क) तकनीकी विद्यालयों, वैज्ञानिक तथा अन्य संस्थाओं, कारखाने और अन्य उत्पादन केन्द्रों में प्रशिक्षण के लिए दोनों देशों के बीच कार्मिकों को भेजना-बुलाना तथा छात्रवृत्तियां देना।

(ख) व्याख्यान एवं शिक्षण के लिए तथा विशेष जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से एक दूसरे देश में विशषज्ञों को भेजना-बुलाना।

(ग) विशेषज्ञों की सेवाओं की व्यवस्था।

(घ) तकनीकी प्रलेखन तथा आवश्यक उपस्करों का आदान-प्रदान जिनमें इनसे सम्बद्ध सूचना का आदान-प्रदान भी शामिल है।

(ङ) दोनों देशों की वैज्ञानिक संस्थाओं एवं निकायों के बीच वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य में सहयोग तथा सूचना पुस्तक और वैज्ञानिक प्रकाशनों का आदान-प्रदान।

(च) संयूक्त औद्योगिक समूह की स्थापना।

(छ) उत्पादन में वृद्धि तथा सर्वाधिक उपयुक्त तकनीकी तरीके खोजने के लिए उत्पादन-उद्यगों में सहयोग।

Cut in Defence Department Expenditure

6165. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state whether Defence Department propose to make a cut in their expenditure in view of the economic condition of the country ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : While framing the Defence Estimates for 1973-74, the constraints of resources and the essential requirements of security were fully taken into account and there is no immediate proposal to make any further cut in the defence expenditure.

भूमध्य सागर को शान्ति क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव

6166. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युगोस्लाविया के प्रधान मंत्री मि० जमल बिजेडिक और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भूमध्य सागर को शान्ति क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, घोषणा की मुख्य बातें क्या हैं?

विदेश मंत्रालयय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। भूमध्य सागर को शांति क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव अभी प्रारंभिक अवस्था में है। यह मामला उस क्षेत्र से संबद्ध राज्यों के विचाराधीन है।

पंजाब क्षेत्र में सुरंगे हटाने के समय घायल तथा मरे व्यक्ति

6167. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :
श्री एम० एस० पुरती :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युद्ध के बाद पाकिस्तान की सीमा में पंजाब क्षेत्र के निकट सुरंगे हटाने के समय कितने व्यक्ति घायल हुए अथवा कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ख) उनमें से कितने सिविलियन थे और कितने सेना के व्यक्ति थे ; और

(ग) क्या उनको कोई मुआवजा दिया गया था ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) से (ग) युद्ध के उपरान्त पंजाब सैक्टर में सुरंगों को साफ करते समय 66 सेना के कार्मिक घायल हुए तथा 4 ने वीरगति प्राप्त की। घायल हुए सेना के कार्मिकों को अतिरिक्त पेंशन के लाभ मिलते हैं। ऐसी परिस्थितियों में वीरगति प्राप्त होने वाले सेना के कार्मिकों के निकट सम्बन्धियों को भी पेंशन के अतिरिक्त लाभ सुलभ है। सिविलियनों को सुरंग साफ करने की संक्रियाओं के लिए उपयोग नहीं किया जाता है।

रक्षा आधारित उद्योगों की स्थापना

6168. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में रक्षा आधारित उद्योग स्थापित करने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस अनुरोध पर क्या निर्णय किया है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमन्। इन सभी राज्यों से विगत में ऐसे अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) प्रत्येक मामले में रक्षा परियोजनाओं के स्थान निर्धारण के संबंध में परियोजना के सामरिक तथा तकनीकी-आर्थिक तथ्यों सहित सभी संबंधित तथ्यों पर पूरा विचार किया जाता है। विभिन्न रक्षा परियोजनाओं के स्थान-निर्धारण पर अन्तिम निर्णय करते समय इन सभी राज्यों के दावों पर पूरी तरह से विचार किया गया था।

नई दिल्ली तथा जम्मू के बीच एक विशेष सैनिक रेलगाड़ी चलाना

6169. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय को एक ऐसा सुझाव प्राप्त हुआ है कि रेलवे अधिकारियों पर बल डाला जाये कि जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा के सैनिकों की सुविधा के लिये प्रतिदिन नई दिल्ली और जम्मू के बीच सेना की एक विशेष रेलगाड़ी चलायी जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) सुझाव पर विचार किया गया था, किन्तु उसको व्यवहार्य नहीं पाया गया।

पाकिस्तान द्वारा चीनी तोप नौकाएं प्राप्त करना

6170. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान द्वारा चीन की नौकाएं ग्रहण किए जाने के समाचार के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : सरकार स्थिति से अवगत है, मामले में हर सम्भव कदम उठाए जा रहे हैं।

भारत द्वारा ब्रिटेन से हैरियर लड़ाकू विमानों का क्रय

6171. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ब्रिटेन से सीधे उड़ान करने वाले हैरियर लड़ाकू विमान का क्रय करने पर विचार कर रही है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अरब सागर में पाकिस्तान और ईरान का नौसेना संबंधी सहयोग

6172. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अरब सागर में पाकिस्तान और ईरान के कथित नौसेना संबंधी सहयोग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : सरकार स्थिति से अवगत है देश की सुरक्षा के लिए सरकार हर सम्भव उपाय करती है। समय समय पर स्थिति का पुनरीक्षण किया जाता है।

शास्त्री-श्रीमावो समझोते के बारे में श्रीलंका श्रमिक कांग्रेस के विचार

6173. **श्री एस० ए० मुरुगन्तम :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका श्रमिक कांग्रेस के अध्यक्ष श्री थौंडामन ने कहा है कि श्रीलंका में भारतीय मूलक बागान श्रमिकों को 1964 के शास्त्री-श्रीमावों समझौते द्वारा राष्ट्रीय अवैधता के स्तर तक घटा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने वे खबरें देखीं हैं जिनमें सीलोन वर्कर्स कांग्रेस के प्रधान, श्री थोन्डामन ने यह कहा बताते हैं कि श्रीलंका में भारत मूलक राज्य-विहीन लोग राष्ट्रीय जारजता की स्थिति में डाल दिए गए हैं। उन्होंने कथित जारजता के साथ 1964 के करार को संबद्ध नहीं किया है। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, भारत और श्रीलंका की सरकारें 1964 के भारत-श्रीलंका के करार के अनुसार इन लोगों की राज्य विहीनता को समाप्त करने के लिए कदम उठा रही हैं।

पाकिस्तान की जेलों में भारतीय नाविकों के साथ किया गया अत्याचार

6174. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 10 मार्च 1973 को रिहा किये गये तथा भारत सरकार को सौंपे गये सभी 79 नाविकों ने शिकायत की है कि पाकिस्तानी जेलों में उनके साथ अत्याचार किये गये ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : सरकार के पास सुलभ सूचना के अनुसार यह पता चला है कि 10 मार्च 1973 को पाकिस्तानी जेलों से मुक्त किए गए 79 भारतीय नाविकों के साथ आम तौर से दुर्व्यवहार किया गया और कुछ को तो पीटा भी गया।

ब्रिटिश परमाणु पंडुबियों का एशिया की बन्दरगाहों में प्रवेश करने का अधिकार

6175. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 7 फरवरी, 1973 के स्टैटसमन के कलकत्ता संस्करण में "ब्रिटिश न्यूक्लीयर सब मैरिन—राईट आफ एन्टरी इन टू एशियन पोर्ट सौट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) इस मामले में भारत सरकार की नीति सर्वविदित है। उस नीति के अनुरूप सरकार ने गुट-निरपेक्ष देशों के सम्मेलन में और संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र घोषित करने में सक्रिय भाग लिया है । तदनुसार, भारत सरकार ने सभी देशों का ध्यान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 16 दिसंबर 1971 के प्रस्ताव संख्या 2832 (XXVI) की ओर खींचा है जिसमें हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र घोषित करने की बात कही गई है और जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बड़े देशों से कहां गया है कि वे हिन्द महासागर के तटवर्ती देशों के साथ तत्काल सलाह मशविरा करें जिससे की हिन्द महासागर में परमाणु अस्त्रों की स्थिति को समाप्त किया जा सके। भारत सरकार ने भी सभी देशों को सूचना दी है कि जिन विदेशी जहाजों में परमाणु अस्त्र लदे हुए हों, उन्हें भारतीय बंदरगाहों पर सुविधाएं प्रदान करने की सरकार की नीति नहीं है ।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की अधिष्ठापित क्षमता के मुकाबले में उत्पादन की प्रतिशतता

6176. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :क्या **इस्पात और खान** मंत्री इस्पात कारखानों की क्षमता का उपयोग न करने के कारण इस्पात के उत्पादन में गतिरोध के बारे में 1 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1476 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी सहित प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की एप्रैल, 1972 से जनवरी, 1973 तक अधिष्ठापित क्षमता के मुकाबले में उत्पादन की प्रतिशतता क्या है; और

(ख) क्षमता के उपयोग में अब भी वृद्धि न होने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) अप्रैल, 1972 से मार्च, 1973 की अवधि में इस्पात पिण्ड की निर्धारित क्षमता का प्रतिशत मासिक उत्पादन निम्न-लिखित सारिणी में दिया गया है :—

	भिलाई	दुर्गापुर	राऊरकेला	इस्को
अप्रैल, 72 . . .	81	48	49	41
मई . .	74	41	53	40
जून . . .	70	38	57	28
जुलाई . . .	87	50	63	29
अगस्त . . .	84	38	71	47
सितम्बर . . .	80	48	71	48
अक्तूबर . . .	87	48	63	52
नवम्बर . . .	80	35	71	47
दिसम्बर . . .	91	38	69	53
जनवरी, 73 . .	90	50	71	39
फरवरी, 73 . .	88	46	68	43
मार्च, 73 . . .	102	63	78	53

उपर्युक्त सारणी से पता चलेगा कि फरवरी (28 दिन) और मार्च, 1973 के महीनों में क्षमता के उपयोग में सामान्य सुधार हुआ है। चालू वित्त वर्ष में और सुधार होने की आशा है ।

पारपत्र नियंत्रण प्राधिकरण सांताक्रूज, बम्बई द्वारा पारपत्र विनियमों के उल्लंघन की सूचना देना

6177. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुर्तगाल का पारपत्र धारण करने वाले किसी व्यक्ति को भारत में प्रवेश करने या बाहर जाने की अनुमति है;

(ख) क्या दिल्ली स्थित ब्राजील के दूतावास को भारत छोड़ने संबंधी ब्राजील का पारपत्र जारी करने का अधिकार है;

(ग) क्या दिल्ली स्थित ब्राजील के दूतावास द्वारा जारी पुर्तगाली पारपत्र के आधार पर भारत सरकार भारतीय नागरिकों को उतप्रवास की अनुमति देगी; और

(घ) यदि (क), (ख) अथवा (ग) का उत्तर न में है तो क्या मार्च, 1973 के दौरान पारपत्र नियंत्रण प्राधिकरण सांताक्रूज, बम्बई ने इस प्रकार की विनियमों के उल्लंघन की सूचना दी है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) पुर्तगाली पारपत्र रखनेवाले किसी भी व्यक्ति को वैध वीजा के बिना भारत में प्रवेश की आज्ञा नहीं दी जाती और पुर्तगाली पारपत्र वाले किसी व्यक्ति को रवानगी के पृष्ठांकन के बिना भारत से जाने की अनुमति नहीं दी जाती है ।

(ख) जी, हां । ब्राजील का नई दिल्ली स्थित राजदूतावास वास्तविक पुर्तगाली नागरिकों को पुर्तगाली-पारपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है ।

(ग) यदि कोई भारतीय नागरिक, जिसने भारतीय नागरिकता छोड़ दी हो और ब्राजील के राजदूतावास द्वारा जारी किया गया पुर्तगाली पारपत्र प्राप्त कर लिया हों, तो उसके साथ विदेशियों से संबंधित कानून के अधीन व्यवहार किया जाएगा और वह अपने पारपत्र पर रवानगी पृष्ठांकन के आधार पर भारत छोड़ सकता है ।

(घ) इस विषय पर अपने विनियमों के किसी उल्लंघन का कोई समाचार हमें अभी तक नहीं मिला है ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने का असंतोषजनक उत्पादन

6178. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने के असंतोषजनक उत्पादन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया कि इस कारखाने का अधिक विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्पादन बढ़ाने के लिये उठाये गये विशेष कदम असफल रहे हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

दंडकारण्य कर्मचारी संघ की मांगें

6179. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दंडकारण्य कर्मचारी संघ (अराजपत्रित) अपनी मांगों तथा शिकायतों का निर्णय करने के लिए बार-बार अभ्यावेदन देता रहा है;

(ख) क्या दंडकारण्य प्राधिकरण पहले दिए गए आश्वासनों का उल्लंघन करके कार्य प्रभारी कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने जा रहा है ;

(ग) क्या कर्मचारी संघ के मुख्य सदस्यों को तबादले के नोटिस जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) कार्य प्रभारी स्थापना के कुछ कनिष्ठ कर्मचारियों को सेवा से छंटनी के नोटिस दिए गए है, परन्तु उन्हें अभी 30-4-1973 तक स्थगित कर दिया गया है। छंटनी को रोकने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ग) दण्डकारण्य परियोजना प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव और/या कोषाध्यक्ष जैसे प्रमुख कार्यकर्ताओं को तबादले के नोटिस नहीं दिए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के प्रबन्ध तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ एक मजुरी वार्ता समिति का गठन

6180. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के प्रबंध तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ एक मजुरी वार्ता समिति का गठन करने का इरादा करती है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या ह; और

(ग) क्या सरकार इस प्रकार की व्यवस्था अन्य प्रतिष्ठानों में भी करने का इरादा रखती है?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेवर प्रसाद) : (क) से (ग) सरकार ने भारी विद्युत उपक्रमों में वेतन संशोधन के लिये एक द्विपक्षीय वार्ता समिति बनाने की स्वीकृति दे दी है। यह समिति भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड और हैवी इलैक्ट्रीकल लिमिटेड, भोपाल के कर्मचारीयों के वेतन ढांचे के सिद्धांतों की मोटे तौर से जांच करेगी। बढ़े हुए उत्पादन और उत्पादिता को वृद्धि में रखना विदेश की आर्थिक दशा को और विगत पृष्ठभूमि को तथा देश के अन्य उद्योगों की अर्थ-व्यवस्था में आने वाली उलझनों को ध्यान में रखते हुए ऐसे परिवर्तनों की सिफारिश करेंगे जो वांछनीय और संभव होंगे।

मजदूर संघों के अधिकार तथा स्वतंत्रता के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय समझौता

6181. **श्री मान सिंह भौरा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मजदूर संघों के अधिकारों तथा स्वतंत्रता के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय समझौता क्या है;

(ख) क्या भारत ने इन समझौतों को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप में लागू कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) इस विषय पर पांच अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय हैं। ये हैं: कृषि श्रमिकों के संघ बनाने और सम्मेलन के हको सम्बन्धी 1921 का अभिसमय संख्या 11; गैर-मेट्रोपोलिटन क्षेत्रों में संघ बनाने के हक और श्रम विवादों के निपटान सम्बधी 1947 का अभिसमय संख्या 84; संघ बनाने की स्वतंत्रता और संगठन करने के हक के संरक्षण से सम्बधित 1948 का अभिसमय-87; संगठन बनाने के हक और सामुहिक सौदेकारी के सिद्धांतों की प्रयोज्यता से संबंधित 1949 का अभिसमय संख्या 98 और उपक्रम में श्रमिकों के प्रतिनिधियों को दिए जाने वाले संरक्षण और सुविधाओं से सम्बधित 1971 का अभिसमय संख्या 135।

(ख) और (ग) इन में से अभिसमय संख्या 11 का भारत ने अनुसमर्थन कर दिया है। अभिसमय संख्या 84 गैर-मट्रोपोलिटन क्षेत्रों से सम्बन्धित है और भारत पर प्रयोज्य नहीं है। यद्यपि बाकी का तीन अभिसमयों का औपचारिक रूप से अनुसमर्थन नहीं किया गया; तथापि उनके मूल सिद्धांतों का सामान्यतः अनुपालन किया जा रहा है।

रेलवे वैगनों का निर्माण

6182. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री वेंकारिया :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के उन उद्योगों के नाम क्या हैं जो रेलवे वैगनों का निर्माण कर रहे हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने वैगन तैयार किए गए ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :(क) और (ख) माँगी गई जानकारी नीचे दी गई है :—

क्रम सं०	उन उद्योगों के नाम जो भारत में मालगाड़ी के डिब्बों का निर्माण कर रही है।	वार्षिक उत्पादन संख्या चार पहियों वालों की 1970	1971	1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मै० आर्थर बटलर एण्ड कं० (इंडिया) लिमिटेड, 11–बेबोर्न रोड, कलकत्ता–1 ।	706	400	बन्द
2	ब्रेथवेट एण्ड कं० (इण्डिया) लि० हाइड रोड, मिडेरपुर, कलकत्ता–43 ।	890	625	1300
3	ब्रिज एण्ड रुफ कं० लि०, 21 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता ।	429	480	530
4	ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कं० लि०, 3, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता ।	209	143	100
5	बर्न एण्ड कं० लि०, 12-मिशनरो, कलकत्ता ।	870	238	154
6	सेन्ट्रल इण्डिया मशीनरी मैन्यू० कं० लि०, भरतपुर (राजस्थान) ।	2272	1353	2040
7	हिन्दुस्थान जनरल इण्डस्ट्रीज लि०, कूतब रोड, नैबीकरीम, नई दिल्ली ।	357	365	312
8	इण्डियन स्टैंडर्ड वैगन कं० लि०, 12, मिशन रो, कलकत्ता ।	1018	1175	226
9	जैसप एण्ड कं०, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता ।	1049	1200	786
10	के० टी० सील इंडस्ट्रीज प्रा० लि०, बोच स्ट्रीट, दानाबंदर, बंबई 9 ।	216	140	108
11	केंजीज लि० सेवरी, बंबई-15 ।	44	बन्द	बन्द
12	माडर्न इण्डस्ट्रीज, साहिबाबाद, गाजियाबाद ।	490	255	347
13	रेयमण्ड इंजीनियरिंग वर्क्स लि०, 12, ब्रेबॉर्न रोड, कलकत्ता ।	बन्द	बन्द	बन्द
14	सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स लि०, जी० टी० रोड, कानपुर (उत्तर प्रदेश)	बन्द	बन्द	बन्द
15	सदर्न स्ट्रक्चरल लि०, जी० डी० आर० बिल्डिंग, 19, कैथेड्रल रोड, पो० बा० नं० 742, मद्रास-6 ।	बन्द	बन्द	337
16	टैक्सटाइल मशीनरी कारपोरेशन लि०, बेलघारिया, 24 परगना ।	1939	1636	2929

देश में रक्षा उत्पादन करने वाले कारखाने

6183. श्री डी० पी० जदेजा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के प्रत्येक राज्य में कितने कारखाने रक्षा उत्पादन कर रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ला) : एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4727/73]

पेरिस शान्ति संधि का कार्यान्वयन

6184 श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण वियतनाम की अंतरिम क्रांतिकारी सरकार ने गुट-निरपेक्ष देशों से अनुरोध किया है कि पेरिस शांति-सन्धि के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन का सुनिश्चित करने में वे अपने प्रभाव को उपयोग करें;

(ख) क्या इस संदर्भ में अंतरीय क्रांतिकारी सरकार ने भारत से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्रपाल सिंह) : (क) और (ख) जी हां। लेकिन पेरिस में जिस प्रलेख पर हस्ताक्षर हुए हैं, वह संधि नहीं बल्कि करार है।

(ग) भारत सभी संबद्ध पक्षों द्वारा करार पर अमल किए जाने का समर्थक है।

Scheme for expansion of Bhilai, Rourkela and Bokaro Steel Plants with U. S. S. R. help

6185. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will be Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether a scheme for expansion of Bhilai, Rourkela and Bokaro steel plants in India with the help of USSR has been accepted; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel & Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) & (b) : Work on expansion of Bhilai Steel Plant and Bokaro Steel Plant to 4 million tonnes capacity is already in progress. The Soviet organisations are rendering necessary technical assistance in this regard. Assistance from the Soviet Union by way of loan has also been extended for these expansions.

2. During recent discussions with the Soviet side in connection with the meeting of the Indo-Soviet Joint Commission the possibility of expansion of capacity of the Bhilai Steel Plant up to 7 million tonnes of steel ingots per annum and Bokaro Steel Plant up to a capacity of about 10 million tonnes of steel ingots per annum was recognised. The Techno Economic reports for the expansion of these plants will be prepared by Indian Organisations with the assistance of Soviet Organisations as necessary.

3. There is no proposal for expansion of Rourkela Steel Plant with the help of the U.S.S.R.

Letters of intent for manufacture of tractors

6186. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state:

(a) whether licences and letters of intent have been issued by Government to new industrialists for the manufacture of tractors;

(b) if so, the number of such licences issued in the year 1972-73; and

(c) the number of tractors likely to be manufactured by the end of 1973-74 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) No letter of Intent has been issued to any new industrialist during the year 1972-73 for the manufacture of tractors. However, a Letter of Intent which had been issued earlier was converted into a licence during that year.

(c) Around 45,000 tractors.

Extension of E.S.I. Scheme

6187. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether a recommendation has been made to Government to further expand Employees State Insurance Scheme and make it applicable to the workers working in small factories also; and

(b) if so, the present position of its implementation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : (a) Yes, Sir. A recommendation to this effect has been made by the Committee on Perspective Planning which submitted its report recently.

(b) The Employees' State Insurance Corporation has decided at its meeting held on the 17th March, 1973 to convene a special meeting of the Corporation in about 3 months time to consider the Report. The matter will be examined further in the light of the views of the Corporation.

Iron quota for various states

6188. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the quota of iron for building silos and houses for the various States is fixed by the Central Government on the basis of their population;

(b) if so, the quota supplied to each State and whether the people of Bihar are dis-satisfied with the present quota; and

(c) whether Government propose to enhance the quota for Bihar ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel & Mines (Shri Sukhdev Prasad) (a) No, Sir. There is no State-wise quota of steel now. Despatches from the main steel plants are regulated by the Steel Priority Committee after taking in to account the end uses, availability and the competing demands every quarter.

(b) & (c) Do not arise.

26 Indians died on way to Kathmandu

6189. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether bodies of 26 Indians, who died on the way to Kathmandu for having darshan of Pashupatinath on the occasion of Mahashivaratri, have since been indentified; and

(b) if so, their names and the places to which they belonged ?

The Minister of Sate in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Altogether 13 Indian pilgrims died in the two accidents, of March 4 and March 6. The bodies have been identified.

(b) Names and addresses of the Indian pilgrims killed in the two accidents are:—

1. Kalsia Teli (female) of Ziao Gaon, Distt. Chhapra (Bihar).
2. Kanta (Female—60) of Deoria (U.P.).
3. Ruptara Abadhia of Manthara Gao, Distt. Chhapra (Bihar).
4. Ram Sewak Kurmi of Kamani Mauja, Distt. Gonda (U.P.).
5. Lakhaptia Abadhia of Than Parsa, Chhapra Distt. (Bihar).
6. Ganesh Prasad Kurmi, Mukhia of village Bhalo Bhalian, P. S. Sagta near Raxaul.
7. Parvati Devi Kurmi, wife of Sl. No. 6.
8. Miss Heeramati Devi Kurmi, niece of Sl. No. 6.
9. Ram Chandra Prasad Kurmi, son-in-law of Sl. No. 6.
10. Raj Prasad Kurmi, brother of Sl. No. 6
11. Ugam Kurmi, Sarsua, village, P. S. Sagta near Raxaul.
12. Chunia Kurmi, Village, P. S. Sagta near Raxaul.
13. Beeratatma, village, P. S. Sagta near Raxual.

प्रतापगढ़ में ट्रैक्टर बनाने के लिए जारी किया गया आशय पत्र

6190. **श्री दिनेश सिंह** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतापगढ़ में ट्रैक्टर बनाने के लिये जारी किये गये आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में बदल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने में कब तक उत्पादन आरम्भ हो जाने की आशा है;

(ग) क्या इन कम्पनी को ट्रैक्टरों और इस के पुर्जों का आयात करने की अनुमति दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो कितने ट्रैक्टरों का आयात किया जायेगा ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) उत्पादन किस तिथि से शुरु होगा इस स्थिति में यह बताना संभव नहीं है।

(ग) और (घ) उन्हें 500 ट्रैक्टरों के "सेमी नावड डाउन" हालत में आयात करने की अनुमति प्रदान की गई है।

सिंगरेनी कोयला-खान समूह में कोयले का उत्पादन

6191. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयले की बढ़ती हुई कमी के संदर्भ में सिंगरेनी कोयला-खान समूह में कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ख) क्या उत्पादन और लाभ को बढ़ाने के लिए ओपन-कट माइनिंग को आरम्भ करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) विद्युत सेक्टर और अन्य उप-भोक्ता उद्योगों की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए सिंगरेनी कोलियरीज का अपने 52 लाख टन वर्तमान उत्पादन स्तर को 1978–79 तक 100 लाख टन तक वर्धित करने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजनार्थ उसने अनेक खानों के विकास का कार्यक्रम पहले ही बना लिया है। इसके अतिरिक्त, 1978–79 तक उत्पादन को 100 लाख टन से 120 लाख टन तक वर्धित करने की दृष्टि से कम्पनी खानों के विकास का एक और कार्यक्रम बना रही है।

(ख) कम्पनी में खुली-दुलाई खनन के लिए रामागुंडम क्षेत्र में निक्षेपों का विस्तृत अध्ययन किया था। प्रारंभिक साध्यता अध्ययन परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता सुझावित करते हैं।

कोयला खानों के सरकारीकरण से प्रभावित छोटे व्यापारी

6192. **श्री रानेन सेन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कोयला खानों को अपने नियंत्रण में लेने से 2000 छोटे व्यापारी प्रभावित हुए है; और

(ख) यदि हां तो किस सीमा तक ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

मशीनी औजार उद्योग में अप्रयुक्त क्षमता

6193. **श्री रानेन सेन :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मशीनी औजार उद्योग में 30 प्रतिशत तक की क्षमता अप्रयुक्त है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) मशीनी औजार उद्योग में पूर्ण क्षमता के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मशीनी औजार उद्योग में इस समय 63.5% क्षमता का उपयोग किया जा रहा है।

(ख) और (ग) मुख्य रुप से इंजीनियरी उद्योगों में मन्दी आने के कारण वर्ष 1967 और 1968 में इस उद्योग के उत्पादन में अत्यधिक गिरावट आई है। उत्पादन में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी है और आशा की जाती है कि आगामी दो वर्षों में 75% तक क्षमता का उपयोग किया जा सकेगा। इस प्रकार के उद्योग में निर्धारित क्षमता का 80% तक उत्पादन होना अनुकुलन उत्पादन स्तर समझा जाता है।

इस्पात उद्योग के लिए संयुक्त वार्ता समिति के कार्य-संचालन का पुर्नविलोकन

6194. **श्री रानेन सेन** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात उद्योग के लिए संयुक्त वार्ता समिति के कार्य-संचालन का पुर्नविलोकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति की उपलब्धियां और कमियां क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) जबकि इस्पात उद्योग के लिए बनाई गई संयुक्त वार्ता समिति के कार्यकरण की कोई समिक्षा नहीं की गई है । विभिन्न क्षेत्रों में समिति द्वारा हाथ में लिए गए कार्यों और उनकी प्रगति के बारे में सरकार को जानकारी है । वेतन समझौते के क्रियान्वयन की निगरानी करने के अतिरिक्त समिति वेतनमानों, पदनामों और कुछ सुविधाओं का मानकीकरण कराने और ठेका मजदूरों के विनियमन की एक योजना बनाने के कार्यक्रम की ओर ध्यान दे रही है । हाल में समिति ने संयन्त्र स्तर पर कामगारों और प्रबन्धकों के बीच संयुक्त विचार विमर्श से प्रत्येक इस्पात कारखाने के लिए वर्ष 1973–74 के उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किए हैं ।

औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में कार्मिक संघों से वार्ता

6195. **श्री रानेन सेन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित औद्योगिक विधेयक को अन्तिम रूप देने से पूर्व सरकार का विचार केन्द्रीय कार्मिक संघ संघठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता का एक और फिर चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह वार्ता कब होने की आशा है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अनुसूचित रोजगार में मजूरी का पुनरीक्षण

6196. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम एक बार अनुसूचित रोजगार में न्यूनतम मजूरी का पुनरिक्षण करना पड़ता है;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों ने गत छः अथवा सात वर्षों से अनेक उद्योगों में अनुसूचित रोजगारों में मजूरी का पुनरिक्षण नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी हां । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3(1)(ख) के अधीन समूचित सरकार के लिए, ऐसे अन्तरालों में जो वह उचित समझे, ऐसे अन्तराल पांच वर्षों से अधिक न हो, पहले निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरियों की पुनरिक्षा करना और यदि आवश्यक हो, तो उनमें संशोधन करना आवश्यक है ।

(ख) जी हां ।

(ग) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि जहां कहीं भी सम्यक हो मजदूरी के संशोधन किए जायें ।

Compulsory Military Training

6197. Shri Mahadeepak Sing Shakya : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether in view of country's defence military training should be made compulsory for persons having more than 18 years of age; and

(b) if so, Government's policy in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) & (b) The response to recruitment to the Armed Forces on a voluntary basis has been satisfactory. It is not necessary to introduce compulsory military training in the country at present.

Jobs to retired and retiring military personnel in the country

6198. Shri Mahadeepak Singh Shakya :
Shri Ram Bhagat Paswan :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) Whether there are five lakhs retired military personnel in the country at present;

(b) whether Government propose to give them priority in providing employment to them; and

(c) if so, the number of such unemployed military personnel in each State and the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik) : (a) No, Sir; the number is much more.

(b) the following major steps have been taken for speedier resettlement of ex-services personnel :—

(i) extension of reservation of vacancies of 10% Class III and 20% Class IV posts for ex-servicemen upto 30th June 1974 in all the Central Ministries and Departments

(ii) enhancement of the overall percentage of reservation from 45% to 50%;

(iii) reservation of 17½ %Class III and 27½ % Class IV posts in Public Sector Undertakings and in the Nationalised Banks;

(iv) reservation of posts in all categories by various State Govts.;

(v) exemption from the payment of examination/application fees in competitive examinations conducted by the Union Public Service Commission/Institute of Secretariat Training and Management;

(vi) pre-release and pre-cum-post release training schemes/courses in various vocations and trades;

(vii) constitution of a Cell in the Directorate General, Employment and Training to look after the employment of ex-servicemen; and

(viii) creation of special cells for speedier employment of ex-Service personnel in some of the States.

(c) The State-wise number of ex-servicemen on the 'live register' of Employment Exchanges, as on 21-12-1972, is as follows :—

State/Union Territory	Number
1. Andhra Pradesh	3,396
2. Assam	619
3. Bihar	3,451
4. Gujarat	388
5. Haryana	4,416
6. Himachal Pradesh	2,928
7. Jammu & Kashmir	2,943
8. Kerala	6,002
9. Madhya Pradesh	1,691
10. Maharshtra	5,527
11. Mysore	2,846
12. Orissa	1,252
13. Punjab	7,790
14. Rajasthan	2,448
15. Tamilnadu	6,541
16. Uttar Pradesh	8,039
17. West Bengal	4,839
18. Chandigarh	396
19. Delhi	2,927
20. Goa	48
21. Laccadives	11
22. Manipur	834
23. Meghalaya	132
24. Mizoram	204
25. Pondicherry	117
26. Tripura	195
	69,980

In view of the unemployment problem in the country, it is not an easy task to find employment for all ex-servicemen, but the Government is trying to provide employment assistance to as many of them as possible.

मैसूर में हड़तालों और तालाबंदियों के कारण वर्ष 1972 में जन-दिवसों की हानि

6199. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण वर्ष 1973 में कितने जन-दिवसों की हानि हुइ; और

(ख) हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण राज्य को कितनी हानि उठानी पड़ी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) उपलब्ध अनन्तिम सूचनानुसार, मैसूर में 1972 के दौरान औद्योगिक विवादों (हड़तालों और तालाबन्दियों) के कारण नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या और उत्पादन क्षति की कीमत निम्न प्रकार थी :

राज्य	विवादों की संख्या (हड़तालों और तालाबंदियां)	इन विवादों के कारण नष्ट हुए श्रम दिन	नष्ट हुए उत्पादन का मूल्य (करोड़ रुपयों में)
मैसूर . . .	97	702,739	11.69*

*नष्ट हुए उत्पादन की कीमत 68 विवादों के सम्बन्ध में हैं, जिन की सूचना उपलब्ध है।

रक्षा ढांचे का पुनर्गठन

6200. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी कमांड के सृजन के साथ साथ रक्षा ढांचे का पुनर्गठन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) ब्योरे लोकहित में नहीं बताये जा सकते ।

एशिया-प्रशांत संगठन की स्थापना

6201. **श्री सी० के० चंद्रप्पन** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान सभी वर्तमान संगठनों की अपेक्षा विस्तृत पैमाने पर एशिया-प्रशान्त संगठन की स्थापना करने के लिए इच्छुक है;

(ख) क्या इस बारे में भारत से कोई प्रस्ताव किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) जापान के नेताओं ने एशिया में शान्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए एक बृहत्तर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की आवश्यकता के बारे में सामान्य रूप से कहा है; इस बारे में खासतौर पर कोई प्रस्ताव नहीं रखा है ।

सहायक कम्पनियों को धन देने के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के लिए रखी गई धनराशि

6202. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के लिए पहले ही धनराशि दी गई है जिससे वह अपनी सहायक कम्पनियों को पूंजी दे सके;

(ख) यदि हां, तो उसका अलग अलग ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह धनराशि किस प्रकार व्यय की जाएगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) इस्पात और खान मन्त्रालय के वर्ष 1973–74 के लिए अनुदान की मांगों में स्टील अथारिटी आफ इंडिया की अंश पूंजी में और अभिदान के रूप में 32.37 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिससे वह अपनी सहाय्यक कम्पनियों में पूंजी लगा सके। उपर्युक्त राशि का कम्पनियों-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

	(करोड़ रुपये)
1. हिन्दुस्थान स्टील लिमिटेड	22.37
2. सेलम स्टील लिमिटेड	1.00
3. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड	6.00
4. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	3.00
	32.37

हिन्दुस्थान स्टील लिमिटेड के केन्द्रीय इंजीनियरी और रुपांकन ब्यूरो के लिये भी 10 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। यह ब्यूरो अब 'सेल' की एक अलग कम्पनी बना दी गई है जिसका नाम मेटलर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेंट्स (इंडिया) लिमिटेड रखा गया है।

(ग) इन राशियों का उपयोग सहायक कम्पनियों की विभिन्न अनुमोदित पंजीय योजनाओं में धन लगाने के लिए किया जाएगा।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अन्तर्गत छोटे इस्पात सयंत्र

6203. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे इस्पात संयन्त्रों को भी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अन्तर्गत लाने का निर्णय किया है; और

(ख) आरम्भ में इस बात का निर्णय करने के क्या कारण है कि छोटे इस्पात संयन्त्रों को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अधीन नहीं लाया जायेगा।

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार ने निश्चय किया है कि 'सेल' निजी क्षेत्र के लोहा इस्पात तथा सम्बद्ध उद्योगों में सरकारी वित्तीय संस्थाओं के शेयरों के बारे में उन संस्थाओं की ओर से प्रतिपत्री अधिकारों का प्रयोग करेगी। इन उद्योगों में तथा-कथित छोट इस्पात संयन्त्र भी शामिल हैं। 'सेल' इन अधिकारों से प्राधिकार और नियन्त्रण द्वारा यह सुनिश्चित करेगी कि इन कम्पनियों का परिचालन, कार्यक्रम और विकास राष्ट्रीय योजना के अनुसार हो।

इस्पात तथा सम्बन्ध उद्योगों हेतु संयुक्त नियंत्रक कम्पनी के लिए अभिदत्त और निर्गमित पुंजी

6204. **श्री के० लकप्पा** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1973 के अन्त तक इस्पात और सम्बद्ध उद्योगों हेतु संयुक्त नियन्त्रक कम्पनी के लिए कुल कितनी अभिदत्त और निर्गमित पूंजी थी।

(ख) क्या यह कम्पनी 24 जनवरी, 1973 को स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के नाम से पंजीकृत की गई थी;

(ग) क्या हिन्दुस्थान स्टील भारत कोकिंग कोल, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के शेयर 'सेल' को हस्तान्तरित किए जाएंगे; और

(घ) किन कम्पनियों को इसके अन्तर्गत लाया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) 31 मार्च, 1973 को स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड की कुल स्वीकृत तथा जारी पूंजी 12,94,41,35,000 रुपये थी।

(ख) जी, हां।

(ग) हिन्दुस्तान स्टील लि० में भारत सरकार के हिस्से 'सेल' को हस्तान्तरित कर दिए गए हैं। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड तथा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम में सरकार के हिस्से भी 'सेल' को हस्तान्तरित किए जा रहे हैं।

(घ) सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित सरकारी उपक्रम सेल के अधीन होंगे :—

(1) हिन्दुस्थान स्टील लिमिटेड

(2) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड

(3) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

(4) बोकारो स्टील लिमिटेड

(5) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड

(6) सेलम स्टील लिमिटेड

बिहार में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के उपबंधो का उल्लंघन करने वाले कारखाने

6205. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : क्या श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कर्मचारी भविष्य निधि सम्बन्धी उपबन्धों का कितने कारखानों ने उल्लंघन किया है, उक्त प्रतिष्ठानों के नाम क्या है, दोषी व्यक्तियों के नाम क्या है, देय और वसूली योग्य राशि तथा अवधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कटिहार स्थित दोषी जूट कारखाने अधिनियम के उपबन्धों का अभीतक बराबर क्रियान्वयन कर रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उनकी त्रुटि का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) बिहार राज्य में चूककर्ता एककों की संख्या 31–12–72 को 589 थी। सभी चूककर्ता प्रतिष्ठानों के नामों, अभियुक्तों के नामों, अन्तर्ग्रस्त अवधि सहित बकाया और वसूल होने योग्य राशि के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, एक विवरण, जिसमें 31-12-72 की स्थिति के अनुसार अदा न की गई राशि सहित ऐसे 33 चूककर्ता प्रतिष्ठानों के नाम, जिन्होंने भविष्य निधि अंशदानों की बाबत 15,000 रुपये या उससे अधिक राशि की अदायगी में चूक की हैं, अभियुक्तों के नाम और अन्तर्ग्रस्त अवधि दर्शाई गई हैं, संलग्न हैं [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 4728/73।**]

(ख) और (ग) कटिहार के दो पटसन कारखाने अर्थात मैसर्स आर०बी०एच०एम० जूट मिल्स (प्रा०) लिमिटेड और मैसर्स कटिहार जूट मिल्स (प्रा०) लिमिटेड अनुपालन के मामले में अद्यतन नहीं हैं और उन्होंने भविष्य निधि अंशदानों की अदायगी में चूक की है।

मैसर्स चम्पारन शुगर कम्पनी लिमिटेड, बड़ाचकिया, बिहार के कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ

6206. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य में बड़ाचकिया में मैसर्स चम्पारन शुगर कम्पनी लिमीटेड के कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के उपबन्धो के अनुसार लाभ नहीं मिल रहा है तथा प्रबन्धकों द्वारा विभिन्न तरीके अपनाये जाने के कारण उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं बनने दिया जाता है; और

(ख) क्या सहायक आयुक्त अथवा प्रादेशीक आयुक्त का विचार व्यापक निरीक्षण करने के लिये वहां शीघ्र दौरा करने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) भविष्य निधि निरीक्षक ने, 27–12–72 को कारखाने का निरीक्षण करने गये परन्तु उनके द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन अधिनियम, 1952 के उपबन्धों को कार्यान्विति के सम्बन्ध में या उक्त कारखाने में योग्य कर्मचारियों को निधि की सदस्यता की स्वीकृति देने के सम्बन्ध में कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स जी० एम० कारपोरेशन (प्रा०) लिमिटेड पटना में कर्मचारी भविष्य निधि

6207. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स जी० एम० कारपोरेशन प्रा० लि०, पटना को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 और उसके अन्तर्गत बनाई गई योजना के अधीन ले आया गया था और बाद में उसे उक्त अधिनियम की परिसीमा से मुक्त कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है और इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : भविष्य निधि प्राधिकारियोंने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) जी हां।

(ख) चूंकि यह प्रतिष्ठान कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन नियत शीर्षक 'इंजीनियरी ठेकेदार' के अंतर्गत शामिल करने योग्य नहीं पाया गया था, इसलिए यह क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार के आदेशों के अधीन शामिल नहीं किया गया था।

मैसर्स राक्सी सिनेमा, मोतीहारी, बिहार में कर्मचारी भविष्य निधि

6208. **श्री मुहम्मद जमीलूर्रहमान :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य के मैसर्स राक्सी सिनेमा, मोतीहारी को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अधीन ले आया गया था, परन्तु बाद में उक्त अधिनियम और योजना को उस पर लागू होने से इस आधार पर छूट दे दी गई थी कि उक्त सिनेमा अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नहीं आता; और

(ख) यदि हां, तो अधिनियमित रूप से छुट देने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है और इसे ठीक करने के लिए अब तक क्या कोई कार्यवाही की गई है; यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) जी हां ।

(ख) और आगे जांच करके प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त ने इस प्रतिष्ठान को अधिनियम की परिधि से बाहर निकाल दिया क्योंकि उसमे बीस या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित नहीं थे ।

भगवती समिति का अंतिरिम प्रतिवेदन

6209. **श्री बीरेंद्र सिंह राव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भगवती समिति ने सरकार को प्रस्तुत किए गए बेरोजगारी के बारे में अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में क्या सिफारिशें की हैं;

(ख) उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस में उल्लिखित सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन की एक प्रति 24–3–1972 को सदन की मेज पर रख दी गई थी । प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण पैरा 90 में दिया गया है ।

(ग) अन्त: मन्त्रालय कार्यकारी ग्रुप, जिसने की भगवती समिति द्वारा प्रस्तुत अन्तरिम प्रतिवेदन की जांच की थी, ने 1973–74 में रोजगार स्कीमों के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं के बारे में कुछ सुझाव दिये थे । केन्द्रीय मन्त्रालयों और राज्य सरकार की 1973–74 की वार्षिक योजना का निर्धारण करते समय इसका ध्यान रखा गया है ।

कोयला और इस्पात की चोर बाजारी

6210. **श्री भोगेंद्र झा** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला और इस्पात के व्यापारी समूचे देश में गैर-सरकारी तथा घरेलू उपभोक्ताओं से कोयला और इस्पात का मूल्य अनुचित रूप से बहुत अधिक ले रहे हैं; और

(ख) यदि हां तो इनको नियन्त्रित मूल्य पर सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) कोयला और इस्पात के बारे में स्थिति निम्न प्रकार से है :—

(i) **कोयला**

जुलाई, 1967 से कोयले की कीमतों पर कोई कानूनी नियन्त्रण नहीं है । अपर्याप्त रेल परिवहन के कारण कुछेक क्षेत्रों में कोयले की आपूर्ति की कमी और सरकार द्वारा हाल ही में गैर-कोककारी कोयला खानों का प्रबन्ध ग्रहण करने से उत्पन्न हुई अस्ताई कठिनाइयों का अनूचित लाभ उठाते हुए कुछ व्यापारियों ने कोयले की कीमतें वर्धित की । अभाव के क्षेत्रों को बर्धित कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वैगन-उपलब्धता में सुधार लाने हेतु रेलवे भी प्रयत्न कर रही है । सरकार भी समस्त मुख्य शहरों में अस्थायी गोदाम बनानें और राज्य प्रशासनों के माध्यम से वितरण द्वारा कीमतों को कम करने के लिए कदम उठा रही है ।

(ii) इस्पात

अधिकांश उत्पादित इस्पात वास्तविक उपभोक्ताओं को विनियमित कीमतों पर प्रेषित किया जाता है और इस्पात उत्पादन की लघु प्रतिशतता ही व्यापारियों को पुनर्विक्रय के प्रयोजनार्थ दी जाती है। इस्पात सामग्री की आपूर्ति के लिए तीन विनियमित संसाधन हैं, अर्थात प्रमुख इस्पात संयन्त्र, छड़ पुनः रोलरों और प्रमुख उत्पादकों के बाड़े, और सारे देश में इस्पात सामग्री इन साधनों से समरूप कीमतों पर प्राप्त की जा सकती है।

इस्पात का किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग उसके अतिरिक्त जिसके लिए वह आबंटित या आवेदित किया गया है, अपराध है। जब कभी वास्तविक प्रयोग के लिए दिए गए इस्पात के खुले बाजार में स्रवण के मामले प्रकाश में आते हैं तो कार्रवाही की जाती है।

कम्पनियों पर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

6211. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई कम्पनियों ने कर्मचारी भविष्य निधि का लगभग 20 करोड़ रुपया सम्बन्धित अधिकारियों के पास जमा नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों की संख्या कितनी हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने यह सूचित किया है कि 7685 छूट-न-प्राप्त प्रतिष्ठान (कम्पनियों सहित) भविष्य निधि के अंशदानों (पिछली राशियों सहित) की लगभग 21.56 करोड़ रुपये की राशि, जैसी की स्थिति 30-9-72 को थी जमा करने में असफल रहे हैं .

Strengthening of Indian Naval Fleet

6212. **Shri M. S. Purty :**
Shri G. Y. Krishnan :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Indian Naval Fleet has been strengtened by the Government to a certain extent;

(b) whether the number of some higher posts has also been increased in the Navy; and

(c) if so, the particulars thereof ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Steps have been taken to strengthen the Indian Naval Fleet, particularly the submarine arm and the anti-submarine naval air wing. The development of the Navy is a continues process.

(b) Yes, Sir.

(c) Two posts of Principal Staff Officers have been upgraded to the rank of Vice Admiral and three posts of Assistant Principal Staff Officers have been created in the rank of Rear Admiral.

बिजली की कमी का सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उत्पादन पर प्रभाव

6213. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली की कमी से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उत्पादन कहां तक प्रभावित हुआ है; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

भारी उद्योगमंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क)और (ख) राज्यों में जहां बिजली की कटौती 75 प्रतिशत या उसके लगभग हुई है, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उत्पादन को काफी धक्का लगा है। उन राज्यों में जिनमें बिजली की कटौती 25 प्रतिशत या इससे कम हुई है उनके उत्पादन कार्य-क्रम में मामूली सी अस्तव्यस्तता हुई है। फिर भी, यह बता सकना संभव नहीं है कि इसके कारण कितने परिमाण में उत्पादन में हानि हुई है।

सिंचाई तथा बिजली मंत्रालय में क्षेत्रिय बिजली सम्मेलनो में बिजली की कमी की समस्या पर विचार किया है जिसमें पांचवी योजना की अवधि में तात्कालिक उपायों तथा दीर्घकालिक कार्यवाही करने के लिए दोनों प्रकार की शिफारिशें की गई हैं। अल्पकालिक उपायों में बिजली परियोजनाओं तथा विद्युत् जनित्रण एककों में जो खराब होगये है, प्राथमिकता के आधार पर द्रुतगति से कार्य करना शामिल है। कुछ मामलों में, समीपवर्ती आधिक्य क्षेत्रों से बिजली उधार लेकर इस अन्तर को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इसके अतिरिक्त सरकार भी इस प्रयोजन के लिए गठित मन्त्रियों के एक दल द्वारा नियमित आधार पर इस मामले की समीक्षा करवा रही हो। दीर्घकालिक उपायों में देश में बिजली की बढ़ती हुई आवश्यकता पूरी करने के लिए पांचवी योजना में चालू की जाने वाली नई परियोजनाओं की स्थापना करना शामिल है।

पन-बिजली परियोजनाओं के मामले में जहां वर्षा तथा जलाशयों में पानी इकट्ठा रखने पर पूर्णरुप से निर्भर रहना पड़ता है, इस वर्ष सूखे के कारण बिजली की कमी हुई है। आशा है कि इन मामलों में आगामी वर्षा ऋतु से स्थिति सुधर जाएगी।

Proposal for opening office of Steel Controller in Bihar

6214. **Shri Chiranjib Jha** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the Steel Controller has no offices in the main steel producing State of Bihar; and

(b) if so, the reasons therefor and when their offices are likely to be opened in the said State ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhadev Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) Offices of Regional Iron and Steel Control have been opened for the present at the important consumption centres at Delhi, Bombay, Calcutta, Madras, Kanpur and Hyderabad on regional basis to check malpractices particularly actual users to whom steel is allotted.

The State of Bihar is looked after by the Regional Iron and Steel Controller, Kanpur. At present there is no proposal to open separate offices each state.

The working of the main steel plants, including those in Bihar, are directly watched by the main office of the Steel Controller himself.

डी० 50–15 ए० कोमात्सू और हनोमाग के–7 कालर ट्रैक्टरों का निर्माण

6215. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० 50–15 ए० कौमात्सू और हनोमाग के-7 कालर किस्म के उन ट्रैक्टरों की क्रमश: कितनी कीमतें हैं, जिनके आधार पर इन मशीनों का निर्माण आरम्भ करने वाले सरकारी क्षेत्र के दो कारखानों को एस०के०डी०/सी०के०डी० पैकों की अनुमति दी गई थी;

(ख) प्रत्येक मामले में कितने इंजीनों की मंजूरी दी गई थी; और

(ग) उक्त कारखानों में से प्रत्येक ने प्रत्येक पैक में डोझर ब्लेडों की कीमतों को छोड़कर कितने मूल्य के कल पुर्जे नहीं मंगाये और प्रत्येक कारखाने पर लगाई गई सम्बद्ध लाइसेंसिंग शर्तों के प्रति इन कल पुर्जों को मंगाने की कार्यवाही किस प्रकार संगत है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सम्पूर्ण क्राउलर ट्रैक्टर माडल डी 50-15 ए० कोमात्सु और माडल हनोमैग के-7 की लागत-बीमा-भाड़ा कीमत क्रमशः 93,800 रुपये और 1,70,000 रु० है ।

(ख) कोमात्सु के 282 और हनोमैग क्राउलर ट्रैक्टरों के 60 इंजनों के लिए निर्माण की प्रारम्भिक अवस्थाओं में एस० के० डी०/सी०के०डी० पैकों सहित आयात करने की अनुमति दी गई थी ।

(ग) अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :—

क्राउलर ट्रैक्टर का माडल	कितने कल-पुर्जे नहीं मंगाए गए	लाट संख्या
कोमात्सु डी 50—15 ए . . .	67%	1
	70%	2
	69.12%	3
	72%	4
हनो मैग के- 7 . . .	26%	1
	58%	2

जो कल-पुर्जे नहीं मंगाए गए है, वे सरकार द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्यक्रम के अनुसार है ।

कोमात्सू कालर ट्रैक्टरों की बढ़ी हुई कीमत

6216. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के भूतपूर्व वाणिज्यिक प्रबन्धक और कोमात्सू कालर ट्रैक्टरों के निर्माताओं और विदेशों सप्लाई कर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले जापानी सम्पर्क अधिकारी ने पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय को विदेशी मुद्रा में बढ़ा चढ़ा कर कीमत बताने में सांठ-गांठ की थी ;

(ख) क्या कृषि मन्त्रालय को उपर्युक्त तथ्यों का पता चलने पर वाणिज्यिक प्रबन्धक ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था और जापानी सम्पर्क अधिकारी ने आत्महत्या कर ली थी; और

(ग) उपर्युक्त अधिकारियों द्वारा कृत्रिम रूप से बढ़ा चढ़ा कर कीमतें बताई जाने से उपभोक्ताओं के हितों पर कितना प्रभाव पड़ा है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : क्रालर ट्रैक्टरों के आयात के लिए अर्थ मूवर्स लिमिटड ने पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय को अभी तक कोई दरें प्रस्तुत नहीं की हैं । तथापि डी 50-ए-15 किस्म के स्वदेश में निर्मित क्रालर ट्रैक्टरों के लिए बताई गई कीमत के बारे में वर्ष 1969 में पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय और खाद्य एवं कृषि मन्त्रालय (कृषि विभाग के) बीच विचार-विमर्श के दौरान, कम्पनी ने, तुलना करने के उद्देश्य से, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय को ऐसे क्रालर ट्रैक्टरों की पोतपर्यंत निःशुल्क दर बताई थी । खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय के अनुसार, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा डी 50-ए-15 क्रालर टैक्टरों की उस समय बताई गई पोत-पर्यन्त निःशुक्ल कामतसू दर ऊंची थी । तथापि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा पोतपर्यन्त निःशुक्ल दर इस बारे में स्थानीय कामतसू कार्यालय द्वारा दी गई सूचना पर आधारित थी । क्योंकि भारत अर्थ मूवर्स लि० उस समय मैसर्स कामतसू के साथ नियमित वितरण अथवा एजेंसी प्रबन्ध नहीं रखता था, अतः इस उपस्कर के लिए कम्पनी के पास मूल्य सूची उपलब्ध नहीं थी । वैसे भी उपर्युक्त पोतपर्यन्त निः शुल्क दर पर मसर्स कामतुस से कोई क्रालर ट्रैक्टर आयात करने का प्रस्ताव नहीं था और न तो मैसर्स कामतसू और ना ही मैसर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने उपर्युक्त पोतपर्यन्त निःशुक्ल दर बताने के फलस्वरूप कोई लाभ प्राप्त करना चाहा अथवा प्राप्त किया । अतः किसी सांठ-गांठ अथवा उपभोक्ता हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

2. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा देश में निर्मित डी-50–ए-15 क्रालर ट्रैक्टर का मूल्य कम्पनी को उत्पादन लागत पर आधारित था और ऐसे क्रालर ट्रैक्टरों के पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य से सम्बन्धित नहीं था। तथापि, क्योंकि खाद्य एवं कृषि मन्त्रालय अभी संतुष्ट नहीं था और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के मूल्य को अधिक समझता था, अतः सरकार द्वारा बात-चीत के परिणामस्वरूप, डी-50-ए-15 क्रालर ट्रैक्टरों के लिए वह मूल्य का सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा लागत अध्ययन के लिए सहमत हो गया और यह अध्ययन इस समय प्रगति पर है।

3. हम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटड के महाप्रबन्धक (वाणिज्यक) का 1971 में त्यागपत्र और कामतसू के प्रतिनिधि द्वारा कथित आत्महत्या का उपर्युक्त मामले से सम्बन्धित होने का प्रमाण नहीं मान सकते हैं।

जे० के० जूट मिल्स लिमिटेड, कानपुर में हड़ताल

6217. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जे० के० जूट मिल्स लिमिटेड, कानपुर में हड़ताल अभी तक चल रही है;

(ख) क्या राज्य के श्रम मन्त्री से इस बीच कोई उत्तर प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) यह विवाद राज्य सरकार की परिधी में आता है, जिन्होंने फिर भी विवाद से सम्बन्धित तथ्य हमें भेजे हैं।

ट्रैक्टरों और बिजली चालित हलों के निर्माण के बारे में विदेशी करार समिति

6218. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ट्रैक्टरों और बिजली चालित हलों के निर्माण के बारे में विदेशी सहयोग प्राप्त करने के मामलों में विचार करने के लिए विदेशी करार समिति की एक बैठक 9 सितम्बर, 1968 को हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में 'ट्रैक्टरों' की किस किस्म तथा माडल पर विचार किया गया था तथा इस बैठक के लिए परिचालित कार्यसूची में उल्लिखित प्रत्येक मामले में बल कितनी अश्व शक्ति का होगा ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ।

(ख) ट्रैक्टरों के लिए विदेशी सहयोग करार समिति की बैठक में जो 9 सितम्बर, 1968 को हुई थी, निम्नलिखित सहयोग प्रस्ताओं पर विचार किया गया था :—

(1)	पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम लि०, चण्डीगढ़ .	बल्गारियन 13 अ० श०
(2)	मैं० गाजियाबाद इंजीनियरिंग कं० प्रा० लि०, नई दिल्ली। (अब मैं० हर्ष ट्रैक्टरस् लि०, नई दिल्ली)।	डीटी-14 (14 या 20 अ०श०)
(3)	मैं० एस्कार्ट ट्रैक्टर्स लि०, फरीदाबाद . .	फोर्ड (46 अ० श०)

सैनिक स्कूलों के कार्य के बारे में संसद सदस्यों का अभ्यावेदन

6219. **श्री वयालार रवि :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत में सैनिक स्कूलों के कार्य के बारे में कुछ संसद् सदस्यों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस की रूपरेखा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) सैनिक स्कूलों के कार्य को जांच करने के लिए तेरह संसद सदस्यों ने एक संसदीय समिति के गठन का सुझाव दिया था । माननीय सदस्यों ने महसूस किया कि कर्मचारियों की सेवा शर्तों में संशोधन की आवश्यकता है और स्कूलों का सैनिक अफसरों द्वारा नियन्त्रण नहीं होना चाहिए ।

सरकार का विचार है कि क्योंकि इन स्कूलों का उद्देश्य सशस्त्र सेनाओं के लिए सम्भावित अफसरों को प्रशिक्षित करना है अत: सैनिक स्कूलों में अनुभवी सैनिक अफसरों का सम्बंध अनिवार्य है । इन स्कूलों में अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें अच्छे पब्लिक स्कूलों के अध्यापकों तथा कर्मचारियों के समान ही हैं ।

सैनिक स्कूलों के कार्य निष्पादन के पुनरीक्षण की वांछनियता पर सरकार का ध्यान है । विशिष्ठ शिक्षाशास्त्रीयों, रक्षा, शिक्षा और वित्त मंत्रालयों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों वाली एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति शीघ्र ही कार्य करने लगेगी । अत: इस प्रयोजन के लिए संसदीय-समिति नियुक्त करना आवश्यक दिखाई नहीं देता है ।

सैनिक स्कूल प्रशासन के ढांचे में परिवर्तन

6220. **श्री वयालार रवि :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सैनिक स्कूल प्रशासन के ढांचे में कोई परिवर्तन लाने का है जिससे इन स्कूलों की शिक्षा की उपयोगिता में वृद्धि हो सके; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) सैनिक स्कूलों के कार्य-निष्पादन और कार्य-संचालन का पुनरीक्षण करने के लिए व्यापक विचारार्थ विषयों वाली एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है । यह समिति, जिसकी शीघ्र ही बैठक होगी, सैनिक स्कूलों के प्रशासन के सभी पहलुओं का अध्ययन करेगी । समिति की सिफारिशें प्राप्त हो जाने पर सरकार आवश्यक कार्रवाई करेगी

Loss of life of labourers in Mica Mines, Tisri Sub-Division, Giridih District, Bihar

6221. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether five labourers lost their lives prematurely in incidents that took place since October, 1972 to 1st March, 1973 in Mica Mines in Tisri sub-division, Giridih District of Bihar;

(b) if so, the names of the mica mines where the said incidents took place as also the names of the deceased together with the causes thereof;

(c) whether no action ha ince been taken against the persons responsible for these incidents; and

(d) if so, the reasons therefor and the time by which Government propose to take action against them with the nature of action proposed to be taken ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : (a) Yes.

(b) A statement is attached.

(c) & (d) The two accidents at Rerhi Mica Mine and Reriyatari Mica Mine are in abandoned mines where it is alleged that unauthorised work by Local villagers was going on resulting in the accidents. Since unauthorised persons were involved in the accident and were killed, the question of taking action against them did not arise. The report in respect of the third accident is awaited and suitable action depending upon the findings of the enquiry report will be taken.

STATEMENT

	Name of the Mine	Date of accident	Cause of accident	Name of the persons killed
1.	Rerhi Mica Mine of M/s. Gawan Mica Mining Co. Ltd.,	1-10-72	Suffocation by gases.	1. Kedar Pandey 2. Hemraj Rabidas.
2.	Reriyatri Mica Mine of M/s. Gawan Mica Mining Co. Ltd.,	29-1-73	Fall of Side	1. Kulo Sao. 2. Badri Gope.
3.	Murali Pahari of M/s. Singho Mica Mining Co. Ltd.	1-3-73	Fall of roof	Chetan Turi.

Termination of services of Labourers of Lapanga Colliery after take over

6222. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether after taking over of the Lapanga colliery in Hazaribagh district of Bihar by Government, its management board terminated the services of 95 per cent labourers working there and recruited new labourers:

(b) if so, the action taken against such officers; and

(c) the period of service of the labourers working in Lapanga colliery ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad: (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

बिहार सरकार द्वारा बोकारो के निकट 'स्लैग ग्रेनुलेशन प्लांट' की स्थापना

6223. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार का विचार बोकारो के निकट "स्लैग ग्रेनुलेशन" प्लांट की स्थापना करने का है ;

(ख) क्या बोकारो इस्पात कारखाना प्रस्तावित प्लाण्ट के लिए आवश्यक "स्लैग" सप्लाई करने पर सहमत हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो बोकारो इस्पात कारखाना कितना और कितने मूल्य का "स्लेग" सप्लाई करेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) बिहार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने सीमेंट बनाने हेतु बोकारो इस्पात कारखाने से निकलने वाले धातुमल को दानेदार बनाने के कारखाने लगाने के रुचि दिखाई थी। परन्तु हाल में बोकारो स्टील लिमिटेड के निदेशक-मण्डल ने बोकारो में स्वयं एक स्लैग ग्रेनुलेशन प्लांट लगाने का निर्णय किया है। कारखाने की स्थापना के बाद बोकारो इस्पात कारखाना बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों सहित विभिन्न ग्राहकों को दानेदार स्लैग सप्लाई करेगा।

मजगांव डाक लिमिटेड में निर्मित युद्ध पोतों में आयातित कल-पुर्जों का अंश

6224. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मजगांव डाक, बम्बई में निर्मित युद्धपोतों में आयातित कल-पुर्जों की प्रतिशतता क्या है ;

(ख) इन सभी आयातित कल-पुर्जों के स्थान पर भारतीय कल-पुर्जे लगाने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) यह लक्ष्य प्राप्त करने में कितना समय लगेगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) युद्धपोत निर्माण के क्षेत्रों में मजगांव डाक लिमिटेड बम्बई की मुख्य गतिविधि इस समय लीयंडर क्लास फ्रीगेटस से संबंधित है। मजगांव डाक लिमिटेड द्वारा हाल में बनाए जा रहे फ्रीगेटस का आयात अंश लगभग 45 प्रतिशत है।

(ख) और (ग) फ्रीगेटस् के स्वदेशी अंश को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं। भारत में बनाए जाने वाले युद्धपोतों के लिए मशीनरी/उपकरण के विभिन्न मदों के अधिकतम स्वदेशीकरण में सहायता करने के विचार से रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन दो निदेलाशय, अर्थात एक युद्धपोत परियोजना निदेशालय तथा दूसरा उत्पादन और निरीक्षण (नौसेना) निदेशालय स्थापित कर दिए गये हैं। इन एजेन्सियों की सहायता से फ्रीगेटस के लिए आवश्यक कई एक मुख्य मदों का सफलतापूर्वक देशज निर्माण देश में ही स्थापित किया गया है जिसमें मुख्य बायलर, मुख्य टरबाइन और मुख्य गीयर आदि सम्मिलित है। इन फ्रीसेटस में लगाने के लिए आधुनिकतम रडार और फायर नियन्त्रण उपकरण का स्वदेशी निर्माण आरम्भ किया गया है और सहायक तथा विद्युतीय मशीन के देशज निर्माण में भी काफी प्रगति की गई है।

जबकि आने वाले वर्षों में स्वदेशीकरण में सुधार होने की आशा है, तो भी शस्त्रास्त्रों और उपकरणों की आवश्यकताओं में तकनीकी प्रगति के कारण परिवर्तन होते रहने से शत प्रतिशत स्वदेशीकरण करना सम्भव न हो सकेगा और बहुत सीमित आवश्यकताओं के कारण भी कुछ मदों का स्वदेशीकरण मितव्ययी नहीं होगा।

भारतीय सेना के जवानों तथा अधिकारियों के लिए साहित्यिक तथा शैक्षिक पुस्तकें

6225. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय सेना के जवानों और अधिकारियों को उनके लिए उपयुक्त साहित्यिक तथा शैक्षिक पुस्तकें नहीं मिल रही है जैसा कि अन्य देशों में फौजियों को मिलती हैं ;

(ख) क्या चुने हुए विषयों पर चुनी हुई पुस्तकें प्रकाशित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ताकि उन्हें भारतीय सेना के जवानों और अधिकारियों को रियायती दरों पर बेचा जा सके और इस कार्य के लिए उनका उचित सम्पादन भी किया जाये ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना की विशेषताएं क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी नहीं, श्रीमन् । जवानों और अफसरों के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली साहित्यिक तथा शैक्षिक पुस्तकें खरीदने के लिए पर्याप्त प्रबंध है जो उनके अध्ययन के लिए उनके मनोरंजन गृहों तथा पुस्तकालयों में रखी जाती है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कर्मचारी तथा नियोजकों के मध्य अच्छे संबंधों के लिए श्रमिकों को शिक्षा

6226. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी नियोजक संबंधों और कार्मिक संघवाद के स्वस्थ्य विकास के लिए विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए कदम उठाए हैं, यदि हां तो उनकी मुख्य बातें क्या है ;

(ख) क्या सरकार श्रमिक वर्ग में विनाशकारी तत्वों का प्रवेश रोकने के लिए कार्य-वाही सुनिश्चित करने हेतु उपाय करने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त उपायों की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) श्रमिकों की शिक्षा का एक देशव्यापी कार्यक्रम 1958 से चल रहा है। इस योजना का उद्देश्य एक विदित और जिम्मेदार श्रम दल तैयार करना है जो मज़दूर संघों को सुदृढ़ दिशाओं पर व्यवस्थित कर सके और चला सके। इस योजना के अन्तर्गत मज़दूर संघ तत्वज्ञान, मज़दूर संघ संगठन, संघ-प्रबन्धक सम्बन्धों, श्रम-सम्बन्धी कानून-निर्माण, सामूहिक सौदेकारी और श्रमिकों के हित के अन्य मामलों जैसे विषयों में शिक्षा दी जाती है।

दुर्गम क्षेत्रों में सी० आई० चादरें और लोहे की छड़ें सप्लाई करने के उपाय

6227. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मनीपुर जैसे सुदूर क्षेत्रों में सी० आई० चातरों और लोहे की छड़ों के समय पर समुचित मात्रा में न पहुंचने से इनके ऊंचे मूल्यों के कारण वहां बहुत कठिनाई पेश आ रही है ;

(ख) यदि हां तो उक्त कठिनाई दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, क्या किए जाएंगे ; और

(ग) क्या सरकार इन दुर्गम क्षेत्रों के लिए वैगनों के आबंटन और उनका कोटा देने के मामलों में विशेष उपायों पर विचार कर रही है और यदि हां, तो उन उपायों की मोटी रुपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) आजकल लोहे तथा इस्पात का राज्यवार कोटा नहीं दिया जाता है। आजकल प्रेषण इस्पात प्राथमिकता समिति के निर्णयों के अनुसार किए जाते हैं। जो इस्पात के अन्ततः उपयोग, (जिसके लिए इस्पात की मांग की गई हो) तथा इस श्रेणी के इस्पात की उपलब्धी तथा अन्य स्पर्धी मांगों आदि को ध्यान में रखती है।

(ग) रेल के डिब्बों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धि अथवा माल के ले जाने पर लगाए गए प्रतिबन्धों के कारण इस्पात कारखानों से मनीपुर को लोहा और इस्पात ले जाने के लिए पर्याप्त संख्या में डिब्बे उपलब्ध न होने के बारे में रेल मंत्रालय को हाल के महीनों में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

मनीपुर रेजिमेंट बनाना

6228. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मनीपुर रेजीमेंट नामक रेजीमेंट बनाने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सेना अधिनियम की व्यवहार्यता

6229. **श्री हुकुम चन्द कछवाय** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना अधिनियम संख्या 1, 2, 3 फील्ड आर्डनेंस डिपुओ और आर्डनेंस ट्रांजिट ग्रुप पठानकोट में काम कर रहे कर्मचारियों पर भी लागू होता है ; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) 28 नवम्बर 1962 से।

पठानकोट में सैनिक इंजीनियरिंग सेवा के कर्मचारियों द्वारा अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल

6230. **श्री हुकुम चन्द कछवाय** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर/अक्तूबर 1972 में पठानकोट में सैनिक इंजीनियरींग सेवा के कर्मचारियों ने 52 दिन की रिले हड़ताल और अनिश्चित काल तक के लिए भूख हड़ताल की थी ; यदि हां, तो उस कार्मिक संघ का नाम क्या था और वह किससे सम्बद्ध था और उसकी मांगें क्या थीं ;

(ख) क्या उक्त भूख हड़ताल के परिणामस्वरुप उत्तर और पश्चिम कमांड में 180 दिन की निरन्तर सेवा वाले से नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया था लेकिन पठानकोट में सैनिक इंजिनियरिंग सेवा के लगभग 400 नैमित्तिक कर्मचारियों को अभी तक नियमित नहीं किया गया है, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 6 सितम्बर 1972 से पश्चिमी कमान एम० ई० एस० कर्मचारी संघ के नाम से एक गैर मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन ने निम्नलिखित मांगों के लिए एक रिले भूख हड़ताल की :—

(i) संघ के पद-धारियों को स्थानान्तरण से सुरक्षा; और

(ii) अनियमित कर्मचारियों को अस्थायी कर्मचारियों के रूप में परिवर्तित करना ।

(ख) और (ग) संबंधित प्राधिकारियों द्वारा पठानकोट की यूनिट में उपलब्ध रिक्त स्थानों पर यथासंभव अनियत कर्मचारियों को अस्थायी कर्मचारियों के रूप में खपाये जाने के लिए पहले से ही कार्रवाई की जा रही है ।

एच० ए० एल० द्वारा निर्मित कृषि विमान

6233. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एच० ए० एल० बंगलौर द्वारा अब तक कितने कृषि विमान बनाए गए हैं ;

(ख) ऐसे प्रत्येक विमान पर कितने विदेशी मुद्रा खर्च हुई है ;

(ग) प्रतिवर्ष ऐसे कितने विमान तैयार किए जाते हैं ; और

(घ) ऐसे प्रत्येक विमान पर विदेशी मुद्रा का अंश सहित भारतीय मुद्रा में कुल कितनी लागत आती है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्यमंत्री (श्री विद्या चरणशुक्ल) : (क) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड बंगलौर प्रभाग द्वारा अभी तक कृषि संबंधी विमान वसंत के दो नमूने तैयार किए गए हैं और उड़ान विकास प्रयोग पूरे होने वाले हैं ;

(ख) पिछले अतिरिक्त पुर्जों को छोड़कर प्रति विमान 2.5 लाख रुपए ।

(ग) इस विमान के निर्माण के लिए नियोजित कार्यक्रम इस प्रकार है :—

1973–74	—
1974–75	20
1975–76	40
1976–77 और उससे आगे	60

(घ) जैसा इस समय जाहिर है उसके आधार पर प्रति विमान अनुमानित लागत 6.9 लाख रुपए है । तथापि, पक्का अनुमान नियमित उत्पादन आरम्भ हो जाने पर उपलब्ध हो सकेगा ।

चित्तरंजन पार्क नई दिल्ली में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को अलाट करने के लिए उपलब्ध प्लाट

6234. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये पात्र विस्थापितों को अलाट करने के लिए लगभग 200 रिहायशी प्लाट अभी भी उपलब्ध हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उपरोक्त पुनर्वास कालोनी में 55 बड़े प्लाटों पर बहुमंजले भवन बनाने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उचित समय के अन्दर-अन्दर ये प्लाट अलाट करने के लिए एक नया प्रेस नोट जारी करने की वांछनीयता पर सरकार विचार करेगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) इस समय अलाटमेंट के लिए 233 वर्गगज की श्रेणी के 55 प्लाट और 160 वर्गगज की श्रणी के 2 प्लाट उपलब्ध हैं। अतिक्रमण तथा मुकदमे बाजी के कारण 160 वर्गगज श्रणी के 154 प्लाटों का विकास नहीं किया जा सका। इनमें से केवल कुछ प्लाटों का विकास करना ही संभव होगा।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के परामर्श से योजना के ब्यौरे परीक्षाधीन हैं।

(ग) योजना को अन्तिम रूप देने पर एक प्रेस नोट जारी कर दिया जाएगा।

Displaced persons from erstwhile East Pakistan allotted plots in E.P.D.P. Colony, Kalkaji, New Delhi

6235. **Shri Chandrika-Prasad :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total number of displaced persons from erstwhile East Pakistan living in Delhi who have so far been allotted plots of land in E.P.D.P. Colony near Kalkaji, New Delhi;

(b) the plot-wise names and particulars including the postal addresses of the allottees of such lands in the said colony;

(c) whether Government propose to allot more plots of land to other E.P. D. Ps. in the said colony in the near future; and

(d) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Raghunatha Reddy) : (a) 1813 (One thousand eight hundred and thirteen).

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha later on.

(c) and (d) The remaining plots will continue to be allotted in the usual manner to those displaced persons from erstwhile East Pakistan who had applied in response to the Department's Press Notes, and who ware declared eligible, or are found eligible. This would be done subject to availability of plots in the category to which they are entitled.

Besides, there are 55 plots of large size for allotment to the eligible persons on group housing basis. The details of this scheme are under examination in consultation with the Delhi Development Authority. A Press Note will be issued as soon as the scheme is finalised.

सरकारी उपक्रमों के कार्मिक संघों को मान्यता देना

6236. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन मास में विभिन्न सरकारी उपक्रमों के कितने संघों को मान्यता दी गई है;

(ख) वे किन-किन राजनीतिक दलों से सम्बद्ध है; और

(ग) विभिन्न कार्मिक संघों को मान्यता देने के लिए क्या कोई नई कसौटी अपनाई गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) दो संघों को, जो अखिल भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस से सम्बद्ध हैं और जो केन्द्रीय क्षेत्र में सरकारी उपक्रमों में कार्य कर रहे हैं, जनवरी से मार्च, 1973 के दौरान अनुशासन संहिता के अन्तर्गत किये गये सदस्यता के सत्यापन के आधार पर मान्यता दी गई थी।

(ग) जी नहीं।

भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को सूखे के कारण अग्रिम राशि देना

6237. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई, इस्पात संयंत्र में कार्य करने वाले उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के लोगों को उनके राज्यों में सूखे के कारण 500 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से अग्रिम दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के रहने वाले लोगों को यह सुविधा न देने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) इस वर्ष अर्थात् 1972–73 में किसी कर्मचारी को प्रकार इस की कोई अग्रिम राशि नहीं दी गई है। संभवत: अभिप्राय हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के (भिलाई इस्पात कारखाना भी शामिल है) उत्तर प्रदेश तथा बिहार के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के अकार्यकारी कर्मचारियों को 1967 में दी गई अग्रिम राशि से है। यह अग्रिम राशि 3 मास के मूल वेतन, अधिकाधिक 500 रुपए तक के बराबर थी। पश्चिमी बंगाल के कर्मचारियों को ऐसी कोई अग्रिम राशि नहीं दी गई थी।

(ख) चूंकि अब हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के किसी भी कर्मचारी को सूखा ग्रस्त सहायता के रूप में कोई अग्रिम राशि नहीं दी गई है अत: किसी राज्य विशेष के कर्मचारियों को ऐसी सुविधा, जो दूसरों को दी गई हो, न देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

भिलाई इस्पात संयंत्र में काम कर रहे स्थायी कर्मचारी

6238. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात संयंत्र में कुल कितने स्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

(ख) इनमें से कितने अधिकारी हैं और कितने अन्य कर्मचारी हैं ;

(ग) इस संयंत्र के आरम्भ होने के समय से लेकर प्रतिवर्ष, राज्यवार, और वर्ग-वार कितने कितने कर्मचारी भर्ती किये गये ; और

(घ) नैमित्तिक श्रमिकों पर प्रतिवर्ष कितनी राशि खर्च की गई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) 1-3-1973 को भिलाई इस्पात कारखाने में 44,650 कर्मचारी थे जिनमें 2518 अधिकारी तथा 42,132 अन्य कर्मचारी थे।

(ग) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के इस्पात कारखानों में जन्म स्थान तथा निवासस्थान के आधार पर नौकरी के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) वर्ष 1972-73 में (28-2-1973 तक) नैमित्तिक श्रमिकों पर खर्च हुई कुल राशि 40,87,652.58 रुपये है।

भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों द्वारा बनाई गई सहकारी कृषि समिति

6239. **श्री चन्दुलाल चन्द्राकर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों ने कभी सहकारी कृषि समिति बनाई थी ;

(ख) यदि हां, तो फार्म के अधीन कितने एकड़ भूमि है ; और

(ग) क्या फार्म की बाड़ लगाने, उसकी जुताई और रखरखाव का अन्य कार्य भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा किया जाता है और फिर भी उक्त फार्म को हानि हो रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) आरंभ में भिलाई कारखाने के विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा 21 सहकारी कृषि संस्थाएं स्थापित की गई थी। इस समय इन में से 11 काम कर रही है।

(ख) 1599 एकड़ ।

(ग) आरंभ में संस्थाओं की भूमि के समतलीकरण तथा बाड़ लगाने का काम कारखानों के प्रबन्धकों द्वारा किया गया था। प्रबन्धकों ने न तो फार्मों का रखरखाव किया और न ही उनकी जुताई की। सभी संस्थाएं घाटे में नहीं जा रही हैं। 11 कृत्यकारी संस्थाओं में से 4 संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है। वार्षिक हानियां मुख्यतः वर्षा की कमी तथा पानी की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई न होने के कारण हुई है।

एच० ई० एल० और बी० एच० ई० एल० द्वारा निर्मित हाइड्रो और स्टीम जेनरेटिंग सेटों का रेटिंग

6240. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एच० ई० एल० और बी० ई० एच० एल० द्वारा निर्मित हाइड्रो और स्टीम जेनरेटिंग सेटों का 'रेटिंग' क्या है ; और

(ख) प्रत्येक को किस तारीख को चालू किया गया, "रेटिंग" की प्रतिशतता में कितना "लोड" लिया और प्रत्येक एकक खराबी और रख-रखाव के कारण कितनी अवधि के लिए अप्रयुक्त रहा ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) एक सारणीबद्ध विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4729/73]**

भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन विभिन्न परियोजनाओं के कार्य को प्रारम्भ करने, उन्हें पूरा करने और चालू करने की समय तालिका

6241. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से सरकारी स्वामित्व की प्रत्येक कम्पनी उपक्रम द्वारा प्रारम्भ की गई प्रत्येक परियोजना/संयंत्र के कार्य को प्रारम्भ करने। उन्हें पूरा करने और चालू करने की मूल समय-तालिका क्या है; और

(ख) प्रत्येक उक्त परियोजना अथवा सयंत्र के अलग-अलग एकक के कार्य को यदि एकक वार प्रारम्भ/पूरा उसे चालू किया जाना था तो प्रत्येक एकक के कार्य के प्रारम्भ करने/पूरा करन और उसे चालू करने की मूल समय-तालिका क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रखदी जाएगी ।

सिंगरैनी कोयला खानें

6242. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश की कुछ सिंगरैनी कोयला खानों के श्रमिकों की जबरन छुट्टी कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) सिंगरैनी कोलियरीज कं० लि० के प्रबन्धतंत्र ने अपनी कोयला खानों में नियोजित लगभग 20,000 श्रमिकों को 10-3-73 से 20-3-73 तक जबरी छुट्टी दी क्योंकि लगभग 900 माइनिंग कर्मचारी (ओवरमैन, सरदार और शाट फायर्र) 10 मार्च, 1973 से 20 मार्च, 1973 तक हड़ताल पर चले गए ।

एक अज्ञात विमान के हमले से नोम पेन्ह स्थित भारतीय मिशन को क्षति

6243. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्बोडिया में राष्ट्रपति के महल पर एक अज्ञात विमान द्वारा हाल ही में किए गए आक्रमण के परिणामस्वरूप नोम पेन्ह स्थित भारतीय मिशन के किसी कर्मचारी की मृत्यू हुई अथवा कोई कर्मचारी जख्मी हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ; और

(ग) उसके परिणामस्वरूप भारतीय मिशन को कितनी क्षति पहुंची ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) हमारे कार्यदूत के घर की दीवारों और छतों में दरार पड़ गई थी। कुछ दरवाजे और खिड़कियां भी क्षतिग्रस्त हुई ।

संकटमय परिस्थितियों वाली नौकरियों वाले श्रमिकों का अनिवार्य बीमा

6244. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी श्रमिकों अथवा कम से कम संकटमय परिस्थितियों वाली नौकरियों वाले श्रमिकों का अनिवार्य बीमा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में कब तक अन्तिम निर्णय कर लेगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) 20 या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले और पावर का प्रयोग करने वाले बारह मासी कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की बहुत बड़ी संख्या के लिए रोज़गार के दौरान लगने वाली चोट के सम्बन्ध में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में अनिवार्य बीमे की पहले से ही व्यवस्था विद्यमान है। इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रतिष्ठानों की अतिरिक्त श्रेणियों, जिनमें छोटे छोटे कारखाने, दुकाने और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान खानें और बागान शामिल हैं, पर भी लागू करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। जहां तक ऐसे करखानों और अन्य प्रतिष्ठानों, जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की परिधि में नहीं आते परन्तु जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं, में काम करने वाले श्रमिकों का सम्बन्ध है, अधिनियम के अन्तर्गत नियोजक की जिम्मेदारी वाला अनिवार्य बीमा रायज करने के बारे में एक प्रस्ताव विचाराधीन है। सेवा काल में सदस्य की मृत्यु की दशा में परिवारों को परिवार पेंशन और बीमा लाभ मंजूर करने के लिये सरकार ने 1-3-1971 से कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों के लिए परिवार पेंशन योजनाएं भी रायज की हैं।

Woman injured by a bullet at Kotah Guard Training Centre

6245. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether a woman of Tirath village was injured in February, 1973 when bullet hit her, which was fired in shooting practice at the Kotah guard training centre situated near the Station; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) & (b) It has been reported that during firing practice carried out by the Army at Duduwara Ranges in Kotah, a woman belonging to Bundi Distt. was injured on 2nd March 1973. Firing was conducted after the range had been cleared by the Police and a certificate to this effect was rendered by them. A court of enquiry has been ordered. The reasons for the accident will be known only after the findings of the court are received.

डिफेंस इन्स्टीट्यूट आफ फायर रिसर्च द्वारा 'ऐयर क्रैश टेंडरों' का आयात

6246. **श्री फतह सिंह राव गायकवाड :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिफेंस इनस्टीट्यूट आफ फायर रिसर्च द्वारा गत दो वर्षों में कितने "एयरक्रैश टेंडरों" का आयात किया गया ;

(ख) उन्हें विभिन्न राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों को किस आधार पर वितरित किया गया ; और

(ग) सरकार ने पुराने "क्रैश-टैंडरों" में परिवर्तन करने और इनका आयात बन्द करने तथा उन को देश में ही बनाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) गत वर्षों के दौरान डिफेंस इन्स्टीट्युट आफ फायर रिसर्च द्वारा किसी "एयर क्रैश टेंडर" का आयात नही किया गया है ।

(ख) डिफेंस इन्स्टीट्यूट आफ फायर रिसर्च राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को "एयर क्रैश टेंडर" वितरण करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

(ग) भारतीय वायु सेना के पास वर्तमान "क्रैश टेंडरों" में सुधार कर दिया गया है और वे इस समय उपयोग में लाए जा रहे हैं। वायु सेना के लिए स्वदेश में "क्रैश-टेंडरों" के सुधार की परियोजना हाथ में ली गई है और वह पूरी होने वाली है। जहां तक नगर विमानन के लिए एयर क्रैश टेंडरों का संबंध है, नगर विमानन के महानिदेशक तथा डिफेंस इन्स्टीट्यूट आफ फायर रिसर्च के पारस्परिक परामर्श से मोटर गाड़ी में सुधार किया जा रहा है ।

आग बुझाने के लिए "फोम कम्पाउन्ड" के आयात पर व्यय

6247. **श्री फतेह् सिंह राव गायकवाड** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने गत दो वर्षों में आग बुझाने के लिए "फोम कम्पाउन्ड" के आयात पर कुल कितना व्यय किया ; और

(ख) सरकार ने 'फोम कम्पाउन्ड' और हल्का पानी देश में बनाने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) वर्ष 1971-72 और 1972-73 के दौरान आग बुझाने के लिए "फोम कम्पाउन्ड" का आयात नहीं किया गया है। तथापि उपर्युक्त अवधि के दौरान लगभग 430 लिटर फोम कम्पाउन्ड का प्रयोग तथा मूल्यांकन के लिए आयात किया गया था और उसमें लगभग 6,500 रुपए खर्च आए थे ।

(ख) प्रोटिन फोम कम्पाउन्ड का पहले ही देश में उत्पादन किया जा रहा है । फ्लूरो प्रोटीन फोम कम्पाउन्ड को विकसित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। हल्के पानी (सिन्थेटिक फ्लरो कम्पाउन्ड) के विकास की संभावना के लिए अध्ययन किए जा रहे हैं।

एशियाई राष्ट्रों का राष्ट्रमण्डल बनाना

6248. **श्री एच० एन० मुकर्जी** :
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एशियाई देशों का राष्ट्रमंडल बनाने के प्रस्ताव किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो एशियाई राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल बनाने के क्या उद्देश्य हैं ; और

(ग) मलेशिया तथा अन्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की इस प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

धनबाद के निकट पूर्व बासुरिया कोयला खान क्वार्टरों में तीन कामगारों की निर्मम हत्या का समाचार

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं इस्पात और खान मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दे :

"सशस्त्र गुण्डों के एक गिरोह द्वारा 2 अप्रैल, 1973 को धनबाद के निकट पूर्व बसुरिया कोयला खान क्वार्टरों में तीन कामगारों की निर्मम हत्या का कथित समाचार।"

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : 2 अप्रैल, 1973 को 9 बजें के लगभग कुछ लोगों ने, जो बन्दूको राइफलों और देसी बमों से लैस थे, पूर्वि बसूरिया कोयला खान, जो 31-1-73 को कोयला खानों के अधिग्रहण के परिणामस्वरुप अब अभिरक्षक के रूप में भारत कोकिंग कोल लि० के अधीन है, के ढौरा नं० 4 पर हमला कर दिया। बिहार सरकार ने सूचित किया है कि विभिन्न क्वार्टरों की बाहरी दीवारों पर बन्दूकों और राइफलों की गोलियों के 22 निशान मिले हैं। घटना स्थल पर लगभग 22 खाली कारतूस, एक भरा हुआ कारतूस, दो बिना फटे बम और एक अनदगा बम बरामद हुए हैं।

इस हमले के बाद घटना स्थल पर एक शव मिला जिस पर बन्दूक की गोलियों के घाव थे। मृतक का नाम थामी मण्डल है। यह भी सूचना मिली है कि आक्रमणकारी एक और शव जो कादर मियाँ नामक एक व्यक्ति का बताया जाता है, अपने साथ ले गए। बिहार सरकार के अनुसार बन्दूकों और राइफलों की गोलियों से 14 व्यक्ति घायल हुए, जिनमें से 3 गम्भीर रूप से घायल हुए। इनमें से एक जिसका नाम जगदीश मण्डल बताया जाता है मर जाने की सूचना मिली है।

पता चला है कि शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और विस्फोटक अधिनियम की धारा 5 के अधीन दंगा करने, कत्ल करने और कत्ल करने की कोशिश करने के अपराध में पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/148/149/302/307 के अधीन मामले दर्ज किए हैं। उन्होंने 3 अप्रैल 1973 की शाम तक लगभग 34 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था और एक कार को जो इस अपराध को करने के काम में लाई गई बताई जाती है, अपने कब्जे में ले लिया है। फरार व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए कार्यवाही की जा रही है कुमक भेज दी गई है तथा इस क्षेत्र में गश्त की व्यवस्था कर दी गई है।

जिस समय यह घटना घटी उस समय केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल के कुछ लोगों का उस क्षेत्र में पड़ाव था और क्योंकि उन्होंने इसका कोई प्रतिरोध नहीं किया अतः केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल के डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल आफ पुलिस ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल की पूरी यूनिट के आदमियों को मुअत्तिल कर दिया है।

कोयला खान के स्थानीय प्रबन्धक श्री कांग तथा सहायक श्रमिक अधिकारी श्री ए० पी० सिंह जिनका नाम अभियुक्तों में लिया गया था, फरार बताये जाते हैं। बिहार सरकार ने सूचित किया है कि अपराध कोयला खान के स्थानीय प्रबन्धकों के साथ मिलकर किया गया था। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने जाँच होने तक कोयला खान प्रबन्धक, सहायक श्रमिक अधिकारी तथा रामचन्द्र सिंह, पर्यवेक्षक, को नौकरी से निलंबित कर दिया है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड़ उन कुछ अन्य कर्मचारियों, जिन्हें अभियुक्त करार दिया गया है, के विरूद्ध भी उचित कार्यवाही कर रही है।

घटना के विस्तृत कारणों की जांच की जा रही है। फिर भी, यह कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में पुरानी-अन्तर-यूनियन प्रतिद्वन्दिता चली आ रही है।

इस घटना के शिकार हुए अभागे लोगों के परिवारों के प्रति मैं हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। इस क्षेत्र में सामान्य स्थिति लाने और जान और माल की सुरक्षा के लिए सभी संभव उपाय किए जाएगें और इस काम के लिए राज्य सरकार को पूरा सहयोग दिया जाएगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह एक बहुत ही निर्मक हत्या का मामला है। इसमें कोई संशय नहीं है कि मैनेजर तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल के कुछ व्यक्तियों को निलम्बित किया गया है। परन्तु यह दुर्घटना कोई अकेली दुर्घटना नहीं है। पश्चिम बंगाल के औद्योगिक क्षेत्रों और आसनसोल, झारिया और धनबाद की कोयला पट्टी में इस प्रकार की दुर्घटनाएं सत्तारूढ दल के प्रश्रय में इंटक के गुण्डो द्वारा की जा रही है।

गुण्डे आधे घंटे तक अपने काम में लगे रहे परन्तु उनके विमम कार्यवाही प्रारंभ करने में 24 घंटे का समय लग गया। क्या इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि पुलिस तथा इंटक के गुण्डो के बीच गठजोड था और यदि हां तो क्या सरकार इस बारे में कोई जांच करेगी ? मैनेजर के भाग जाने से ही देखा जा सकता है कि सरकार किस प्रकार से चल रही है।

कोयला क्षेत्रों का जिन को अनुभव है उन्हें पता है कि भीन्न अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को खान मालिकों से नियमित रुप से धन प्राप्त होता रहता है। यह प्रथा आज भी चल रही है। इससे समझा जा सकता है कि पुलिस तथा इंटक के गुन्डो के बीच किस प्रकार का गठजोड है 'टाइम्स आफ इंडिया' में भी प्रकाशित हुआ है कि इंटक के 25 व्यक्ति पकडे गये।

अध्यक्ष महोदय : यदि अन्य लोग भी इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने लगे तो आप आपत्ति करते हैं। यह सदन की प्रतिष्ठा का भी प्रश्न है। इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से सदन की कार्य-वाही पर नियन्त्रण करने में भी कठिनाई होती है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 136 वें प्रतिवेदन में भी इस प्रकार की गंभीर घटनाओं का उल्लेख है, जिनमें न केवल हिंसा एवं सम्पत्ति की क्षति ही होती है अपितु मजदूर संघो की कार्यवाहियों में भी रुकावटें आती हैं। प्रतिवेदन के पैरा 66 में भी उल्लेख है कि 'सीटू' सम्बद्ध-मजदूर संगठनों के सदस्यों पर होने वाले आक्रमणों के पश्चात् भी अधिकारियों द्वारा उन्हें पर्याप्त संरक्षण नहीं दिया जाता। क्या इस प्रतिवेदन के पश्चात् इस बात की आवश्यकता नहीं है कि अधि-कारी इस बारे में गंभीरता से विचार करें? अन्य दलों द्वारा चलाये जा रहे लगभग सभी संघो के विरुद्ध 'इंटक' द्वारा इसी प्रकार की गुण्डगर्दी की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि श्रमिक संघो को संरक्षण देने की दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है। श्रमिको को यह अधि कार प्राप्त होना चाहिये कि वे जिस किसी संघ को पसन्द करें, उसका सदस्य बन सकें। कानूनी रुप से गठित संघों के प्रति इस प्रकार की गुण्डागर्दी का व्यवहार नहीं होना चाहिये। इस प्रकार की अन्तः यूनियन कार्यवाहियों से उत्पादन पर असर पडता है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में आज यही हो रहा है।

श्री ए० बी० शर्मा (बक्सर) : इन बातों का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के साथ कोई संबंध नहीं है। यह भी तो हो सकता है कि आप के आदमी ही यह गुण्डागर्दी कर रहे हों।

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम : यह कहना ठीक नहीं है कि पुलिस घटना स्थल पर बहुत देरी से पहुंची। वास्तव में पुलिस घटना के तुरन्त पश्चात् वहां पहुंच गई थी। पुलिस के पहुंचते ही वे लोग भाग गये। सरकार ने जिस गति से दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की है, उससे देखा जा सकता है कि सरकार इस बारे में कितनी गंभीर है।

इस प्रतिवेदन का उल्लेख दिया गया है, मुझे उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। यदि प्रतिवेदन की प्रति मुझे उपलब्ध करवा दी जाये, तो मैं उसकी जांच करूंगा जिससे कि उस पर कार्यवाही की जा सके।

जहां तक 'भारत कोकिंग कोल' का संबंध है, खान मंत्रालय किसी भी मजदूर संघ के साथ पक्षपात नहीं करती।

श्री समर मुखर्जी (हावडा) : वक्तव्य से यह स्पष्ट नहीं होता कि इस गुण्डागर्दी के लिए उत्तरदायी तत्व कौन है। कम से कम एक बात अवश्य स्पष्ट है कि प्रबन्धकों का भी इसमें हाथ है। कुछ सदस्यों में 'गुण्डा' शब्द पर आपत्ति की है। परन्तु अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुआ था कि 'ठेकेदार-एवं-मजदूर नेता द्वारा खरीदे हुए लगभग 20 गूंडों ने कोयला खान क्वार्टरों पर हमला किया।"

वास्तव में सरकारीकरण के पश्चात् भी कोयलाखानों में ठेका प्रणाली चल रही है। ठेकेदारों ने प्रबंध में परिवर्तन के अवसर पर लगभग 300 नये मजदूरों का नाम सम्मिलित कर दिया। इससे कामगारों में असन्तोष उत्पन्न हुआ। यह असन्तोष उचित भी था और 'सीटू' ने उनका यह मामला उठाया। इसी कारण से उक्त यूनियन पर हमला हुआ। हमला करने वालों ने संघ के कार्यालय में लगा झंडा उखाड फेंका, बम फेंके और गोलियां चलाई। पुलिस ने बाद में कुछ बम बरामद भी किए। प्रबंधकों द्वारा इस प्रकार के मजदूर नेताओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यह एक षडयन्त्र है।

मंत्री महोदय के वक्तव्य में मरने वाले कामगारों की पूरी संख्या का वर्णन नहीं किया गया है। इस बारे में पूरी जांच की जानी चाहिये। मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं उनसे पता चलता है कि धनबाद कोलयाखान में कोई प्रशासन नहीं है। इस घटना से पहले वहां पर धारा 144 लगी हुई थी। इसके होते हुए भी गुंडों ने हमला किया। यह स्थिति की गंभीरता को प्रकट करता है।

एन० सी० डी० सी० की बांकी मोगरा कोयला खान में प्रबन्धकों द्वारा असामाजिक तत्वों और गुण्डों को नौकर रखा गया है। मजदूर नेताओं की हत्या करवाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। यह एक अकेली घटना नहीं है। अन्य स्थानों पर भी प्रबन्धक इसी प्रकार का व्यवहार अपना रहे है। सरकार को प्रबन्धकों के इस रवैये को बदलने का प्रयास करना चाहिये अन्यथा स्थिति के और भी बिगडने की संभावना है।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : अमृत बाजार पत्रिका में कही गई अधिकतर बातें मेरे वक्तव्य की बातों से भिन्न नहीं है।

जहां तक लोगों के नाम एवं उनकी संख्या का संबंध है, उसके बारे में निश्चित रुप से कुछ नहीं कहा जा सकता। किसी नाम अथवा संख्या को छिपाने के बारे में कोई प्रयोजन नहीं है।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भी यह कहना उचित नहीं है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं है अथवा प्रशासन ठप्प हो गया है। तीन तारीख की शाम तक 34 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। पुलिस की गस्त के कारण स्थिति सामान्य हो गई थी।

भारत कोकिंग कोल कम्पनी के प्रबन्धकों द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता । जिन लोगों का नाम लिया गया है वे सब पुराने प्रबन्धकों के कर्मचारी थे । ऐसे बुरे व्यक्तियों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

जहां तक बाहर से मजदूर लाने का संबंध है, ठेकेदारों ने इस प्रकार के प्रयास किए हैं और इन प्रयासों के परिणामस्वरूप कुछ असन्तोषी उत्पन्न हुआ है । परन्तु हमने एन० सी० डी० सी० तथा भारत कोल कम्पनीने अपने अभिरक्षकों को कडे निदेश जारी किए है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि एक भी 'नया मजदूर' शामिल नहीं किया जाये । यह भी देखा जाए कि वास्तविक मजदूरों के अधिकारों को संरक्षण प्राप्त हो । अभिरक्षकों को यह भी चेतावनी दी गई है कि इस संबंध में किसी भी गलती को गंभीरता से लिया जायगा ।

जहां तक ठेका मजदूरों का प्रश्न है, हम इस प्रकार की प्रणालीको जारी नहीं रहने देंगे ।

श्री बी० के० दास चौधरी (कूचबिहार) : मंत्री महोदय अथवा उनके विभाग ने जो रवैया अपनाया है, वह इन घटनाओं को अस्थायी रूप से ही रोकेगा । मैं जानाना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीयकृत कोयला उद्योग में इस प्रकार की घटनाओं की आवृत्ति को रोकने के लिए कोई संगठन बनाया गया । यदि कोयला उद्योग की व्यापक जांच के लिए कोई जांच समिति अथवा विशेष आयोग गठित किया जाए तो पता चलेगा कि यह उद्योग न केवल विद्युत् एवं उर्जा का उत्पादन करने में सहायक है, अपितु यह काले धन का भी जनक है ।

जहां तक नये मजदूरों को शामिल करने की बात है, कुछ कोयलाखानों में से कथित राजनैतिक नेताओं व यूनियन नेताओं के सामने लाखों रुपये निकाले गये । उक्त नेताओं का उस समय का व्यवहार बहुत ही अजीब सा प्रतीत होता है और आज वे आरोप लगा रहे हैं कि गुण्डे उनके रास्ते में रुकावटे डाल रहे हैं व उनकी मजदूर यूनियन को समाप्त करने के लिए गुण्डो का सहारा लिया जा रहा है । अत: वास्तविक समस्या इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से पीछा छुडाना है । क्या एक समिति गठित करके अब तक अभिगृहीत कोयला खानों की आस्तियों और सम्पत्तियों के संबंध में कोई जांच की जायेगी ? इस जांच से पता चलेगा कि कोयलाखानों के मैनेजरों के पास उनके आम साधनों से अधिक सम्पत्तियां उपलब्ध है ।

इन घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए सरकार को नई नीति निर्धारित करनी चाहिये ।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : कोयला खान मालिकों का समाज में दूषित प्रभाव फैलाने में काफी हाथ है । समाज अथवा उस क्षेत्र के आर्थिक जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है, जिसे उन्होंने अपने प्रभाव से दूषित नहीं किया । इस बात को समझने के लिए किसी जांच समिति को नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है । जहां तक किसी व्यक्ति के पास आय से अधिक सम्पति होने की बात है, आयकर विभाग के पास इस प्रकार के लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए बहुत अधिक शक्तियां है ।

जहां तक कोयलाखान की सामान्य समस्या है, उसमें रहस्य की कोई बात नहीं है । पिछले वर्ष गुंडो ने एक अभियांत्रिक तथा खनन अधिकारी को दिनदहाडे पीटा । कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य न होने के कारण हमलावर साफ साफ बच गये । हम स्थिति पर नियंत्रण पाने के प्रयास कर रहे हैं । हां, इस प्रकार के कार्यों में समय लगता है ।

श्री गदाधर साहा (बीरभूम) : मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री रामचन्द्र सिंह किस प्रकार से उत्पादन मैनेजर बने । उनके बारे में यह कहा जाता है कि किसी समय वे बेनामी मजदूर ठेकेदार थे ।

7—9 LSS/73

[श्री गदाधर सहा]

जबकि ठेका श्रम प्रणाली को सब बुराईयों का मूल कारण समझा जाता है, तो क्या सरकार इस के उत्पादन के लिए कोई विधान लाने को तत्पर है ?

उपरोक्त घटना में हथगोलों, राइफलों तथा कारों का प्रयोग किया गया। इन में से एक कार विदेशी थी। मैं जानना चाहता हूं कि उक्त कार का मालिक कौन है। जान की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : जहां तक मुझे मालूम है श्री रामचन्द्र सिंह स्वयं ठेकेदार नहीं हैं अपितु उनके एक संबंधी अवश्य ठेकेदार हैं। वे स्वयं 'उत्पादन सुपरवाइजर' हैं। जहां तक ठेका श्रम प्रणाली के उत्पादन की बात है, विभिन्न मजदूर यूनियनों के नेताओं के साथ बातचीत की गई है। हम उपरोक्त के लिए वचन बद्ध हैं। परन्तु इस समय हम श्रमिकों की वास्तविक अपेक्षाओं के आंकडे तैयार कर रहे हैं। क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में इस समय मैं कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हूं। परन्तु इस बारे में कोई सन्देह नहीं है कि क्षतिपूर्ति अदा की जायेगी।

Shri Sashi Bhushan (South Delhi) : These people are trying to make nationalisation of Coal Industry a failure. Government should not depend upon previous Managers and Contractors. It is not an ordinary incident. But the Government has also taken a prompt action in the matter and apprehended the persons involved. I hope that absconders would also be apprehended.

The action which has been taken is timely and proper one. But I would like to say that an intelligence cell should be created so that such incidents may not occur in future. I would like to know the time by which such a cell will be created.

As regards contract system, I would like to say that this system should be put to an end immediately, because the contractors force the workers to work like beasts. They are always cruel to them. So this contract labour system should be abolished.

Goonda elements should be dealt with strongly. They should be listed and they should not be allowed to participate in labour movement. I would like to know the steps government is going to take in this direction.

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : माननीय सदस्य ने एक विशेष सैल बनाने का सुझाव दिया है। मेरे विचार से ऐसा सैल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसा कार्य सरकारी क्षेत्र के संगठनों को ही सौंप दिया जाता है। साथ ही पुलिस भी अपना कार्य करती है। जहां तक ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने का सम्बन्ध है, हमारी यही नीति है। किन्तु इससे पूर्व हम यह चाहते हैं कि कर्मचारियों और खनिकों की सेवा नियमित किये जाने जैसे कार्य पूरे हो जायें।

भिलाई इस्पात संयंत्र मे हुई घटना के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE INCIDENT AT BHILAI STEEL PLANT

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्): चूंकि भिलाईइस्पात संयंत्र में 2 अप्रैल 1973 को घटी घटनाओं का मामला सभा में उठाया गया है। इसलिए मैं कुछ तथ्य सभा के समक्ष रखना चाहता हूं। भिलाई इस्पात संयंत्र में मार्च, 1973 में 211,000 मीट्रिक टन धातु इस्पात के उत्पादन का कीर्तिमान स्थापित हुआ था। इसमें 1972–73 की तुलना में इस वर्ष 2,108,000 टन अधिक इस्पात का उत्पादन हुआ। उक्त संयंत्र के इंजिनियरो और श्रमिकों की इस सफलता पर उन्हे

बधाई देने हेतु मैं 2 अप्रैल को भिलाई गया। अगले वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य की घोषणा भी साथ ही करनी थी। संयंत्र का दौरा करने के बाद मैंने कुछ इंजिनियरों और श्रमिकों को व्यक्तिगत रुप से बधाई दी और संयंत्र के मुख्य कर्यालिय में लौट आया। उसी समय कर्मचारी संघ के पदाधिकारीयों के नेतृत्व में बहुत से सचिवालयीय कर्मचारियों ने कार्यालय को घेर लिया और मांग की कि मैं उनसे मिलूं। मैं उनसे मिला और उन्होंने दावा किया कि वे भी कार्यचालन कर्मचारियों का एक भाग है और संयंत्र के उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन की दृष्टि से उन्हें भी कुछ अतिरिक्त भुगतान किया जाये। मेरे कहने पर हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष श्री एच० भाभा और महाप्रबन्धक श्री पी० आर० आहूजा सचिवालयीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मिले और विचार विमर्श के बाद उन्हें यह सूचना दी कि उन्हें दो दिन की अतिरिक्त मजूरी दी जायेगी। प्रबन्ध मंडल के इस निर्णय पर प्रतिनिधियों ने पूर्ण संतोष व्यक्त किया।

तथापि, मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री पी० सी० सेठी और मैं सायं 5 बचे जब बैठक के स्थान पर पहुंचे, तो उस समय वहां पर लगभग दो-तीन हजार लोगों की एक भीड़ जमा थी, उससे मुख्य रूपमें सचिवालयीय कर्मचारी और ठेके पर काम करने वाले श्रमिक थे। वे प्रबन्ध मंडल की निन्दा सम्बन्धी नारे लगा रहे थे। वहां का वातावरण तनावपूर्ण बन गया था और किसी भी समय हिंसा भडक उठने की आशंका थी। इस स्थिति को देखते हुए मैंने बैठक रद्द करने का निर्णय लिया।

इसके बाद दो-तीन हजार लोगों का एक जुलूस भिलाई होटल आया, जहां मैं ठहरा हुआ था। होटल के बाहर डयूटीपर तैनात पुलिस अधीक्षक के अनुसार, उसने प्रदर्शनकारियों से अपना प्रतिनिधि मंडल चुनने के लिए कहा, जो होटल के भीतर जाकर मेरे से बात कर सके। किन्तु प्रदर्शनकारियों ने इस बात पर बल दिया कि उन सभी को होटल में जाने दिया जाये। पुलिस अधीक्षक ने हिंसा के भय से उन्हें होटल के अन्दर जाने की अनुमति नहीं दी। इस पर प्रदर्शनकारियों ने ईंट-पत्थर फेंकने शुरू किये। उन पर लाठी चार्ज किया गया अश्रु गैस छोडी गई और भीड़ तितर बितर ही गई।

इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर मैं खेद व्यक्त करता हूं। यद्यपि मैं उनके प्रतिनिधिमंडल से मिलने का इच्छुक था किन्तु वहां का वातावरण हिंसापूर्ण बन गया था जिसमें उनसे मिलना सम्भव न था। ऐसी स्थिति में यह दुखद घटना घटी।

आप्टा-मंगलौर रेलवे परियोजना की अनुमानित लागत के आंकड़ों में परिवर्तन के बारे में सदस्य का वक्तव्य

STATEMENT BY MEMBER RE: VARIATION IN ESTIMATES OF COST OF APTA-MANGALORE RAILWAY PROJECT

श्री शंकरराव सावंत (कोलाबा) : आप्टा से मंगलौर तक पश्चिमी तट रेलवे परियोजना के प्राक्कलनों में मंत्रियों के बदलने के साथ-साथ और समय -समय पर परिवर्तन होता रहता है। इससे लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न होता है।

तत्कालीन रेल मंत्री श्री हनुमन्तैया ने अपने 4 जून 1971 के पत्र में बताया था कि इस परियोजना पर लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया था कि यह अनुमान सर्वेक्षण के दौरान लगया गया था। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद स्वयं श्री टी० ए० पाई ने 23 सितम्बर 1972 को मुझे लिखा था कि इस लाइन पर लगभग 214 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा। इसके बाद आने वाले रेल मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र ने 26-2-1973 को सभा में यह बताया था कि रोलिंग स्टाक और ब्याज सहित लागत 225 करोड़ रुपये होगी। परन्तु निर्माण लागत में ब्याज और रोलिंग स्टाक की लागत नहीं जोड़ी जाती।

[श्री शंकरराव सावंत]

दिनांक 27-2-73 को तारांकित प्रश्न संख्या 105 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में श्री मिश्र ने बताया था कि यह लागत 325 करोड़ रुपये होगी। उप रेल मंत्री ने 13-3-1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3131 के उत्तर में यह बताया था कि यह लागत 213 करोड़ रुपये होगी। उन्होंने यह भी कहा था कि यह कार्य 8 वर्ष तक चलेगा।

इन तथ्यों से संदेह होता है और इसलिये इनके सम्बन्ध में स्पष्टिकरण दिया जाना चाहिये। आंकड़ों में संगति न होने से ऐसा भ्रम होता है कि कोई व्यक्ति जान-बूझकर निहित स्वार्थ के लिए आंकड़ों को बड़ा-चड़ाकर बता रहा है।

आंकड़ों में की गई वृद्धि को उचित ठहराने के लिए स्थान निर्धारण सम्बन्धी अन्तिम सर्वेक्षण और काम पूरा होने पर वास्तविक खर्च का उल्लेख किया जा रहा है। अत: मंत्री महोदय को रेल लाइन के बिछाने पर आने वाली वास्तविक लागत बतानी चाहिए तथा अस्पतालों पार्कों, व्याज और रोलिंग स्टाक कि लागत उसमें सम्मिलित नहीं की जानी चाहिये। साथ ही उन्हें यह भी बताना चाहिये कि 100 करोड़ रुपये के मूल अनुमान में परिवर्तन क्यों किया गया ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : श्री सावंत के नाम अपने 4-6-1971 के पत्र में तत्कालीन रेल मंत्री श्री हनुमंतैया ने बताया था कि आप्टा से मंगलूर तक 900 किलोमीटर लम्बी नयी रेलव लाइन के लिए सर्वेक्षण कार्य में अच्छी प्रगति हुई है और इसकी लागत 100 करोड़ रुपये तक जा सकती है। यह स्पष्ट कर दिया गया था कि निर्माण की सामान्य औसत लागत के आधार पर मोटे तौर पर ही यह लागत निकाली गयी है। जब सर्वेक्षण किया जाता है, तब, संरेखण की सतह, पार खण्ड जल मार्ग पुल और सुरंगों के सम्बन्ध में ब्यौरेवार आंकड़े इकटठे किये जाते हैं और क्षेत्र कार्य पूरा होते ही नक्शे और खण्ड तैयार कर लिये जाते हैं और मात्राओं के सम्बन्ध में पहले अनुमान लगाया जाता है। फिर उस क्षेत्र में श्रम और सामग्री की लागत और वहन-दूरी आदि के आधार पर मात्राएं और दरें निकालने के बाद लागत का अनुमान तैयार कर लिया जाता है। प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूरा हो जाने और अनुमान तैयार हो जाने के बाद ही अनुमानति लागत का चित्र उपलब्ध हो पाता है। यद्यपि उपर्युक्त पत्र लिखे जाने के समय यह सर्वेक्षण हो रहा था तो भी अनुमानित लागत बताना सम्भव नहीं था क्योंकि अनुमान अभी तयार किया जाना था। इस अनुमान को तैयार करके जूलाई, 1972 में रिपोर्ट के साथ बोर्ड को भेजा गया था। अत: स्पष्ट है कि जून, 1971 में 100 करोड़ रुपये की जो राशि बतायी गयी थी, वह एक बहुत ही मोटा अनुमान मात्र था क्यों कि प्रारम्भिक सर्वेक्षण पर आधारित अनुमानित लागत भी कहीं बहूत बाद में उपलब्ध हो पायी थी।

जुलाई में रेलवे से प्राप्त अनुमान से पता चला कि निर्माण की लागत लगभग 195 करोड़ रुपये बैठेगी और रेल इंजनों और चल-स्टाक पर लगभग 19 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। जब रेल मंत्री श्री पै ने 23-9-72 को श्री सावंत को पत्र लिखा, तब उन्हें चल-स्टाक सहित निर्माण पर आने वाली इस 214 करोड़ रुपये की लागत के बारे में बता दिया गया था।

निर्माण की कठिनता और इससे संबन्धित भारी निवेश को देखते हुए इस परियोजना का निर्माण एक लम्बी अवधि लगभग 8 वर्ष में चरणबद्ध रुप में करने का प्रस्ताव था और निर्माण की अवधि के दौरान निवेश पर व्याज का हिसाब 195 करोड़ रुपये की निर्माण लागत पर लगभग 45 करोड़ रुपये लगाया गया था। इस प्रकार कुल परिव्यय अर्थात निर्माण की लागत, चल-स्टाक की लागत और निर्माण की अवधि में व्याज 259 करोड़ रुपये, कहिए कि 260 करोड़ रुपये होने का अनुमान था।

260 करोड़ रुपये के इस अनुमान की रेलवे बोर्ड में जांच की गयी थी। परियोजना की लागत को कम करने के उद्देश्य से, रेलवे बोर्ड ने मध्य रेलवे से कहा था कि मितव्ययतापूर्ण मानकों और अधिक खडे ढलानो को अपना कर तथा जितना निर्माणकार्य अत्यन्त आवश्यक हो उतने ही तक सीमित,

रख कर लागत के अनुमान में संशोधन किया जाये। मध्य रेलवे ने बताया कि इन मितव्ययतापूर्ण मानकों के आधार पर संशोधित लागत 162.5 करोड़ रुपये होगी, जिसमें व्याज और चल-स्टाक शामिल नहीं होगा। रेल मंत्रालय में इस अनुमान की आगे जांच करने पर यह मालुम हुआ कि अधिक खड़े ढलानों को केवल कुछ छोटी लम्बाइयों पर ही अपनाया जा सकता है और व्याज एवं चल-स्टाक रहित निर्माण की लागत को घटा कर 170 करोड़ रुपये कम नहीं किया जा सकता। निर्माण की लागत, चल-स्टाक की लागत और निर्माण की अवधि के दौरान व्याज को शामिल करके कुल संशोधित परिव्यय, जो निर्माण की लागत कम होने के कारण कुछ कम होगा, 1971-72 के मूल्यों के आधार पर 225 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया था। 26 फरवरी, 1973 को सभा पटल पर रखे गये विवरण में यही रकम बतायी गयी थी। यह बता देना भी जरुरी है कि ये सभी आंकडे अनन्तिम हैं और परियोजना की लागत का पक्का अनुमान एक विस्तृत इंजीनियरी और अंतिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण कर लेने के बाद ही उपलब्ध हो पायेगा।

श्री सावंत ने अपने बयान में कहा है कि "निर्माण की लागत में व्याज को शामिल करना गलत है" और "ऐसा कभी नहीं किया जाता"। निर्माण की अवधि में व्याज प्रभार को ध्यान में रखना आवश्यक होता है क्योंकि सामान्य राजस्व को लाभांश के भुगतान के लिए रेलों की देयता पूरी व्याजदेय पूंजी पर निकाली जाती है जिसमें उस वर्ष के दौरान निर्माणाधीन परियोजानाएं भी शामिल होती हैं। सभी निर्माण संबंधी परियोजनाओं की अर्थक्षमता निश्चित करने के लिये निरपवाद रूप से ऐसा किया जाता है और भारतीय रेल संहिता के संगत नियमों में विशष रूप से इसकी व्यवस्था है। इस मामल में व्याज की राशि बहुत अधिक है क्योंकि स्वयं परियोजना की मूल लागत ऊंची है और निर्माण की अवधि का अनुमान आठ वर्ष लगाया गया है। मैं यह भी बता दूं कि अनुदान की मांगों के लिए इस सदन का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, केवल निर्माण की लागत ली जाती है (इसमें निर्माण की अवधि का व्याज और चलस्टाक शामिल है)। लाभांश देयता का निर्धारण करते समय व्याज तत्व को लेखे में लिया जाता है और चलस्टाक की लागत चलस्टाक की मांगों के अन्तर्गत आ जाती है।

यह कहना भी सही नहीं है कि चलस्टाक की लागत को शामिल नहीं करना चाहिए। इतनी लम्बी लाइन पर यातायात संबंधी आवश्यकताएं अतिरिक्त चलस्टाक की व्यवस्था करके ही पूरी की जा सकती हैं और इस चलस्टाक पर अपेक्षित निवेश निश्चित रूप से इस परियोजना के परिव्यय का भाग होगा और वित्तीय क्षमता के लिए उसका भी ध्यान रखना होगा। केवल बहुत ही छोटी नयी लाइनों के मामल में ही यह माना जा सकता है कि उन लाइनों को वर्तमान चलस्टाक से चलाया जा सकता है। बहरहाल जब किसी परियोजना के वित्तीय मूल्यांकन में सभी राजस्व उपार्जनों को गिना जाता है, तो उसकी लागत मे, चलस्टाक सहित सभी नयी परिसम्पत्तियों पर होने वाले समग्र पूंजी परिव्यय को भी अवश्य शामिल किया जाना चाहिए।

यह उल्लेखनीय है कि इस परियोजना के लिए अभी कोई अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण नहीं किया गया है और जब तक ऐसा नहीं किया जाता, तब तक लागत का ब्यौरेवार अनुमान तैयार नहीं किया जा सकता। तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण से, जो किया जा चुका है, केवल अनुमानित लागत का ही पता चल सकता है और इससे पहले कि निर्माण कार्य शुरू किया जा सके, विस्तृत इंजीनियरी सर्वेक्षण के आधार पर अनुमानों को और विस्तृत रूप से तैयार करना होगा। 225 करोड रुपये का आंकड़ा जो परिजोजना के कुल परिव्यय (जिसमें निर्माण-कार्य की अवधि के दौरान व्याज और चल-स्टाक की लागत शामिल है) के रूप में अभी बताया गया है वह तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर निकाला गया है और अवश्य ही यह अनुमानित होगा। वास्तविक लागत इससे कहीं अधिक होने की सम्भावना है, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि यह काम कई वर्षों में किया जायेगा और सामान की लागत और मजदूरी के स्तर में कुछ वृद्धि हो जायेगी। इस मामले में, जबकि अंतिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण अभी तक नहीं किया गया है और इसे पूरा करने मे लगभग 8 वर्ष का लम्बा समय लगेगा, यह माना लेना वाजिब ही होगा कि यथार्थ और वास्तविक लागत बहुत ही अधिक आयेगी और वह 300 करोड़ रुपये होगी।

[श्री एल० एन० मिश्र]

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि लागत के आंकड़ों के संबंध में गुमराह करने का कोई इरादा नहीं रहा है और ये आंकड़े उस समय उपलब्ध सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर दिये गये हैं।

माननीय सदस्य ने एक दूसरी बात यह कही है कि 13-3-1973 के अतारांकित प्रश्न के उत्तर में उप रेल मंत्री ने यह बताया था कि 225 करोड़ रुपये की बजाय 213 करोड़ रुपये लागत आयेगी। यह थोड़ा अंतर निगाह की चूक के कारण है जिसके लिए खेद है।

लागत का सही आंकड़ा तभी उपलब्ध हो सकेगा जब अंतिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण हो जाय और अंतिम अनुमान तैयार कर लिया जाये। तब तक के लिए यह सामान्य निर्देशन के लिए केवल अनुमानित आंकड़ा होगा। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, छान-बीन के बाद निर्धारित वर्तमान अनुमानित आंकड़ा 225 करोड़ रुपये है जिसमें निर्माण-कार्य की लागत के अलावा, चलस्टाक की लागत और निर्माण-कार्य की अवधि के दौरान व्याज शामिल है लेकिन इसमें लागत वृद्धि शामिल नहीं है। अंतिम मार्ग निर्धारण और विस्तृत इंजीनियरी सर्वेक्षण का काम पूरा हो जाने के बाद जब अंतिम अनुमान प्राप्त होगा तब इसको परिशोधित कर दिया जायेगा।

विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक

DISTURBED AREAS (SPECIAL COURTS) BILL

संयुक्त समिती में सदस्य की नियुक्ति

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि यह सभा कतिपय क्षेत्रों में कतिपय अपराधों के शीघ्र विचारण और उससे सम्बद्ध मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में, श्री आर० डी० भण्डारे के इस सभा का सदस्य न रहने के कारण रिक्त हुए स्थान पर, श्री विक्रम महाजन को नियुक्त करती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कतिपय क्षेत्रों में कतिपय अपराधों के शीघ्र विचारण और उससे सम्बद्ध मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में, श्री आर० डी० भण्डारे के इस सभा का सदस्य न रहने के कारण रिक्त हुए स्थान पर, श्री विक्रम महाजन को नियुक्त करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was Adopted.

उत्तर प्रदेश में घरेलू उपयोग में आने वाले कोयले की भारी कमी के बारे में

RE. ACUTE SHORTAGE OF DOMESTIC COAL IN UTTAR PRADESH

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): श्रीमन् आपकी अनुमति से मैं यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठा रहा हूं। घरेलू प्रयोग के कोयले की कमी के कारण उत्तर प्रदेश में बड़ी चिन्ताजनक स्थिति पैदा हो गई है और यह कमी रेल के माल डिब्बे उपलब्ध न होने के कारण उत्पन्न हुई है। अब मंत्री महोदय भी सभा

में उपस्थित हैं। गत तीन महीनों से उत्तर प्रदेश में 7200 वैगन प्रति माह के कोटे के बजाय केवल 2400 वैगन प्रति माह का कोटा आ रहा है। परिणामतः उत्तर प्रदेश के कानपुर, बनारस, इलाहाबाद आदि सभी बड़े नगरों में कोयले का भारी अभाव है। माननीय उप मंत्री ने वहां से आये शिष्टमंडल के अनुरोध पर वैगनों का एक रैक देने का आदेश दिया है। किन्तु केवल 83 वैगन पर्याप्त नही हैं। कोयला खानों पर कोयला है किन्तु वैगन उपलब्ध न होने के कारण कोयले की कमी हुई है। अतः रेल मंत्री महोदय एक वक्तव्य दें और यह आश्वासन दें कि कोयले की कमी के कारण उत्तर प्रदेश में कोई कठिनाई पैदा नहीं होगी।

पंजाब में डिजल तेल की भारी कमी के बारे में

RE. ACUTE SHORTAGE OF DIESEL OIL IN PUNJAB

श्री मान सिंह चौरा (भटिंडा) : मैं नियम 377 के अन्तर्गत लोक महत्त्व का यह मामला उठाना चाहता हूं कि पंजाब में डीजल की भारी कमी है और इस के परिणामस्वरूप किसानों की फसलों को पानी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बिजली का अभाव वहां पहले से ही है। डीजल ब्लैक में अधिक मूल्य पर बैचा जा रहा है। अतः मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैंने विपक्ष के नेताओं से विचार विमर्श कर लिया है। चूंकि शिक्षा मंत्रालय की मांगो पर चर्चा में भाग लेने वाले वक्ताओं की संख्या बहुत अधिक है और शेष समय बहुत कम है इसलिए हम इसे पूरे दिन के लिए बढा सकते हैं। इससे हमे दो घंटे अधिक मिल जायें गे और मंत्री महोदय उत्तर कल देंगे। वे सभी इससे सहमत है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सब इससे सहमत है। मंत्री महोदय उत्तर कल देंगे।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

अनुदानो की मांगें, 1973-74

DEMANDS FOR GRANTS, 1973-74

शिक्षा और समाज-कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग

अध्यक्ष महोदय : आप सभा में शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा होगी और उन पर मतदान होगा।

Shri Rudra Pratap Singh (Bara Banki) : Mr. Speaker, Sir, the Department of Archaeology should expedite the survey and study of the monuments of historical importance scattered throughout the country from Kashmir to Kanyakumari and Gujarat to Assam, so that ancient history of India may be brought to light from darkness and all historical monuments may be given due protection. In my opinion the samadhi of the husband of great freedom fighter Laxmi Bai should be protected by the Ministry and the articles of historical importance found in his palace should be preserved in a Museum there.

[Shri Rudra Pratap Singh]

The work of protection of historical monuments is not confined to India alone. The Archaeological Department has extended it to foreign countries also. In the year under discussion, such work is done in the caves of Afganisthan. Here I shall like to suggest that such a work should be done in all the Asian countries—Sri Lanka, Bhutan, Sikkim, Burma, Nepal, Bangla Desh, Pakistan, Japan and China where monuments of historical importance can be found and they should be given protection.

As regards museums in the country, I want to say that antiquities and objects of art found in a particular area should be placed in the museums located in that very area. It will add to emotional integrations in the country as tourists from different parts of the nation will come in museums to the objects placed therein. I also want that the objects of arts and things of historical importance should be acquired from ex-rulers under the Antiquities and Art Treasurers Act and preserved in museums where tourists have easy access.

As regards cultural agreements with foreign countries, we have so far signed cultural agreements only with 25 countries. This position is not satisfactory and more attention should be paid to it. As regards cultural delegation I am to suggest that due respect should be given to those cultural delegations which visit our country so that we may better understand their outlook. In the same way our delegations going abroad should include the persons who have thorough knowledge of Indian culture and history, so that the prestige of our country is raised in the eyes of others in the world.

While providing for economic assistance for the delegations going abroad, all care should be taken to ensure that the persons selected to the delegations are such who have thorough knowledge of Indian culture so that they may increase the prestige of the nation.

As regards Sahitya, Natak and Sangeet academies under the Department of Culture, their performance so far, is not encouraging. They are to do many more things. We are a unity in diversity. We form a national culture out of different cultures of the states and centrally administered territories. The Department of Culture should make efforts to see that all the languages of the states and the regional languages of central territories are duly promoted and these academies get economic assistance according to their performance.

I am sure that the department of culture will protect our historical and cultural values and proclaim to the world the nature of our culture and the feelings of unity amongst the diversity.

With these words I support the demands for grants of the Ministry of Education.

श्री पी० ए० सामिनाथन (गोबीचेट्टिपलयम) : भूतपूर्व संसदीय कार्यमंत्री श्री राजबहादुर ने सदन को आश्वासन दिया था कि हिन्दी अप्रत्यक्ष रुप से रोमन लिपि में थोपी नहीं जायेगी । इस आश्वासन का उलंघन किया गया है । मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों में, सदन में प्रस्तुत की गई मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों में हिंदी का प्रयोग देवनागरी लिपि में न करके रोमन लिपि में किया गया है । इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से हिन्दी लादने के मामले की मैं तमिलनाडु के $4\frac{1}{2}$ करोड़ व्यक्तियों की ओर से विरोध करता हूँ ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**
[MR DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]]

हमारे संविधान में शिक्षा को राज्य सूची में लिया गया है। अतः शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करना राज्य सरकार का दायित्व है। केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप अवांछनीय है। हस्तपक्षे के अतिरिक्त केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय राज्य में शिक्षा प्रसार के लिये किस प्रकार की सहायता देती है? जो कुछ थोड़ी बहुत सहायता दी जाती है, वह उच्च शिक्षा के लिये दी जाती है। समाज

के निम्नतम श्रेणी के लोगों की प्राईमरी शिक्षा के लिये उचित सहायता नहीं दी जाती है। मैं प्राईमरी शिक्षा के प्रति केन्द्र की उपेक्षा का विरोध करता हूँ। विकसित पश्चिमी देशों की तुलना में हमारे देश में शिक्षा के लिये वित्तीय नियतन बहुत ही कम है। शिक्षा के लिये केन्द्रीय बजट के 1.62 प्रतिशत के नियतन से यह तथ्य प्रकट होता है कि केन्द्र में शिक्षा संस्कृति और (समाजकल्याण) मंत्रालय की कोई आवश्यकता नहीं है। तमिलनाडु में शिक्षा के लिये राज्य के बजट का 24 प्रतिशत नियत किया गया है। जब लोगों के लिये उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का दायित्व राज्य सरकार पर है, तब केन्द्र में शिक्षा मंत्रालय की आवश्यकता कहां रहती है। जहाँ पीने का जल, ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में सड़कों की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधायें, शिक्षा, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन श्रमिकों के कल्याण के उपायों का क्रमान्वयन राज्य सरकार का दायित्व है वहाँ विदेश व्यापार उद्योगों के लिये लाइसेंस देना, डाकतार विभाग तथा एयरलाइन्स आदि अधिक राजस्व देने वाली मदें केन्द्रीय सरकार के अधिकार में है। यह व्यवस्था ठीक नहीं है।

गतवर्ष शिक्षा के लिये 53.40 करोड़ रुपये का नियतन किया गया था और इस वर्ष यह राशि केवल 25.85 करोड रुपये रह गई है। यदि मैं यह बात पूछना चाहूं इस राशि में इतनी बड़ी कटौती क्यों की गई है तो तुरन्त उत्तर दिया जायेगा कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण का विषय गृहमंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है। इससे यह सन्देह होता है कि शिक्षा मंत्रालय को इन जातियों के कल्याण के लिए जो कुछ करना था मंत्रालय वह सब कुछ कर चुका है और इस दिशा में उन्हें कुछ भी करना शेष नहीं है। इसी कारण यह विषय गृहमंत्रालय को दे दिया गया है अथवा शिक्षा मंत्रालय के असफल रहने के कारण ऐसा किया गया है। मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में नीति का स्पष्टीकरण करना चाहिये।

जहाँ तक बच्चों और गर्भवती दूध पिलाने वाली माताओं के लिये विशेष पोषाहार कार्यक्रम का सबन्ध है यह बात स्वतंत्रता प्राप्ति के 23 वर्ष पश्चात् अर्थात 1970 में सरकार के ध्यान में आयी है। आश्चर्य का विषय है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में इतने समय बाद ध्यान दिया है। बताया जाता है कि उपोषण के कारण देश में 6 करोड़ बच्चे दुर्बल हैं। एक डाक्टर ने अपना मत व्यक्त किया है कि यदि पोषक भोजन न दिया गया तो तीनचार महीनों में चार लाख बच्चों की मृत्यू हो जायेगी। यह दुःख की बात है कि सरकार ने अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। जबकि अन्तर्राष्ट्रीय बल-आपातनिधि में वर्ष 1949 से इस कार्य के लिये सहायता दी जा रही है। तमिलनाडु को इस कार्य के लिये कोई सहायता नहीं दी जा रही है। केवल मद्रास शहर में ही 21,000 बच्चे तथा 40,000 गर्भवती महिलायें ऐसी हैं जिन्हें पोषक भोजन की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में तमिलनाडु सरकार ने 10 करोड़ रुपये की लागत की एक योजना बनाई है जिसे पिछड़े क्षेत्रों में, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, 20,000 गन्दी बस्तियों के क्षेत्रों में जहाँ हरिजन रहते है, लागू किया जायेगा। तमिलनाडु सरकार की इस योजना को स्वीकृति दी जानी चाहिये तथा अपेक्षित धन राशि की व्यवस्था भी की जानी चाहिये।

अन्धों के लिये एक राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित किया गया था और उसके लिये 18.43 करोड़ रुपये की छोटी सी राशि रखी गई थी। यदि सरकार देश के करोड़ों अन्धे लोगों की सहायता करना चाहती हैं तो इस प्रयोजन के लिये एक पंचवर्षीय योजना बनाई जानी चाहिये।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भिखारियों को पुनर्वासित करना अपना पवित्र कर्तव्य समझा था। तामिलनाडु के प्रत्यक्ष जिले में भिखारियों के पुनर्वास के लिए 10 लाख रुपये की लागत से एक केन्द्र की स्थापना की गई है। राज्य सरकार की तुलना में केन्द्रीय सरकार मानवीय कष्टों की ओर ध्यान कम दे रही है।

[श्री पी० ए० सामिनाथन]

इसी प्रकार गूंगे और बहरों के राष्ट्रीय केन्द्र के लिये बहुत ही कम राशि आवंटित की गई है। तमिलनाडु में इस मानवता के कार्य के लिये मन्दिर न्यास निधि का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। मन्दिर न्यासों द्वारा अनाथालय, जो अपंग अनाथों आदि के गृह हैं, स्थापित किये जा रहे हैं। केन्द्रीय सरकार को प्रत्येक जिला मुख्यालय में अनाथों के लिये एक गृह स्थापित करने के लिये कदम उठाने चाहियें जिससे जिले में कम से कम 5000 अनाथों को सहायता मिल सके।

देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के 25 वर्ष पश्चात् भी शिक्षापद्धति में सुधार नहीं किया गया है। गत दो दशाब्दियों में बहुत आयोग गठित किये गये, बहुत सी समितियां बनायी गयी। वर्ष 1948–49 में भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन ने इस प्रश्न पर विचार किया। वर्ष 1952–53 में डा० लक्ष्मणस्वामी मुदलियर की अध्यक्षता में सेकेन्ड्री शिक्षा आयोग ने बहुत सी महत्वपूर्ण सिफ़ारिशें कीं। 1964–66 में डा० कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग ने सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति पर विचार करके बहुत सी महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं। सरकार अभी तक इस आयोगों की सिफारिशों को कार्यरूप नहीं दे सकी। इसके अतिरिक्त वर्ष 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीतिपर सर्वसम्मत्ति से एक संकल्प पारित किया गया। इस संकल्प को क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गैर-सरकारी कालिजों को सीधे अनुदान देता है। इस से बहुत से लोगों ने शिक्षा को भी कमाई का धंधा बना लिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सरकारी कालिजों को अनुदान देने से इन्कार कर दिया जाता है। राज्य सरकार कालिजों की वित्तीय आवशकता के बारे में अधिक समज सकती है। अत: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनुदान की राशि राज्य सरकारों को सौपनी चाहिये और धनराशि वितरण करने का अधिकार भी उन्हें ही देना चाहिये।

वर्ष 1972–73 में बेरोजगार अध्यापकों को रोजगार देने की केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत देशपर्यन्त 30,000 अध्यापकों के नाम दर्ज किये गये। इस योजना के अन्तर्गत तमिलनाडु के 900 अध्यापकों को रोजगार दिया गया। परन्तु मध्य प्रदेश में 3000 अध्यापकों को रोजगार प्रदान किया गया जबकि वहाँ की जनसंख्या तमिलनाडु के ही बराबर है। इस प्रकार के भेदभावपूर्ण रवैया से समाप्त किया जाना चाहिये। तमिलनाडु में 22000 प्रशिक्षित अध्यापक बेरोजगार हैं। यदि केन्द्र भेदभाव की नीति न अपनाये तो 80000 अध्यापकों के लिये रोजगार की व्यवस्था की जा सकती है।

तमिल नाडु के स्नातक अध्यापकों की हड़ताल का संदर्भ दिया गया है। स्नातक अध्यापकों की पांच मांगों में से सरकार ने तीन मांगें स्वीकार कर ली हैं। किन्तु अन्य दो मांगे ऐसी हैं जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता।

तिरुचिरापल्ली तथा तिरुनेलवेली की घटनाओं की, जिनमें कुछ छात्र अन्तर्गस्त हैं, भी उल्लेख किया गया है। इन घटनाओं की न्यायिक जांच चल रही है। जिस मामले की न्यायिक जांच चल रही हो, उसका, सदन में उल्लेख नहीं किया जाना चाहिय।

देश में ऐतिहासिक महत्व तथा पुरातत्वीक रुचि के स्थान दूर दूर पर हैं। केन्द्र इन स्थलों के रखरखाव पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख पाता है। यदि शिक्षामंत्रालय उनकी इस प्रकार उपेक्षा करता रहा तो वे इतिहास में उल्लेख मात्र ही रह जायेंगे। ये स्मारक राज्य सरकारों को सौंप दिये जाने चाहिये क्योंकि वे ही उनकी उचित देखभाल कर सकती हैं।

चौथी योजना के दौरान भारतीय भाषाओं के विकास के लिये 25.45 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई। हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के लिये 1.35 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन निराशाजनक है। हिन्दी के विकास के लिये तथा हिन्दी थोपने के लिये जो कदम उठाये जाते हैं, वे राष्ट्रीय एकता के लिये घातक सिद्ध होंगे। सरकार को तमिलनाडु के 1965 के हिन्दी विरोधी आन्दोलन का स्मरण होगा। सम्पूर्ण राज्य में खून खराबा मच गया था। तमिलनाडु में फिर से एसी स्थिति पैदा नहीं की जानी चाहिये।

केन्द्रीय सरकार प्रतिवर्ष देश की महान विभूतियों की याद में समारोह करती है। परन्तु अभी तक केन्द्रीय सरकार ने तिरुवल्लुवर, सुब्रमनिया भारती और नारायण गुरु जैसे विद्वानों की स्मृति में कुछ नहीं किया है। दक्षिणी राज्यों के इन महान व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये शिक्षा मंत्री को स्वयं ध्यान देकर कार्यक्रम तैयार करना चाहिये।

प्रो० नारायणचन्द पाराशर (हमीदपुर) : अभी अभी शिक्षा मंत्रालय को हस्तक्षेप करने वाला मंत्रालय बताया गया है। एक तरफ हस्तक्षेप की बात कही जाती है और दूसरी ओर राज्यों के विभिन्न कार्यक्रमों के लिये केन्द्रीय सहायता की मांग की जाती है। जब तक सम्पूर्ण देश के लिये शिक्षा के लिये समेकित विकास कार्यक्रम नहीं होगा तब तक एक समृद्ध राष्ट्र का उद्भव नहीं हो सकता। केन्द्रीय स्तर पर ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। शिक्षा के सम्बन्ध में केन्द्रीय परामर्शदात्री बोर्ड के सदस्य के रूप में मैंने सुझाव दिया था कि शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्रीय दायित्व निर्धारित करने के लिये एक समिति बनायी जानी चाहिये। परन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। अब उपयुक्त समय है जब वर्तमान सांविधिक उपबन्धों के अन्तर्गत इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये।

उन स्थानों और जिलों के नाम बताये जाने चाहिये जहाँ चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्राईमरी स्कूल खोलने का विचार है।

23 वर्ष पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में इस बात का उल्लेख किया था कि प्राईमरी शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य होनी चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। विश्वविद्यालय हिंसात्मक गतिविधियों के केन्द्र बनते चले जा रहे हैं। विश्वविद्यालय शिक्षक संघ आन्दोलन की धमकी देते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने आन्दोलन की धमकी दी है। विश्वविद्यालय की शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत चयन ग्रेड की अजीब नीति से पंजाब के कुछ शिक्षक दिल्ली में अपने शिष्यों से कनिष्ठ हो गये हैं।

बनारस तथा अलीगढ विश्वविद्यालयों में हिंसात्मक गतिविधियां बढ़ रही हैं। यदि इस विषय में इस समय कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई तो यह भविष्य के लिये बहुत बड़ी कठिनाई पैदा करेगी। बताया गया है कि बनारस विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केन्द्र बने हुए हैं और वहां नियमित रूप से 32 शाखायें चल रही हैं। यदि सरकार एक विश्वविद्यालय से ही साम्प्रदायिकता नहीं मिटा सकती, तो सम्पूर्ण देश से साम्प्रदायिकता मिटाने का दावा किस प्रकार किया जा सकता है। विश्वविद्यालयों में आये दिन हड़ताल होंगी, 'बन्द' का आयोजन किया जायेगा और वहाँ कार्य करने वाले कर्मचारियों को नहीं बचाया जा सकेगा।

विश्वभारती (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय में हिंसात्मक गतिविधियां पनपने के चिन्ह मिले हैं। केन्द्रीय मंत्री यह तर्क देते हैं कि केन्द्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं हैं क्योंकि यह राज्य का विषय है। मंत्री महोदय का ध्यान मैं इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि राज्यों के कुछ क्षेत्रीय राजनीतिज्ञों ने शिक्षकों पर बड़े अत्याचार किये हैं। उनको स्थानान्तरित किया गया है, उन्हें परेशान किया गया है, डराया गया है, और क्षेत्रीय स्वायत्तता के नाम

[प्रो० नारायण चन्द पाराशर]

में न जाने क्या क्या किया गया है। शिक्षा राज्य का विषय है परन्तु युवाव्यक्ति तो राज्य का विषय नहीं है, हिंसा और साम्प्रदायिकता तो राज्य के विषय नहीं हैं। यदि इस प्रकार के वातावरण पर एक, दो वर्ष में नियंत्रण नहीं पाया गया, तो यह तीव्र गति से बढ़ेगा फिर और इसे कोई भी नियंत्रण में नहीं ला सकेगा।

पर्वतीय क्षेत्रों के प्रती न्यायोचित व्यवहार नहीं किया गया है। सितम्बर में नियुक्त की गई समिति के मंत्री महोदय अध्यक्ष है। आश्चर्य की बात है कि इस समिति की अभी तक कोई भी बैठक नहीं हुई है। योजना नियतनों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है, परन्तु समिति की बैठक अभी होनी है।

एक लद्दाख इन्स्टीट्यूट फार हायर स्टडीज् है जिसको स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने एक विश्वविद्यालय के बराबर माना था। परन्तु इसका दर्जा घटा कर इसको हायर सेकेंडरी स्कूल बना दिया गया। इसे पुनः इसकी मूल अवस्था में बदल दिया जाना चाहिये ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों के छात्र उच्च शिक्षा का लाभ उठा सकें और प्राचीन संस्कृति तथा परम्परा को बनाये रख सके।

जब तक प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में केन्द्रीय पूल से ग्रंथालय स्थापित नहीं किये जायेंगे तब तक हम शिक्षित, आशिक्षित और अर्ध-शिक्षित जन समुदाय की सहायता नहीं कर सकेंगे। सभी सामुदायिक विकास खंडों में प्राथमिक स्कूलों अथवा माडल स्कूलों के ढंग पर ग्रंथालय होने चाहिये क्योंकि राष्ट्रीय ग्रंथालय पर्याप्त नहीं है।

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा (भीलवाड़ा) : अंग्रेजों द्वारा लागू की गई क्लर्क बनाने की शिक्षा सबन्धी नीती को समाप्त किया जाना चाहिये और हमें रोजगार प्रधान शिक्षा नीति प्रतिवादित करनी चाहिये।

हम कालेजों और विश्वविद्यालयों में होनेवाली हिंसा की घटनाओं की निन्दा तो सदा करते रहते हैं परन्तु दूसरे मूल कारणों का पता नहीं लगाया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शिक्षा सबन्धी नीति में आमूल परिवर्तन करने के किये प्रारूप तैयार किया जा रहा है। उसे क्रियान्वित करने से पूर्व उन्हें चाहिये कि उच्च शिक्षा शास्त्रियों का परामर्श लें। मैं प्रो० नुरूल हसन की नाम के नीचे जो राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, उनकी निन्दा करता हूँ।

शिक्षा को राज्य का विषय बना कर बहाना बनाया जाता है, परन्तु अब तो लगभग सभी राज्यों में सत्तारूढ़ दल का शासन है, तो उन्हें शिक्षा में परिवर्तन करना चाहिये।

प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों, जो राष्ट्र के उत्तरदायित्व को संभालने वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, को बहुत ही कम वेतन दिया जाता है। यह जापान में अध्यापकों के वेतन की तुलना में बहुत कम है। इन अध्यापकों को राजस्थान में पंचों और सरपंचों की दया पर नहीं छोड़ा जाना चाहिये।

केन्द्रीय सरकार दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में अपने उत्तरदायित्व की उपेक्षा कर रही है। शिक्षा निदेशालय, दिल्ली में उन अध्यापकों को 'सिलेक्शन ग्रेड' दिया है जो अब सेवा में नहीं रहे। स्कूलों में पद रिक्त पड़े हुए हैं तथा अध्यापकों में क्षोभ व्याप्त है। सरकारी स्कूलों के नियमों के अनुसार मान्यता प्राप्त स्कूलों में भी 'सिलेक्शन ग्रेड' को तुरंत लागू किया जाना चाहिये। वेतन आयोग ने केवल पुराने ग्रेडों पर विचार किया है।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के कार्य की ओर मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पिछले तीन साल से निदेशक नियुक्त नहीं किया गया है। हिन्दी का विकास नहीं किया जा रहा है। उर्दू गोष्टियों के लिए 80,000 रुपये उठाये गए थे परन्तु उसका कोई हिसाब नहीं है। उर्दू के लिये अलग बोर्ड क्यों गठित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। एक अफवाह है कि उर्दू को राज्य-भाषा बनाया जा रहा है। मैं सरकार को आगाह करता हूं कि इसके गंभीर परिणाम होंगे।

दो वर्ष पूर्व मैंने तत्कालीन शिक्षा मंत्री को आगाह किया था कि यदि बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय के वाइस-चांसलर डा० के० एल० श्रीमाली को नहीं हटाया गया, तो स्थिति बेहतर हो जायगी। वहां वर्तमान स्थिति का कारण यह है कि वाइस-चांसलर अध्यापकों और छात्रों का विश्वास प्राप्त नहीं कर सके हैं। विद्या के इस मंदिर में असामाजिक तत्वों की गति-विधियां पक्षपात भाई-भतीजावाद प्रशासनिक अकार्यकुशलता, 13 लाख रुपये के गबन आदि ऐसे कारण है जो इस अवांछनीय वातावरण के लिये उत्तरदायी हैं।

विश्वविद्यालय चार बार अनिश्चित काल के लिये बंद किया जा चुका है और छात्रों का लगभग नौ महीने का पढ़ाई का समय व्यर्थ चला गया। छात्रों के घर जाने और घर से वापस आने पर 35 लाख रुपये की लागत आई। छात्रों को 10–3–73 को जेल में डाल दिया गया। जब विरोधी दलों के संसद सदस्य छात्रों से मिलने के लिये वाराणसी गए तो जेल अधीक्षक ने उन्हें उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में सामान्य स्थिति लाने के लिये उच्च-शक्ति प्राप्त जांच आयोग गठित किया जाना चाहिये।

पिछले कुछ वर्षों में अधिकांश नियुक्तियां ऐसे विद्वानों के पक्ष में की गई है जो अपनी विद्वत्ता में आगे बढ़े हुए नहीं हैं परन्तु किसी विषेश विचारधारा और जत्थे से सम्बद्ध हैं। "प्रतिबद्ध" विद्वानों की बहुत मांग है जो इतिहास को उस ढंग से पुनः लिख सके जो उनके हाई कमान द्वारा बताया गया है। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आदि जैसी संस्थाओं के संगठन और कार्यकरण से इस बात का पता चलेगा कि जिन अधिकांश लोगों को उच्च पद दिये गए हैं वे ऐसे ही "प्रतिबद्ध विद्वान" हैं।

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का गठन इस ढंग से किया गया है कि जो भारतीय साम्यवादी दल के सदस्य रहे हैं या अब भी हैं, उन्हें सरकारी संरक्षण दिया जाये। इतिहास के प्रोजेक्ट' का वर्तमान निदेशक "राजनीति शास्त्र" में डिग्री लिये हुए है। वह बिहार के जिला सी० पी० आई० का मंत्री था।

सरकार इस देश के युवकों में राष्ट्रीयता की आवश्यक भावना का विकास करने हेतु अधिक प्रयास नहीं कर रही है। देश में अधिक युवक होस्टल खोले जाने चाहिए। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में खेलकूद के व्यापक कार्यक्रम आरंभ किये जाने चाहिये। गांवों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं अजमेर में एक विश्वविद्यालय खोले जाने की मांग करता हूं। राजस्थान सरकार ने इस कार्य के लिये श्री के० एल० श्रीमाली की अध्यक्षता में समिति नियुक्त की है। उन्हें बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय से मुक्त करके राजस्थान भेजा जाना चाहिये, जहाँ वह हमारी समस्या का समाधान कर सकें।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासौर) : हमारे देश में 15 करोड़ निरक्षर लोगों को शिक्षा लेनी चाहिये। देश की प्रगति का स्तर लोगों के पास जितनी शिक्षा होती है, उससे मापा जाता है। यदि हम अपने मास्तरों को शिक्षित नहीं करेंगे, तो सरकार भी निरक्षर लोगों की हो जायेगी जैसा कि बहुत से राजनीति विज्ञान के विद्वान कहते हैं।

[श्री श्याम सुन्दर महापात्र]

हमारी जेलों में 18000 नकसलवादी कष्ट उठा रहे हैं। उनमें से बहुत से 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। उनकी मांग नौकरी है। हमारी शिक्षा उन्हें व्यवसाय देने में विफल रही है। डा० चन्द्रशेखर जब चीन गये तो उन्हें यह जान कर आश्चर्य हुआ कि वहां होस्टलों में कोई छात्र नहीं था। सभी खेतों में कार्यरत थे। उन्हें बताया गया कि वहां की शिक्षा-व्यवस्था भिन्न प्रकार की है। वे लोग राष्ट्र के सभी कार्यों में सहयोग दे रहें हैं। हमारे देश के छात्रों में नैराश्य नहीं है। देश की विषम परिस्थिति के लिए शिक्षक, अभियाचक और सरकार उत्तरदायी हैं। प्रतिवर्ष 1.60 करोड़ निरक्षर बढ़ जाते हैं। डा० वी० के; आर० वी० राव ने दिसम्बर, 1970 में एशियन सम्मेलन में इस के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं आरम्भ करने की बात कही थी।

आप ऐसी योजना क्यों नहीं आरम्भ करते जिसके अंतर्गत छात्र प्रौढ़ निरक्षरों को शिक्षा दे सकें। यदि प्रत्येक छात्र 20 रु० मासिक पर एक निश्चित संख्या में प्रौढ़ों की शिक्षा देता है, तो यह राष्ट्र की महान सेवा होगी।

हमारे देश में स्वयंसेवी श्रम व्यवस्था नहीं है। इसके अध्ययन के लिए पंडित नेहरू ने चीन में विशेषज्ञ भेजे थे। उन विशेषज्ञों को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार स्वयंसेवी श्रम व्यवस्था द्वारा एक बड़े बांध का निर्माण किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के महाविनाश के बाद जर्मनी और जापान ने कितना आश्चर्य जनक विकास कार्य किया।

छात्रों को स्वयं सेवी कार्यों में प्रेरित करने से पूर्व आपको स्वयं उदाहरण उपस्थित करना चाहिए। स्वयं शिक्षक होने के नाते मुझे लज्जा आ रही है कि विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार के अड्डे बन गये हैं। यह इस लिए है कि आज के शिक्षक प्राचीन काल के शिक्षकों जैसे नहीं हैं। आज जब शिक्षकों का आचरण उच्च नहीं है तब छात्रों का आचरण कैसे उच्च हो सकता है। हर रोज छात्रों द्वारा लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं। इसके लिए हमारा समाज उत्तरदायी है। परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर नकल चलती है।

आज कालेज के शिक्षक का स्तर चपरासी से कम नहीं है। उन्हें नौकरों से भी कम सुविधाएं उपलब्ध हैं।

श्री बी० एस० मूर्ति (आलमपुरम) : मैं शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। इस मंत्रालय को कई वर्षों से कम महत्व दिया जा रहा है। मंत्रालय अपने मामलों में न्याय नहीं कर पाता संस्कृत में कहावत है "विद्या विहीन पशु समाना" मेरी समझ में नहीं आता कि आज भारत में शिक्षा का इतना देय दरजा क्यों दिया जा रहा है।

1947 में निरक्षरों की संख्या 29.8 करोड थी जब कि आज उनकी संख्या 38.6 करोड़ रह गई है। यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। इस मामले पर न केवल मंत्रियों को अपितु पूरे राष्ट्र को ध्यान देना है। आपने 25 वर्ष पूर्व निशुल्क प्राथमिक शिक्षा का वायदा किया था। यदि प्रथम श्रेणी में 100 बच्चे प्रविष्ट होते हैं तो पांचवी तक 50 रह जाते हैं, सातवी आठवी तक 25 और उच्चस्तर माध्यमिक स्तर तक 10–15 छात्र ही रह जाते हैं। यदि प्राथमिक शिक्षा उपेक्षित रहती है, तो उच्च शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। देश में एक ही प्रकार की शिक्षा व्यवस्था रहनी चाहिए। राष्ट्रीय एकता गोष्ठियों से नहीं अपितु प्राथमिक शिक्षा के विस्तार से आ पाएगी।

कितने नये प्रकार के स्कूलों की स्थापता हो रही है? उनमें कम से कम 50–60 प्रतिशत स्थान पिछड़े समुदायों के बच्चों को मिलने चाहिएं।

कई स्थानों पर सामुदायिक विकास योजनाओं के स्कूल हैं। कई शिक्षकों ने उनके प्रति किये गयें दूर्व्यवहार के विरोध में त्यागपत्र दे दिए हैं। शिक्षा राष्ट्र निर्माण का कार्य है अतएव उसे केन्द्र के पास रहना चाहिए। शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे राष्ट्र का निर्माण हो सके। आज भी कई ऐसें स्कूल हैं जिनमें उच्च जातियों के हिन्दू छात्र प्रविष्ट नहीं होते क्योंकि वहां पर अनसूचित जातियों अथवा पिछड़े वर्ग के शिक्षक हैं। सरकार को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए।

The Deouty Minister in the Ministry of Education and Social welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : The hon. Members have suggested that there should be no reduction in Demands for the Ministry. Some of the suggestions by the members are critical while some are constructive. We do not want to repeat the mistakes committed during the past 25 years.

Among the 38 crore illiterates 6 crore children of the age group 0-6 years are included. Then there are illiterates of the age of 45 years or above. We should be particular about illiterates between the age group of 15-30 years. The number is approximate 10-12 crores. It is no use provideing mere theoratical education. We should be particular to give technical and vocational education. I dare say that wheneveer the youth were given a call for the service of the nation, they have always came forward. Our Ministry has decided to involve collegiates and non-collegiates students in the task of nation building especially war against poverty.

We want to link literacy with employment we have resolved to estestablish 100 Nehru Youth camps of which 87 have already started functioning. We want to launch war against disease. I want to assure the House that we shall utilise the strength of the youth.

We have decided to extend literacy faciilties to every districts in the name of Raja Ram Mohan Roy litbrary Foundation.

The Government is thinking in terms of forming a youth policy. We should have a set target for the utilisation of the services of the youth in the counstructive work of removal of poverty.

No doubt our sports activities so far were very much limited. They would no longer be allowed to suffer.

Our country has maximum number of soft water canals. We want to impart training in swimming. For that purpose and for athlets we want to select talent from the country as a whole.

In Patiala we have a Netaji Subhash sports Institute where we train coaches and have sent 100 instructors in various parts of the country.

The culture of this country is common good and it has no parallel any where in the country. We have finished 90 per cent work of C.S.T.T. and only 10 per cent work is ending. We want to merge it with central Hindi Directorate.

I want to assure the House that no language would be allowed to suffer due to shortag of funds.

श्री सी० टी० दंडपाणि (धारापुरम) : अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के लिए हमें अधिक धन की आवश्यकता है। हमारी एक 18 लाख रुपए का प्रस्ताव था जिसे अस्वीकार कर दिया गया है।

Shri D. P. Yadav : We have allotted one crore of rupees for the development of Tamil language. That much is the provision for Telugu as well.

Certain members have raised the matter of Benaras Hindu University and Aligarh University. I hve to inform the House that due to certain unavoidable circumstances, we had to close Aligarh University for some time. The Education Minister would give detailed information on that matter.

I would like to assure the House that nearly 500 to 600 crores of rupees would be allocated on nutrition during Fifth Plan if allocations for Mid-day meal, Intensive children's Integrated Programme and nourishment programme is taken into consideration.

Some members have spoken regarding the Central Social Welfare Board. I would like to assure the House that Central Social Welfare Board has not done anything wrong. There might be some human weaknesses, but it does not mean that Social Welfare Board should be abolished. There are many destitutes and blind children. I am sorry to say that there are nearly five million blind persons in the country. It is a challenge to us.

Steps should be taken in co-ordination with the Ministry of Health under children's Integrated Development Programme so that nochild could be blind since his or her birth. There are such programmes in Fifth Plan also and I would like to assure the House that these programmes would be implemented.

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवास) : कल मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में था और वहां परीक्षाएँ चल रही थी। वहां किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं था। परंतु मूझे यह जानकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल के लिए अचानक बन्द कर दिया गया है।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय को बन्द करने की कार्यवाही न केवल अलोकतान्त्रिक है, बल्कि अत्याचारपूर्ण भी है। सरकार और शिक्षा मन्त्रालय छात्रों के शैक्षणिक जीवन को बरबाद करना चाहते हैं। मंत्री महोदय को इस बात का स्पष्टिकरण देना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को बन्द करने के क्या कारण है ? वहाँ छात्र और अध्यापक केवल शान्तिपूर्ण आन्दोलन कर रहे थे।

1972 में जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विधेयक पेश किया गया था, तब हमने इसका पुरःस्थापन की स्थिति में ही विरोध किया था। तब भी हमने यह कहा था कि छात्रों और अध्यापकों से पहले परामर्श किया जाना चाहिए। सरकार ने उस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने सम्बन्धी सुझाव को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था और विधेयक को जल्दी में पारित कर दिया गया था। अब हमें उसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र और अध्यापकगण एवं कर्मचारी यह चाहते हैं कि विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को बनाये रखा जाये। बहुसंख्यक लोगों का यह कर्तव्य है कि व अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा करें, चाहे वे भाषायी अल्पसंख्यक हों अथवा धार्मिक। या जातीय परन्तु सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कुचल रही है।

सरकार का कहना है कि वह गन्जेद्र गडकर समिति की रिपोर्ट को क्रियान्वित कर रही है परंतु मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि इस परीक्षण के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को ही क्यों चुना गया?

विश्वविद्यालय की स्वायत्तता सम्बन्धी पुराने सिद्धांत को ही सरकार अस्वीकार नहीं कर रही, बल्कि वह सीनेट, प्रशासनिक परिषद और कार्यकारिणी परिषद में अपने पिट्ठुओं को नामजद करना चाहती है। सरकार को यह आश्वासन देना चाहिए कि विश्वविद्यालय को तत्काल खोला जायगा।

Shri Paripoornanand Painuli (Tehri-Garhwal) : Sir, I rise to support the demands of the Ministry of Education and Social Welfare.

The honourable Deputy Minister has enumerated certain steps to remove illitercay in the country, but it is a travesty of facts that whereas percentage of literacy has grown up by five percent, number of illiterate people has gone up by 9 crores of people.

The illiteracy among women is more in comparison to the men. There are only 18.72% of women literate in the Country. So far as U.P. is concerned, it is much below the national average i.e. 10.70% for women.

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
SHRI K. N. TIWARI *in the Chair.*]

I wouldlike to congratulate the honourable Education Minister that 90,000 additional teachers would be recruited during the Fifth Five Year Plan. I hope that the priority would be given to the backward areas in this regard.

The Government has not fully assessed the difficulties of people living in the sub-Himalayan region from Kashmir to Nagaland. Children have to attend classes in the schools situated five miles away. Classes are not held regularly and properly. In some of the cases, the teachers go to the schools only on the pay day to receive their salary.

According to the merger agreement, the employees of the erstwhile Tehri-Garhwal State should be taken in the U.P. Government service. These employees are struggling for the last 26 years for their appointment in U.P. Government service. The Government should ask the U.P. Government to ensure justice to these teachers.

In the Ministry's report, a reference has been made to mid-day meals and nutrition programmes. Eighteen paise per child is spent on mid-day meals, which is nothing keeping in view the high rising prices. The Government should make sufficient provision for this purpose. If it is not possible, the scheme should be withdrawn. There is need for giving to the children nutritious food. For want of nutritious food, children become victims of diseases.

Public school education through English medium is a curse to our social system. Only the rich can afford their children to attend public schools. Such an inequality needs to be checked.

Immorality is growing up for want of proper education. There are lakhs of prostitutes in the big cities. This problem is a socio-economic problem. The tribal girls of M.P. as well as of Tehri-Garhwal, Uttar Kashi, and Jaunsar Bhawar areas of Dehradun district have to lead a very wretched life. The Suppression of Immoral Traffic Act was passed long back and it has proved to be ineffective. This problem can not be solved unless effective steps are taken to improve the socio-economic condition of these areas. For this purpose efforts of the Government would not be sufficient. The voluntary organisations should come forward to help solve this problem. The government should help these organisation liberally. The performance of the Ashram type schools and Balwadis run by the voluntary organisations is better than the Government institutions.

The amount earmarked for the Social Welfare Department is meagre and that amount is allotted to the state Governments as it is a state subject. This amount is also lapsed. The government should ensure that the amount allocated for the purpose is properly utilised and is not allowed to lapse.

Tehri-Garhwal has the lowest literacy in the country. There is need to provide special assistance for education there. More financial assistance should be provided to Swami Ramtirtha Degree College and a Central School should be set up there.

8—9LSS/73

Shri Shib Kumar Shashtri (Aligarh) : The present system of education was evolved by the British rulers for their own benefit. It is not commensurate with the developmental needs of the country. It was evolved to form a class who may be interpreters between few British rulers and the millions of Indians, whom they considered a class of persons Indian in blood and colour but English in taste and in opinions. They were not interested in any sort of development.

The aim of the education is all round development of human being—not only of body, but of mind as well as soul. Our education system lacks these elements.

Education system should be changed so as to include the aim of humanity in it. The Prime Minister as well as the Education Minister has stressed the need for a change in our Educational system. Such a change could be effected keeping in view the good points of Eastern and Western systems of education. Parents are also teachers, but this fact has been ignored in our system of education.

It is an appreciable thing that the Ministry of Education has decided to appoint a committee to re-orient the gurukul system of education.

As I have been telling before, I may repeat that the three language formula has not achieved anything except harming the cause of Sanskrit. Therefore, special protection should be provided to save all ancient and classical literature from extruction.

Lastly, about Aligarh University, I had opposed the Bill when it was brought here for certain reasons, but it was passed and yet we hoped that it would help loosen the hold of vested interests in University affairs. But now it appears that Government is retracing her steps which had been taken earlier with certain boldness. Government should not bow to certain machinations with an eye on votes.

श्री के० मालन्ना (मधुगिरि) : मैं शिक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। शिक्षा पर करोड़ो रुपये खर्च किए जाते हैं परन्तु क्या इससे लोगों और विशेषकर युवाओं की आकांक्षाएं पूरी हो रही है? क्या इससे जनता को सामाजिक-आर्थिक और राजनितिक न्याय मिलता है? क्या वर्तमान शिक्षा से लोगोंने स्वनियोजन करके नौकरियों के पीछ भागना बन्द कर दिया है?

हमारी शिक्षा नीति 25 वर्ष पुरानी वहीं ब्रिटीश सरकार वाली ही है। इससे केवल कार्यालय कर्मचारी ही बनते है। हमारी गलत नीति के कारण ही न केवल छात्र और शिक्षक अपितु छात्रों के मातापिता भी अनुशासनहीन हो गए हैं। गैर-सरकारी और पब्लिक स्कूलों में भारी फीसें और चंदे लिए जाते हैं और ये भारी लाभ कमाने वाले धंदे बन गए हैं।

शिक्षा की गलत नीति के कारण ही शिक्षितों में बेकारी है और कुपोषण के कारण उनमें उत्साह नहीं रहा है, इससे पूरे समाज में निराशा और क्षोभ का वातावरण बन गया है।

परिवार नियोजन की शिक्षा बच्चों से आरंभ होनी चाहिये मैं चाहता हूं कि यौन शिक्षा भी बच्चों कों इसी संदर्भ में दी जा सकती है। इन सभी बातों के संदर्भ में शिक्षा नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिये ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को देश की जटिल आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को हल करने के लिए तैयार कर सकें।

Shri Hiralal Doda (Banswada) : Sir, no doubt the Schools and Colleges look different today but villages remain neglected even today. Numerous Social Welfare Schemes worth crores were framed and implemented but what is the state of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, welfare.

I am sorry to say that even after five years, the state of people living in villages, hilly areas and Adivasis remains miserable and nothing significant has been done for their welfare.

Mr. Chairman : You should not read a written speech here. You may consult notes only.

Shri Hiralal Doda : Since this is my maiden speech I may kindly be allowed.

The greatest problem in villages is constructing school bui' ings. When the people there do not have sufficient means to make both ends meet, how they can muster sufficient money and materials as well as labour to do this job.

In order to give practical shape to the dream of Socialism and to uplift the backward and poor classes. I would request that education should be made compulsory. Harijan students should enjoy free educational facilities and Government should provide school buildings rather expecting them to be constructed by the villages themselves. Hostel accommodation should be increased and every middle and Secondary School in backward area should have a dispensary to look after the health of students. The management of hostel demands much improvement and misuse of funds should be stopped. I would request all my friends here to go to such hostels in the constituencies and see conditions for themselves and help improve matters. A committee of Members of Parliament should be appointed to go into the working conditions of these hostels.

The deteriorating standards of education are due to the carelessness of teachers who do not realise and discharge the responsibility of character-building deveolved upon them. They themselves indulge in indiscipline, strikes and politics.

I hope that the hon. Minister would cover the points raised by me here.

Smt. Subhadra Joshi (Chandni Chowk) : Sir, we find that Government has done much in the field of industrialisation and other fields but I am sorry to say that the most important of them all viz., nation-building has remained neglected. I am of the view that education should be made a Central subject.

The efforts for improvement of text books has shown no positive results so far. The fate of Saiyaddain Committee report is also not officially known to us.

The private schools and colleges are more or less teaching shops where profit is the prime motive and imparting education is of least concern. In a school, College and University where I was the principal, teachers were given less salary than the amount shown in receipt obtained therefrom.

The condition of private schools and colleges is deplorable and the hon'ble Minister should pay more attention towards it. It has been observed that the members of Managing Committees are not well educated and teaehers and professors feel humiliated at the time of interview. Moreover, accounts are not maintained properly and there are so many instances of misappropriation of funds. The activities of R.S.S. are very objectionable. They are being allowed a free hand in Banaras Hindu University. There should not be any discrimination on the basis of religion or language. There is no law which cannot be amended to suit the requirements of society. We should pay more attention towards academic side of Aligarh Muslim University. We will have to face communalism and communism in democratic manner. I would suggest that there should be uniform legislatures for all the centrally administered Universities. We should consult all concerned with the administration of the Universities and formulate such a legislation.

No strings should be attached with the study of Urdu. Text books of Urdu should also be made available. I would request the government to take over education so that private teaching shops could be closed They charge exhorbitant fees and poor men cannot pay the same. In view of this only rich people can get their children educated in these institutions. There is wide gap between rich and the poor in the matter of education and employment. In case we are serious about bringing socialism, it is high time for making necessary arrangements to bring all the schools at par.

श्री समर गुह (कंटाइ) : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि यह शिक्षा प्रणाली कब तक चलती रहेगी जिससे केवल बेरोजगार डिग्री होल्डरों की संख्या में वृद्धि हो रही है ? बी० ए० और एम० ए० डिग्री प्राप्त करने के बाद नवयुवकों के मन में बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएँ होती हैं परन्तु उन्हें बाद में रोजगार भी नहीं मिलता । इसका परिणाम यह होता है कि उनके मन में तनाव, संघर्ष और निराशा की भावनाएँ घर कर जाती हैं । आसाम में जो क्षेत्रीय संघर्ष चल रहा था, उसके पीछे भी छात्र थे । राज्यों में वहीं के रहने वाले लोगों को रोज़गार देने की प्रवृत्ति से राष्ट्रीय एकता के लिये ख़तरा पैदा हो रहा है । क्षत्रीय भावनाएँ प्रबल होती जा रही है । इन सब प्रकार के तनावों, संघर्षों, आन्दोलनों और क्षत्रीय असन्तुलनों के लिये जिम्मेदार हमारी शिक्षा प्रणाली है, मुझे इस बात का खद है कि पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा को योजना के साथ सम्बद्ध करने के लियें कोई एकीकृत योजना नहीं बनाई गई है ।

हमें व्यवसाय प्रधान शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए । व्यावसाईक शिक्षा के परिणामस्वरूप हमारे छात्रों के समक्ष कुछ ध्येय रहेगा उनके मन में विश्वास की भावना पैदा होगी और सामाजिक असन्तुलन और तनाव कम होंगे । शिक्षा देने के तरीके में काफ़ी गड़बड़ है और उसमें किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिये जिससे माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्रणाली में एकरूपता लाई जा सके । केवल योग्य लड़कों को उच्चतर शिक्षा दी जानी चाहिये । शेष लड़कों को व्यावसायिक किस्म की शिक्षा दी जानी चाहिये । केवल इस तरीके से हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं । जिन स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है, वहां ब्रिटिश लेखकों द्वारा लिखित इतिहास पढ़ाया जाता है । यदि यही स्थिति रही, तो हमारे बच्चों को राष्ट्रीय संस्कृति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी । शिक्षा मंत्रालय को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि स्कूलों में ऐसा इतिहास पढ़ाये जाय जिससे बच्चों के मन में राष्ट्रीय भावनाएँ पैदा हों । राष्ट्रीय संस्कृति के बारे में कुछ अच्छी फिल्में बनायी जानी चाहियें और समस्त देश में दिखाई जानी चाहियें । यह बहुत ही ख़तरनाक बात है कि राष्ट्रीय एकता की भावना नष्ट होती जा रही है । हमारी शिक्षा में साम्प्रदायिकता का कोई स्थान नहीं होना चाहिये । डा० श्रीमाली शिक्षा मंत्री रह चुके हैं । यदि वह वर्तमान पद से त्यागपत्र दे दें, तो अच्छा होगा । इस विश्वविद्यालय के कुप्रबन्ध के कारण समस्त राष्ट्र को कष्ट उठाना पड़ रहा है ।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या समाज कल्याण विभाग में युद्ध विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिये दी गई धन-राशि, जो लाखों रुपए है, खर्च नहीं की गई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? बाल कल्याण नीति संकल्प, राष्ट्रीय बालक बोर्ड, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बालकों और युवकों क लिये सेवाएँ और परिवार तथा बाल कल्याण परियोजनाओं के विस्तार के बारे में एक एकीकृत नीति बनाई जानी चाहियें ।

Shrimati Sahadrabai Rai (Sagar) : We can boast about the achievements made in the field of education. Before independence there were neither middle schools nor high schools in the villages but now there is sufficient number of primary, middle and high schools. I would request the hon'able Minister to give more grant to Sagar University, Indore University and Jabalpur University to avoid any conflict.

The Government should take necessary steps to remove unemployment. I would like to suggest that the education should be agriculture-oriented. Besides we should lay more emphasis on technical schools so that the students become self reliant and need not worry about employment.

Harijans and Adivasi students should be awarded scholarships right from the beginning because the condition of their parents is deplorable. They should be encouraged by giving books and scholarships to them. I would also like to point out that the amount of scholarship is too meagre and the same should be increased. The quality of imported parridge and oil supplied to them is very poor. The Government should stop it and supply indigenous porridge and oil to them so that their health could be maintained.

Government have opened separate hostels for Harijan students. On one side the condemn untouchability and on the other hand, it is being encouraged by opening separate hostels for them. It is not proper. They should take concrete steps to eradicate untouchability. There are urdu teaching schools in Madhya Pradesh but the children complain that they do not have books. Moreover they have neither money nor teaching staff. The hon'able Minister should do something for them. Adivasi people are being converted as christians because of their poverty. Government should see that there are no forcible conversions. Adivasi should be provided with necessary amenities so that they could not be tempted towards other religions.

*** **श्री शक्ति कुमार सरकार** (जयनगर) : आज समाचार पत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ है कि दिल्ली विश्वविद्यालय बड़े पमाने पर नकल किये जाने के खिलाफ कार्यवाही करने के बारे में विचार कर रहा है। वस्तुत: यह समस्या दिल्ली विश्वविद्यालय तक ही सीमित नहीं है बल्कि सभी विश्वविद्यालयों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि आजकल की शिक्षा प्रणाली से स्वस्थ और रचनात्मक वातावरण बनने क बजाय विस्फोटक वातावरण बन रहा है। इस विस्फोटक स्थिति को रोकने के लिय हमें विद्यार्थियों में असंतोष के मूल कारणों की जांच करनी चाहिये। असन्तोष का एक कारण शिक्षित युवकों के। लिये रोजगार के अवसरों का अभाव बताया जाता है। यह भी कहा जाता है कि आज वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की आवश्यकता है। यदि यह तर्क ठीक है तो आज हजारों की संख्या में इंजीनियर बेरोजगार क्यों पड़े हैं? क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति इस स्थिति के लिय जिम्मेदार है? यह खेद की बात है कि अब भी देश में निरक्षरता बढ रही है। शिक्षा पर किये जाने वाले कुल व्यय का लगभग एक तिहाई भाग उच्चतर शिक्षा पर खर्च किया जाता है। अत: प्राथमिक शिक्षा को उचित महत्व नहीं दिया जाता है। हम अभी तक प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य नहीं बना सकें हैं। देश में निरक्षरता को समाप्त करने के लिय यह कदम बहुत आवश्यक है और इसे उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिय।

शिक्षा के क्षेत्र में अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है। कभी 10 कक्षा का पाठ्यक्रम चलाया जाता है तो कभी उसको बदल कर 11 कक्षा का पाठ्यक्रम चालू कर दिया जाता है। इसलिये हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि किस प्रकार स्थायी शिक्षा प्रणाली लागू की जा सकती है? हमें अध्यापकों की स्थिति में सुधार करने के बारे में विचार करना चाहिये ताकि उन्हें मजदूर संघों की तरह आन्दोलन न करना पड़े। उनकी समस्याओं पर तुरन्त विचार किया जाना चाहिये और उनका संतोषजनक हल ढूंढना चाहिये।

हमारे देश में परीक्षा की प्रणाली में काफ़ी सुधार करने की आवश्यकता है, शिक्षा राष्ट्र के निर्माण के लिये मनुष्य में रचनात्मक मनोवृत्ति का विकास करती है। शिक्षा और परीक्षा प्रणाली दोषपूर्ण होने के कारण रचनात्मक मनोवृत्ति के स्थान पर विस्फोटक मनोवृत्ति पैदा हो रही है। यदि इस प्रकार की प्रवृति को रोका न गया तो हमें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जातियों के छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा की रियायत जानबूझकर नहीं दी जा रही है। यदि इसका कारण धन का अभाव है तो मंत्री महोदय को पश्चिम बंगाल को आवश्यक धनराशि उपलब्ध करनी चाहिये ताकि अनुसूचित जाति के छात्रों को माध्यमिक स्तर तक नि:शुल्क शिक्षा दी जा सके। इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ।

***बंगला में दिय गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

श्री एच० एम० पटेल (ढ़ंढुका) : शिक्षा मंत्री को उच्चतर शिक्षा के संदर्भ में बताना चाहिये था कि कोठारी आयोग के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को कहां तक क्रियान्वित किया गया है अथवा किन सिफारिशों को स्वीकार किया गया है या कौन-सी सिफारिशें विचाराधीन है । हमारा विचार यह था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी शिक्षा प्रणाली में अमूल परिवर्तन किया जायगा । कई आयोग स्थापित किये गये हैं परन्तु हमारी शिक्षा प्रणाली में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है । आयोग के प्रतिवेदन को इस ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिये था कि हमें पता चलता कि मंत्रालय ने अपने समक्ष जो लक्ष्य रखे थे, उन्हें प्राप्त करने में उसको कितनी सफलता मिली है ? संविधान में लिखा है कि हमारा ध्येय प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना है, परन्तु इस ध्येय को कैसे पूरा किया जा सकता है ? यदि राज्यों में प्राथमिक विद्यालयों-पर दृष्टिपात किया जाये तो पता चलेगा कि उनमें से अधिकांश विद्यालयों को विद्यालय का नाम भी नहीं दिया जा सकता है । प्राथमिक शिक्षा शिक्षा की बुनियाद है । इस लिये इन विद्यालयों की स्थिति संतोषजनक बनाई जानी चाहिये । यद्यपि यह कहा जा सकता है कि शिक्षा राज्य का विषय है तथापि केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी स्तरों पर शिक्षा के मामले में कुछ न कुछ अनुदेश दिये जाते हैं । इसलिये मैं यह महसूस करता हूँ कि शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिये ।

राष्ट्रीय समाज सेवा, राष्ट्रीय खेलकूद संगठन और राष्ट्रीय छात्र सेना हमारे छात्रों के लिये ये तीनों संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । अब राष्ट्रीय छात्र सेना पर रक्षा मंत्रालय का नियंत्रण है और अन्य दो संगठनों पर शिक्षा मंत्रालय का नियंत्रण है । मेरा सुझाव यह है कि इन तीनों संगठनों को एक ही विभाग के अन्तर्गत लगाया जाये ताकि उनके कार्य में समन्वय हो सके ।

श्री राजाराम शास्त्री (वाराणासी) : हमारी शिक्षा प्रणाली में सम्पूर्ण क्रांति लाने की आवश्यकता है । कुछ सक्षम व्यक्तियों को इस संबंध में कुछ ऐसे देशों में प्रचलित शिक्षा प्रणाली को ध्यान में रखकर विचारविमर्श करना चाहिये जिन्होंने शिक्षा का स्वयं विकास किया है । हमें उन देशों की नकल करनी चाहियें, जिन्हें हमारे जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है ।

पिछले वर्ष शिक्षा मंत्री ने एक योजना बनाई थी जिसके अन्तर्गत केवल योग्य विद्यार्थियों को ही दाखिला दिया जाना था न कि अमीरों के बच्चों को । यह एक बहुत अच्छी योजना थी जिसका उद्देश्य समान अवसर प्रदान करना तथा समाजवाद लाना था । लेकिन अभी तक भी इसे कार्यान्वित नहीं किया गया ।

शिक्षा राष्ट्रीय एकता के लिये एक महत्वपूर्ण माध्यम है । राष्ट्रीय एकता की समस्या भारत में प्राचिन काल से रही है । संस्कृत, प्राकृत और पाली भाषाओं द्वारा हमने अपने हिन्दू, जैन तथा बौद्ध धर्मों को तीन पृथक पृथक भागों में बांटा है । कालांतर में ये तीनों एक दूसरे के विरोधी बने ।

मेरे विचार में दिल्ली में एक ऐसा उच्चस्तरीय संस्थान खोला जाना चाहियें जिसमें संस्कृत पाली और प्राकृत की शिक्षा दी जाये ।

मेरे विचार में हमने अपनी शिक्षा प्रणाली को धर्मनिरपेक्ष नहीं बनाया है । इस प्रश्न का अध्ययन किया जाना चाहिये कि शिक्षा प्रणाली को धर्म निरपेक्ष किस प्रकार बनाया जा सकता है ।

बनारस विश्वविद्यालय एक कठिन स्थिति में है । वहां की स्थिति का अध्ययन करने के लिये एक संसदीय समिति बनारस भेजी जाये, जो उपकुलपति को उनकी नीतियों को निष्पादित करने के लिये सहायता प्रदान करे तथा वास्तविक स्थिति के बारे में इस सदन को जानकारी दें ।

सांस्कृतिक क्षेत्र के माध्यम से भी हम राष्ट्रीय एकता ला सकते हैं । देश की सांस्कृतिक विभिन्नताओं को हम यह समझ कर सहन करते आ रहे हैं कि इनके पीछे एकता है लेकिन हमें भौगोलिक एकता के अतिरिक्त और कोई भी एकता नहीं मिली । एकता हमेंकला, शिक्षा, कार्य, आदि आदि किसी भी क्षेत्र में नजर नहीं आती । यह कही न कही दिखनी चाहिये ।

समाज कल्याण राष्ट्रीय एकता का अंतिम क्षेत्र है । सामाजिक एकता का प्रश्न सामाजिक न्याय से जुड़ा है । सामाजिक क्षेत्र की एकता के बिना हम देश की विघटनकारी शक्तियों के बीच एकता नहीं ला सकते । समाज कल्याण, सामाजिक न्याय की दिशा में पहला कदम है । एक भूखा और बेकार व्यक्ति देश के विकास के प्रति अपनी जिम्मेदरियां कसे अनुभव कर सकता है ? मंत्रालय को सामाजिक सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये । इस पर विचार करने के लिये एक समिति का गठन किया जाना चाहिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : हमें यह सुनकर आश्चर्य हुआ है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अनिश्चित काल के लिये बन्द कर दिया गया है । यह एक गम्भीर मामला है । हम सरकार से इस पर एक वक्तव्य चाहते हैं ।

सभापति महोदय : प्रश्न पहले भी उठाया गया था । हम मंत्री महोदय को वक्तव्य देने के लिये बाध्य नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं है । **(व्यवधान)**

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : उपमंत्री महोदयने कहा है कि मैं चर्चा के उत्तर क दौरान इस पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डालूंगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे यह सुनकर प्रसन्नता हुई है ।

Shrimati Savitri Shyam (Aonla) : We have not been able to change the system of education since independence. No doubt, there had been increase in the number of educational institutions and scholers.

Our Universities have become the hotbeds of politics which is evident from what is happening in BHU and AMU. There is disparity in the field of education which is solely due to public schools. Favouritism and exploitation is rampant in Public Schools which caters to the educational demands of the children belonging to affluant class. I suggest that a Commission may be set up to go into the working conditions of these public schools. Only 2 per cent children of the country are benefiting from these Public Schools. These 2 per cent children should not be allowed to get education at the cost of rest of the 98 per cent. Announcement regarding opening of Common Schools in each Block was made as early as 1968 but nothing seems to have been achieved in this direction during these years.

Funds are being misutilised under various schemes of education. No efforts are made to assess the progress made under each scheme for which Government incurred funds. It is the duty of University Grants Commission to see whether the funds allocated for education under various heads are being properly utilised? I would request the Hon. Minister to make a provision for the welfare of all those linguists of the country who contributed their lot for promoting the cause of the various languages of the country.

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोजीकोड) : हम शिक्षा मंत्रालय के कार्य से असंतुष्ट हैं । देश के विद्यार्थियों के बीच असंतोष है जो मुख्यतः शिक्षा प्रणाली की खराबियों के कारण है । हमारी शिक्षा प्रणाली रोजगार के प्रश्न से जुड़ी रहनी चाहिये ।

[श्री इब्राहीम सुलेमान सेट]

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को उपकुलपति के आदेश द्वारा अनिश्चित काल के लिये बंद कर दिया गया है। मेरे विचार में वहां कोई विशेष घटना नहीं हुई। विद्यार्थियों को कैम्पस से बाहर निकलने के लिये बाध्य किया जा रहा है। यह एक बहुत ही बिकट स्थिति है। कारण कुछ भी हो, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि अधिकारीगण मुस्लिम संस्कृति के केन्द्र को नष्ट करनें का षड्यंत्र रच रहे है।

देश में सब अर्थात बहुसंख्यकों तथा अल्प संख्यकों के लिये शिक्षा संस्थाएँ होनी चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था संविधान में की गयी है। सन 1965 से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हितों के विरुद्ध कार्यवाही शरू की गयी जब कि विश्वविद्यालय के प्रशासन को सरकार ने अपने हाथ में लिया। बाद में अधिनियम द्वारा मनोनीत न्यायालय तथा परिषद की व्यवस्था की गयी। उसके बाद इस संस्था के अल्पसंख्यांक और प्रजातंत्रीय ढ़ांचे को कायम रखने के प्रयत्न जारी रहे।

डा० कैलास (बम्बई-दक्षिण) : क्या हम शिक्षा अथवा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर चर्चा कर रहे हैं ?

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : हम चर्चा कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष अथवा संविधान का अर्थ यह है कि अल्पसंख्यकों की रक्षा होनी चाहिये।

सभापति महोदय : चर्चा विशिष्ट है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि आप एक विषय में इतना गहरा न जायें कि अन्य सुझावों के लिये समय ही न रहे।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : अलीगढ़ हमारी शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है। यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। इससे सम्बन्धित चर्चा को कोई नहीं रोक सकता। इस में राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रविरोधी होने का कोई प्रश्न नहीं है।

डा० कैलास : आप भविष्य की बात करें।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : हां, हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के भविष्य के बारे में चिंतित हैं। हम चाहते हैं कि संस्था का अल्पसंख्यांक और प्रजातंत्रीय ढ़ांचा कायम रहे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वार सब के लिये खुले हैं। इस संस्था को मुस्लिमों ने मुस्लिमों के लाभ के लिय स्थापित किया। बिहार और उत्तर प्रदेश के मुस्लिम अब तक भी पिछड़े हुये हैं और विश्वविद्यालय को उनका उत्थान करनें क लिये सहायता प्रदान करनी चाहिये (**व्यवधान**) हर पिछड़े साम्प्रदाय को प्रगति करनें के अवसर प्रदान किये जाने चाहिये।

श्री वसंत साठे (अकोला) : आप कहते हैं कि इसकी स्थापना मुस्लिमों के लिये मस्लिमोंने की थी। क्या धर्मनिरपेक्षता के प्रति आपका दृष्टिकोण यही है ?

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : मैं धर्म निरपेक्षता की बात नहीं करता। मैं मुस्लिमों द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में बात कर रहा हूँ। उन्होंने धन दिया, दान दिया और अपने लाभ के लिये इसकी स्थापना की ?

सभापति महोदय : गैर मुस्लिम भी तो हैं।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन मैडिकल तथा इन्जीनियरिंग कालिजों में गैर मुस्लिमों की संख्या अधिक है।

सभापति महोदय : चर्चा का विषय शिक्षा है । लेकिन आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की ही बात कर रहे हैं । आप शिक्षा के बारे में बोले ।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी शिक्षा का ही एक भाग है । मेरे मित्रों को व्यवधान नहीं डालना चाहिये (**व्यवधान**)

चटर्जी आयोग ने सिफारिश की थी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 65 प्रतिशत मुस्लिम और 35 प्रतिशत गैर मुस्लम होने चाहियें । लेकिन स्थिति इसके विपरीत है । 1972 में पास किया गया विधेयक बुरा था क्योंकि इसके द्वारा विश्वविद्यालय का प्रजातंत्रीय ढ़ांचा नष्ट हो गया । इस विधेयक का विरोध दिल्ली तथा बनारस विश्वविद्यालय भी कर रहे हैं । सारी शक्तियाँ उपकुलपति को दी गयी है और न्यायालय और परिषद पूर्णत: मनोनीत है ।

जब तक अल्पसंख्यांक इस देश में हैं उस तक उनके वही अधिकार हैं जो कि बहु संख्यको के हैं । अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1972, एक प्रजातंत्रीय अधिनियम नहीं है । हम यह मांग करते आ रहे हैं कि इसे वापिस लिया जाना चाहिये । एक नया विधेयक पेश किया जाना चाहिये ताकि मुस्लिम अल्प संख्यकों की आकांक्षायें पूरी हो सकें ।

Shri Anant Prasad Dhusia (Basti) : The present system of education has not been changed in spite of so many commissions and committees involving lacks of Rupees, set up for the purpose. The reasons for non-implementation of the various recommendations are not known. The country cannot develop under present system of education. The Hon. Education Minister should note all such things.

America changed its system of education to meet its economic requirements by setting up Agricultural and poultry farms in each block. In Japan also system of education is such which lays more stress on discipline and labour.

As a result of it Japan produces half of the total ships manufactured in the world.

The language policy of the Government is very defective. There have been often disputes with regard to language issues. The Government has opened Sanskrit Universities at certain places. Sanskrit is spoken no-where in the country and still the grant is being given to those Universities. I want to know the number of Muslim and Harijan Students and students of other Communities studying in those Sanskrit Universities. The Government has not given the same status to Pali, Prakrit and Persian languages as has been given to Sanskrit. This shows that the Government's language policy is not unbiased.

The Government had given some grants for the propagation of certain books in the name of Culture. But she has done nothing to propagate the teachings of Guru Nanak and Kabir.

All primary and Secondary schools should be nationalized. Special emphasis should be given on the teaching of technology and agriculture in our universities. A cell should be set up in the Ministry of Education to look after education arrangements for Harijans and Adivasis.

Shri Chandra Shailani (Hathras) : A country's future depends on education. It is a very important matter. After independence, the country has made a great headway in the sphere of education. But still a lot of work has to be done in this respect. Great change is required in the field of education. The Government should seriously consider this matter.

There is a wide spread unemployment among the educated youth. It causes frustration and unrest amongst them. If timely steps are not taken in this direction, there may be revolution in the country. Radical changes are required in the system of education in the country. I am of the view that our schools should be nationalized.

[Shri Chandra Shailani]

There is a trouble in Banaras Hindu University and Aligarh Muslim University. In Banaras Hindu University R.S.S. is allowed to continue its activities. In Aligarh University Vice-Chancellor was insulted and appropriate steps were not taken in time. Some unpleasant incident may happen there. Steps should be taken to eradicate Communalism from our Universities.

Disparity in education system should be removed. The son of a capitalist and a labourer should receive the same education. Our dream of socialism can only be fruitful in case disparity in the field of education is removed.

There is no definite future for our youths. It is due to this fact that we find so many troubles and distrubances in our Country.

Socialism is very necessary for our country because parity can only be brought in the country through socialism.

In the Directive Principle of our Constitution, it is laid down that free and compulsory education will be provided to the children upto the age of 14. The Government should take immediate steps in this direction.

It is the duty of the Government to provide clothes, food and education to every citizen of India.

It is praiseworthy that the Home Ministry has taken charge of the problems of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, people. I want that a separate Ministry should be created for Scheduled Castes and Scheduled Tribes people.

The condition of primary schools is very bad. There is no proper seating arrangements for Students. The condition of primary school teachers is very diplorable. The Government should take some steps to improve their conditions.

**श्री जगदीश भट्टाचार्य (घाटल) : गत दस वर्षों में सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों में शिक्षा के प्रसार के लिये कोई प्रशंसनीय कार्यवाही नहीं की है। सरकार को यह बताना चाहिये कि वह इन लोगों के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ? दूसरे सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों को समान सुविधाएँ प्रदान नहीं करती। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों का भी अब एक विशेष वर्ग बन गया है जो समुदाय के हितों की अवहेलना का अधिकांश लाभ प्राप्त करता है। सरकार से सुविधाएँ प्राप्त करने के लिये एक शैक्षिक स्तर बनाया जाना चाहिये। यदि एक विद्यार्थी किसी कक्षा में फेल हो जाता है अथवा कम अंक प्राप्त करता है, तो उसे दी जाने वाली सुविधाएँ समाप्त कर दी जाती हैं। ऐसा वातावरण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को उत्साहित करने में सहायक नहीं है। इस बारे में सरकार को अपनी नीति को और उदार बनाने की आवश्यकता है।

हमारा देश विश्व में खेल-कूद में स्थान प्राप्त करने में असफल रहा है यदि हम वास्तव में गम्भीर हैं कि हमारा देश खेल-कूद में उचित स्थान प्राप्त करें, तो खेल-कूद सम्बन्धी प्रशिक्षण योजनाओं को खंड स्तर पर आरम्भ किया जाना चाहिये। उचित संगठन की कमी के कारण ग्रामीण युवकों की शक्ति बेकार चली जाती है।

**बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर।

**Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

ग्रामीण युवक, विशेषकर आदिवासी अधिक शक्तिशाली होते हैं । यदि सरकार उन्हें उचित प्रशिक्षण दें, तो हमारा देश खेल-कूद के संसार में एक नया अध्याय जोड़ने और भारत की शान बढ़ाने में सफल हो जायेगा । अमरीका में नीग्रों लोगों ने ही अपने देश को सबसे अधिक मैडल जितवायें हैं ।

विभिन्न खेलों में असमानता से काम लिया जाता है । इस असमानता को दूर करने का प्रयास करना चाहिये ।

निराश्रित महिलाओं को सहायता देने के मामले में इस मंत्रालय का रिकार्ड निराशा जनक रहा है । गत वर्ष इस कार्य के लिये 15 लाख रुपए निर्धारित किये गये थे, जिसे घटाकर 5 लाख रुपया कर दिया गया है । स्वभावतया बहुत बड़ी संख्या में निराश्रित महिलाओं को, विशेष रूप से युद्ध के परिणामस्वरूप हुए विधवाओं को सहायता नहीं दी गई है । गांवों में भी निराश्रित महिलाओं की समस्याओं पर विचार नहीं किया गया है । जरूरतमन्द महिलाओं को अपने जीवनकाल में कभी भी सहायता नहीं मिल सकी है ।

गत वर्ष सरकार नें हिन्दी के प्रचार के लिये 3.36 करोड रूपये खर्च किये और संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं पर केवल एक करोड़ रूपया खर्च किया । हिन्दी भाषा समृद्धि करे लेकिन अन्य भाषाओं के साथ इस प्रकार की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये । आज देश में ऐसे अनेक लेखक और कवि है जो पश्चिम बंगाल में गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं । यदि हम आर्थिक रूप से उनका पुनर्वास करने में समर्थ हो जायें, तो इससे न केवल बंगाली साहित्य समृद्ध होगा बल्कि इससे हमारे देश की मिश्रित संस्कृति भी समृद्ध होगी । ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आठवीं कक्षा तक शिक्षा देने सम्बन्धी योजना उचित रूप से नहीं चला रही है । सरकार को अनावश्यक प्रतिबन्ध हटाने चाहियें और लड़कियों को उचित शिक्षा जारी रखने के लिये प्रोत्साहन देना चाहिये । शिक्षा के बारे में आयू सीमा को नहीं लाया जाना चाहिये ।

दण्डकारण्य परियोजना में शरणार्थी छात्रों को बंगाली में शिक्षा दी जाती थी । लेकिन अब विद्यार्थियों को बंगाली के स्थान पर उड़िया अथवा हिन्दी में शिक्षा दी जाती है। छात्रों को वही सुविधाएँ पुनः दी जानी चाहिये ।

देश के युवकों को अधिक अवसर दिये जाने चाहिये । अतः सब युवक केन्द्र स्वायत्तशासी होने चाहियें और इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि इन संस्थानों को राजनीतिक उद्देश्यों के लिये प्रयोग नहीं किया जाये ।

Shri Mulki Raj Saini (Dehra Dun) : Ours is a very vast country and the task of providing education to the people is very troublesome. The Government should provided education to the people in the villages and in the cities.

There are about 38 crores illiterates in our country. The Government should have provided education to all the children in the age group of 6-14 upto 1962, but it is proposed to provide education to children in the age group of 6-11 by the end of Fifth Five Year Plan.

There is a wide disparity in the type of education given to various children. The children of rich people study in public schools while the children of poor people study in ordinary schools. The Government should remove this disparity.

उत्तर प्रदेश में कोयले की कमी के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. SHORTAGE OF COAL IN UTTAR PRADESH

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : यद्यपि 1970-71 से बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्रों से कोयले के लदान में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है फिर भी यह सच है कि 'स्लैक कोयले' और 'साफ्ट कोल' की मांग पूरी नहीं हो रही है। रेलवे वर्तमान संसाधनों द्वारा कोयले के लदान में और सुधार करने के लिये प्रयत्न कर रही है। मैं पहले ही अपने बजट भाषण में उल्लेख कर चूका हूँ कि अतिरिक्त माल डिब्बों की बहुत आवश्यकता है और 15,000 माल डिब्बों को खरीदने के आदेश दिये जा चूके हैं तथा 26,000 माल डिब्बों का पहले ही आदेश दिया जा चूका है। इन क्रयादेशों के पूरा होने पर लदान में वृद्धि हो जायेगी।

सब कोयला खानों का प्रबन्ध सरकार द्वारा ग्रहण करने के बाद इस्पात और खान मंत्रालय तथा रलों के लिये कोयले के लदान के कार्यक्रम में सुधार करना तथा माल डिब्बे उपलब्ध कराना सम्भव हो गया है।

लघू उद्यागों, ईंटों के भटटों और घरलू उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने और कोयला क्षेत्रों से गाड़ियों द्वारा अन्य राज्यों को अधिक मात्रा में कोयला पहुँचाने में इस्पात और खान मंत्रालय भी राज्य सरकारों को सक्रिय भोग दे रही है।

दोनों मंत्रालयों के प्रयासों से देश के विभिन्न भागों में कोयला प्राप्त होने में सुधार हो जायेगा।

इसके पश्चात लोक-सभा शुक्रवार, 6 अप्रैल, 1973/16 चैत्र, 1895 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock Friday, April 6, 1973/Chaitra 16, 1895 (Saka).

GIPN—S5—9 LSS (ND)/73—19-7-73—490

यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.

M/B(D)3LSS—2